खण्ड-390, अंक-6
शुक्रवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(3 मार्च, 1989 ई0)

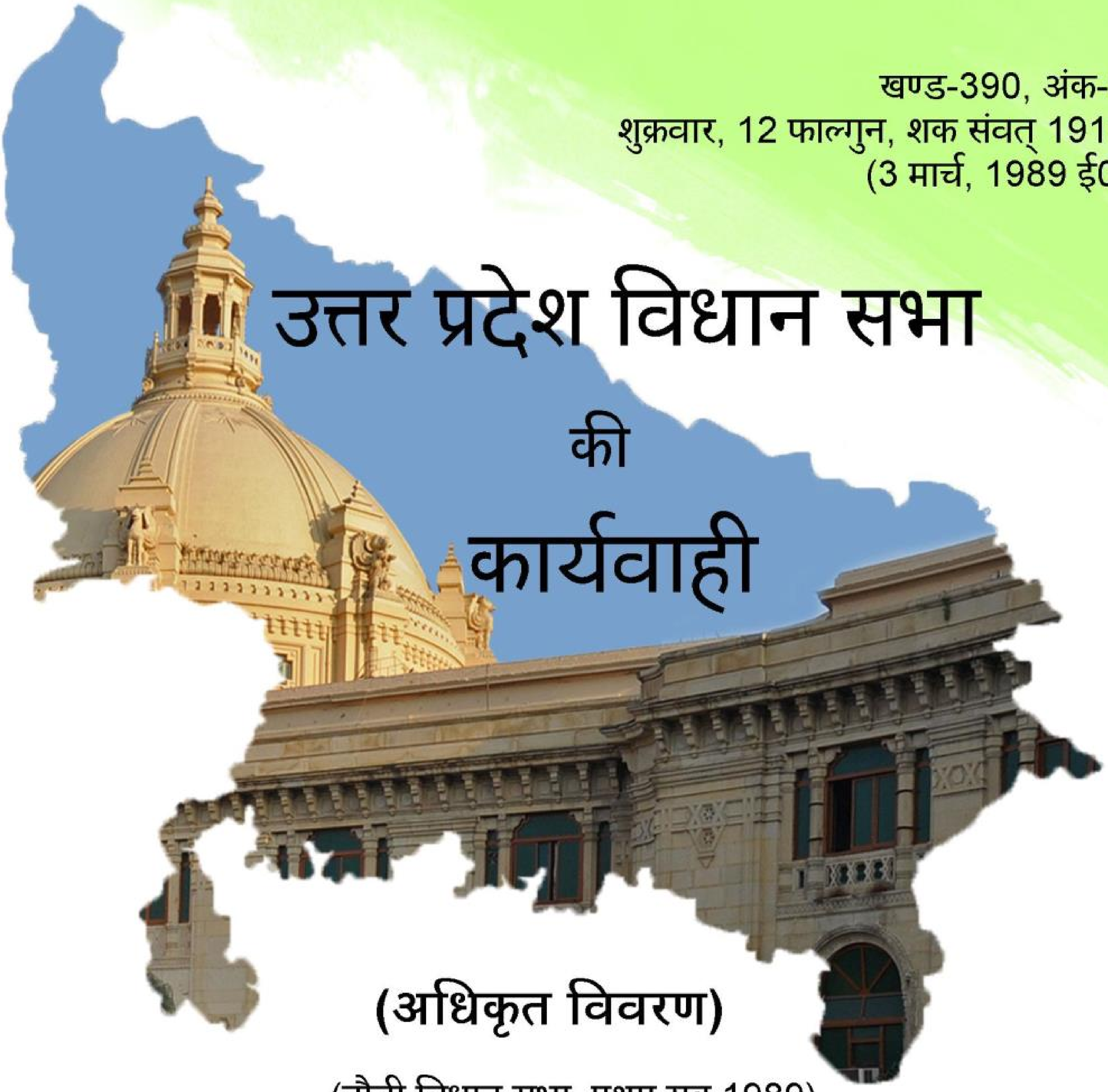

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–97
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	97–98
जनपद गोरखपुर में महराजगंज क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर के ग्राम कचौर और मझगवां गांवों के बीच धसान नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
जिला आजमगढ़ की तहसील सदर के ग्राम सेहरा व गयासपुर के बीच सिलनी नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99–100
लखनऊ शहर में फैजाबाद रोड से जाने वाली रिंग रोड जो गोमती नगर तथा शहर को जोड़ती है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
जनपद बदायूं में गंगा नदी के कछला घाट पर कपड़े के कारखाने से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100–101
जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दौलतबाद व सिकरौरा के पुलों के टूटने से आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
जिला मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा व गजरौला के बाढ़ पीड़ितों को वन विभाग की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101–102
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत) ..	102–104
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	104–105
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 ..	105
श्री गया प्रसाद वर्मा सदस्य विधान सभा द्वारा, सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा श्री बलजीत सिंह, विधायक का अपमान किये जाने सम्बन्धी मामला को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाने का प्रयास ..	106–113
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	113

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गया प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा श्री बलजीत सिंह, विधायक का अपमान किये जाने सम्बन्धी मामला, व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाने का प्रयास (क्रमागत) ..	114–124
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं को पुनः उठाने की मांग (अस्वीकृत) ..	125–127
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत) ..	127
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–86, सामान्य प्रशासन विभाग. .(स्वीकृत) ..	127
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें ..	127
..	128
नत्थियां ..	129–131

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
कनक सिंह, श्री (गाजियाबाद)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कुंवरवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बुधपाल सिंह, "खुर्जावाले", श्री (बुलन्दशहर)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम लखन, श्री (गोरखपुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विमला सिंह, श्रीमती (गाजियाबाद)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)

शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डाक्टर (सुल्तानपुर)
सलावत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र, श्री (आगरा)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरि नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरशरन सिंह, श्री (मेरठ)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

विधान सभा पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं की जांच एवं सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, इलाहाबाद का निलम्बन वापस न लेने का औचित्य

**1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में हुई अनियमितताओं की जांच तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद को निलम्बित करके करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी होकर शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त सामान्य प्रबन्धक के साथ निलम्बित अन्य दो अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो सामान्य प्रबन्धक को कार्मिक के शासनादेश के विपरीत इतनी लम्बी अवधि तक निलम्बित रखे जाने का क्या औचित्य है ?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जी हां, दो अधिकारी/कर्मचारी बहाल किये जा चुके हैं। इनके विरुद्ध वर्ष 1986-87 में स्वरोजगार योजना में अनियमितता के आरोपों पर जांच हुई थी। सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध 1986-87 में स्वरोजगार योजना में अनियमितताओं में आरोपों के अतिरिक्त और भी आरोपों के सम्बन्ध में जांच चल रही है। अतः इन आरोपों पर भी जांच आख्या प्राप्त होने पर समग्र रूप से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके पहले भाग का तो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया किन्तु प्रश्न के बीच के हिस्से का उत्तर उन्होंने छोड़ दिया। मैंने यह पूछा था कि क्या जांच पूर्ण होकर शासन को प्राप्त हो गयी है। यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? मेरी जानकारी यह है कि इसकी जांच एक एडिशनल डाइरेक्टर, श्री बी0 डी0 गुप्ता ने मई, 1988 में की थी और जांच रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त हो गयी थी। फिर भी शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसमें दो ऐसे लोगों के विरुद्ध आरोप था कि जो पकड़े गये थे और जेल भी भेजे गये थे, किन्तु ऐसे लोगों को सरकार ने बहाल कर दिया। इसका क्या कारण है ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, 1986-87 में इनके ऊपर 8 आरोप लगाये गये थे और इसकी जांच हो चुकी है। किन्तु 1985-86 के भी 5 आरोप निकले जिन की जांच चल रही है। दो कर्मचारी निर्दोष थे। इसलिये उनको बहाल कर दिया गया।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

जो 1985-86 की जांच मंत्री जी बता रही हैं वह भी पूर्ण हो चुकी है। 1986-87 वाली भी हो चुकी है और उसमें भी जो दोषी थे, उनके भी खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह से 1986-87 की जांच में 1985-86 की जांच को जोड़ कर निर्दोष आदमियों को परेशान करने और दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है और तीसरी बात यह है कि....

श्री अध्यक्ष--

आप एक तरफ दोषी को दण्ड दिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं आदमियों को बचाना भी चाहते हैं यह एक साथ कैसे ? आप कोई दूसरा प्रश्न कर लीजिये ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

इनके ऊपर क्या आरोप थे जो इनको दण्ड दिया गया और निर्दोष को मुक्त नहीं किया गया इसका क्या कारण है ?

श्रीमती बेनी बाई--

इनके ऊपर आठ आरोप थ 1986-87 के, मिश्रा जी के ऊपर और 1985-86 के 5 आरोप हैं इनके ऊपर और औद्योगिक आस्थान के शेड्स का भी बड़ा आरोप है । अब जब सबकी जांच होकर आ जायेगी, तभी निर्णय लिया जा सकेगा ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मिश्रा जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के हैं, इस लिये उनके साथ अन्याय हो रहा है । इसी पर मैं कह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया बैठिये । अब तारांकित प्रश्न संख्या-2 ।

(ता0 प्र0 सं0 2 लिये जाने पर और उसके मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार के अनुपस्थित होने पर) ।

कर्नल केसरी सिंह--

श्रीमन्, इसका उत्तर जरूर दिलवा दीजिये । यह देश की स्वतंत्रता के जो सैनिक हैं उनके बारे में है ।

श्री मित्रसेन--

अल्प सूचित प्रश्नों का समय निर्धारित है उसमें अभी समय है । उसी में से आप हमें उत्तर दिलवा दीजिये । हम सबको उसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री लंका में भारतीय शांति सेना के हताहत सैनिकों के आश्रितों को सहायता

**2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री लंका में भारतीय शांति सेना के उन हताहत सैनिकों, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, के आश्रितों को क्या-क्या सम्मान तथा सहायता दी है ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी सैनिकों की सूची तथा राज्य सरकार द्वारा उनके आश्रितों को अब तक वास्तव में दी गयी सहायता का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे कितने मामले अभी तक अनिस्तारित हैं तथा उन्हें कब तक निबटा दिया जायेगा ?

हरिजन एवं समाज कल्याण उपमंत्री (श्री सैलेन्द्र कुमार)—

श्री लंका में भारतीय शान्ति सेना के शहीद सैनिकों की विधवाओं/वैध उत्तराधिकारी को प्रति पात्र रुपया 15,000 एक मुश्त अनुदान तथा अपंग सैनिकों को प्रति पात्र रुपया 10,000 एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय लिया है ।

दिनांक 3 नवम्बर, 1988 को रु0 12,55,000 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

दिनांक 31-12-88 तक प्राप्त नामों की सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' संलग्न† है । भारत सरकार से विज्ञप्ति/सूचना प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट 'क' के 57 तथा परिशिष्ट 'ख' के प्रथम 40 के उपरान्त दर्शाये गये नाम कार्यवाही हेतु शेष रह जायेंगे जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान न करने की कार्यवाही की जायेगी ।

कर्नल केशरी सिंह—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नवम्बर में यह जो निर्णय लिया गया है, उसमें से कितनों को अब तक भुगतान किया गया है ? जो देश की इज्जत के लिये शहीद हो रहे हैं उनका भुगतान तुरन्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जायेगा, तो इसमें क्या देर है ? कब तक यह निर्णय ले लिया जायेगा ? और तीसरी बात यह है कि 71 के जितने शहीद थे ....

श्री अध्यक्ष—

पहले दो जवाब आ जाने दीजिए, फिर तीसरा प्रश्न करियेगा, वरना रह जाता है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्रीमती दीपा)—

मान्यवर, जैसा इसमें लिखा हुआ है, कि यह स्वीकृति 3 नवम्बर, 1988 को दी गई थी । वह इस आधार पर दी गई थी, हमारे पास उतनी जानकारी पहुंच चुकी थी और हमने 12,55,000 रु0 की स्वीकृति कर दी थी ।

मगर इसके बावजूद हमारे माननीय सम्मानित सदस्य को खुद मालूम है वह हमारे वरिष्ठ सैनिक रह चुके हैं, जब ऐसी स्वीकृतियां हम करते हैं, उसके बावजूद जिला स्तर पर वैरीफिकेशन करना पड़ता है तो, वह वैरीफिकेशन 20 फरवरी को पूरे हो चुके हैं, जिलाधिकारी के आदेश जारी हो चुके हैं 57 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं और 40 अपंग सैनिक हैं इसमें हमने कहा है कि 20 मार्च तक इनका भुगतान करके, हमें इसकी जानकारी दे दी जाए । दूसरी बात आपने कही, उसके बारे में कहना चाहूंगी कि गजट दिल्ली से हमारे पास आता है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को भी होनी चाहिए ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो सैनिक अंग्रेजी शासन के लिए जान देते थे उनका शिलापट अंग्रेजी राज्य में लगाया जाता था, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों का जगह-जगह, डाक,

† छापा नहीं गया ।

मुख्यालयों पर शिलापट लगाया गया है, तो जो श्री लंका में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, अपने देश की रक्षा के लिए उनकी नियुक्ति हुई दूसरे देश में उनको भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या इनका शिलापट इनके गांव में लगवा कर, उन्हें सम्मानित करने पर विचार करेगी ।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, मैं समझती हूं कि हमारे माननीय सदस्य मैनेजर सिंह जी ने जो विचार रखे हैं यह बहुत सुन्दर हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने हमारी सबकी भावना का आदर किया है, जो इन्होंने कहा है हम इस पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं जानना चाहता हूं कि परिशिष्ट-क के 57 और परिशिष्ट ख के प्रथम 40 पर दर्शाया गया था कि शेष को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की कार्यवाही की जाएगी, तो उनको इस वर्ष क्यों भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

श्रीमती दीपा—

जवाब दे तो दिया है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको 15 हजार प्रति अनुदान और घायलों को 10 हजार रुपये प्रति अनुदान दिया गया है मैं चाहूंगा कि जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को और जो विकलांग सैनिक हैं उनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था, जो विभिन्न प्राधिकरण द्वारा मकान दिए जाते हैं, मन्त्री जी उनको दिलाने की व्यवस्था करेंगी साथ ही उनको ऐसे रोजगार, जैसे सस्ते गल्ले की दुकाने हैं उनको आवंटित कराने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती दीपा—

माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है यह विकलांग सैनिकों के लिए की है या उनके आश्रितों के लिए की है ।

(माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर मेरा सवाल था ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैंने ओझा जी को बुला लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रदेश शासन की नीति है कि सेवा अवधि के दौरान जो कर्मचारी मर जाते हैं उनके वारिसों को उनकी योग्यतानुसार नौकरी आदि दी जाती है । यह लोग शहीद तो नहीं हुये बल्कि उनको शहीद करवाया गया और उनको वहां बंगाल भेजा गया जिससे वह वहां मर गये । तो क्या सरकार उनके आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार नौकरी देने का आश्वासन देगी ।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, हमारे पास सूचना है। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगी। बहुत सी चीजों में इन लोगों को आरक्षण दिया गया जैसे मेडिकल की पढ़ाई है, नौकरी है मेरे पास सूचना है अगर मान्यवर, कहें तो पढ़ दूं। लेकिन उसमें समय लगेगा।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, 2 बातों का मैं स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं। जैसा कि हमारे बदन सिंह जी ने कहा, सन् 71 में प्रदेश सरकार ने जो-जो सहूलियतें दी थीं, उनके लिये शहीद भवन बनाकर दिये थे, 5-6 जिलों में जैसे लखनऊ, बरेली आदि में इस प्रकार के भवन बनाकर दिये गये थे। तो क्या वर्तमान सरकार इन शहीदों के लिये उसी प्रकार से छोटे-छोटे भवन बनवाकर देने पर विचार करेगी? दूसरी बात यह है कि जैसा कि ओझा जी ने पूछा था, क्या सरकार उनके एक आश्रित को प्रदेश की सेवा में अनिवार्य रूप से रखेगी।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो भवनों की बात कही है तो उसको 1971 से जोड़ते हुये उन्होंने अपनी बात कही है। मैं उनसे यह जानना चाहती हूं किस तरीके से वह चाहते हैं, उस पर हम जरूर विचार कर लेंगे। माननीय सदस्य हमारे दल के हैं और पूज्य सैनिक रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। तो जैसा कि यहां कहा गया, जो सैनिक देश की रक्षा के लिए शहीद या अपंग हुये हैं उनके लिये जो भी हम कर सकते हैं उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात उन्होंने आरक्षण की कही तो यह सूची बहुत लम्बी है कहिये तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने की जरूरत नहीं है।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, सन् 71 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने यह आदेश दिया था कि हर शहीद सैनिक के लिये मकान बनाये जायेंगे तथा उस समय 5 हजार रुपया उनको अपने निजी मकानों की मरम्मत के लिये दिया गया था। उस समय एक कमरे के मकान जिसमें बाथरूम किचन वगैरह था वह उनको दिया गया था। तो क्या उसी के अनुसार ऐसा करने पर विचार करेंगे।

(उत्तर के लिये माननीय मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

डा० दिनेश जौहरी—

मान्यवर, जो सूची शहीदों की और घायलों की दी गयी है उसमें कुछ नाम छूट गये हैं। 2 महीने पहले बरेली के सेकेण्ड लेफ्टीनेंट जसवीर सिंह शहीद हुये थे लेकिन उनका नाम इस सूची में नहीं है। तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने जवान और अफसर शहीद हुये हैं या घायल हुये हैं।

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, मैं माननीय विधायक जी से कहूंगी कि अगर वह उत्तर देख लें तो बिल्कुल साफ हो जायगा। 31 दिसम्बर, 1988 तक की यह सूचना है। आपने 2 महीने पहले की बात कही है तो उसके अनुसार जनवरी की सूचना आप चाहते हैं जब कि मैंने

दिसम्बर तक की सूचना दी है। दूसरी चीज में यह कहना चाहती हूं कि हमारे पास यह आंकड़े, भारत सरकार मिलेट्री रिकार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराती है। मेरी तो प्रार्थना है कि जब भी हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिये जायें तो वह अपंग या हताहत होकर न आयें, सही सलामत आयें यह मैं प्रार्थना करती हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रश्नकर्ता श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ के क्षेत्र जिला बस्ती में सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच एवं दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 6 मार्च, 1987 को विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत डी0 सी0 यू0 सा0 नि0 वि0, बस्ती के विरुद्ध निर्माण कार्यों में जो उनके क्षेत्र में पड़ता है, घोर धांधली व अनियमितताओं की जांच की मांग की थी? यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्राविधिक सम्प्रेक्षा कोष्ठक द्वारा जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां।

जी हां।

प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद स्थित हरिजन आश्रम, विकास विद्यालय में व्याप्त अनियमितता व अधिग्रहण की कार्यवाही

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद स्थित हरिजन आश्रम, विकास विद्यालय (आश्रम पद्धति) में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने 25 दिसम्बर, 1981, 23 मार्च, 1982, 4 अक्तूबर, 1988 तथा तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति ने 21 नवम्बर, 1988 को उक्त विद्यालय के अधिग्रहण किये जाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो जनहित में उक्त विद्यालय के अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शैलेन्द्र कुमार—

जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 1981 तथा 24 फरवरी, 1982 शासन को प्राप्त हुये हैं एवं दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के पत्र के बारे में जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्राप्त पत्रों में तथा परामर्शदात्री समिति ने इस संस्था को अधिग्रहण करने का अनुरोध/संस्तुति की है।

प्रबन्धाधिकरण के अन्तर्गत, अन्तर्ग्रस्त विवाद को देखते हुए एवं अनियमितताओं के फलस्वरूप वर्ष 1981 से संस्था के संचालन तथा भुगतान का कार्य जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद को सौंपा गया है। प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त अधिकार की वापसी हेतु माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसके संदर्भ में शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही अभी परीक्षाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन आश्रम, विकास विद्यालय (आश्रम पद्धति) जो चलाया जा रहा है, उसमें तमाम हरिजन अनाथ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। चूंकि कई वर्षों से इस विद्यालय में अनियमितताएं चल रही हैं, इसमें जो ट्रस्टी हैं, वे यहां के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां पर विद्यार्थियों को न तो कपड़ा-खाना मिलता है और न ही यहां के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन मिलता है। यहां पर तमाम अनियमितताएं व्याप्त हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने और जिला हरिजन एवं समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति ने सिफारिश की है कि इसको अधिग्रहण कर लिया जाय, लेकिन इसमें शासन विलम्ब कर रहा है और यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि यह वाद कब दायर किया गया है और शासन की तरफ से विलम्ब करने का क्या कारण है?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दिलवा दूंगी। लेकिन मैं इतना जरूर बधाई देना चाहती हूं कि हमारे विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आप लोग खुश हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और आपकी भावना को देखते हुए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि उच्च न्यायालय में इसकी कार्यवाही चल रही है। इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि इसको मैं दिखवा लूंगी।

श्री ईश्वर शरण दिवार्थी—

1971 के बाद यह हरिजन आश्रम करोड़ों की सम्पत्ति का स्थान रहा है। जैसे ही 1971 के बाद चुनाव हुआ और कांग्रेस शासन से जनता सरकार आई, उसी के बाद ही यहां पर राजनैतिक प्रबन्ध समिति में लोग मनोनीत किये गये, तब से वहां पर लूट-खसोट और जमीन पर कब्जा और इस तरह की अनियमितताएं व्याप्त हैं। मैंने उसके बाद विगत सत्र में ही भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग नियम 301 के अन्तर्गत की थी, जिसके विरुद्ध शासन द्वारा जांच के आदेश दिये गये और उनकी जांच अधिकारी एडीशनल मजिस्ट्रेट श्रद्धा देवी, जनपद इलाहाबाद को नियुक्त किया गया था, इस सम्बन्ध में उन्होंने यहां की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार तथा अधिग्रहण करने की कार्यवाही की एक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई? तो उसपर क्या कार्यवाही की गई अगर मन्त्री जी को जानकारी हो तो मंगाकर क्या उस पूर्व जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे? जब कि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें रुचि ले रही हैं बड़ा लगाव है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय की पहली जो एक जांच रिपोर्ट सबमिट है वह जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है, उस पर क्या कार्यवाही की गई है अगर कार्यवाही की गई है तो क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे और कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या उस जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा अगर इस प्रकार उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के पहले जांच हुई है तो उसको हम दिखवायेंगे कि क्या हो सकता है, विचार करेंगे क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय एक सदस्य ने एक प्रश्न किया और प्रश्न के दौरान उन्होंने बताया कि जनता पार्टी के शासनकाल में उसका राजनीतीकरण किया गया है लेकिन मान्यवर, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस समय प्रबन्ध समिति में श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आई के हैं । श्री हरि स्वरूप निगम सत्तारूढ़ दल के, कांग्रेस आई के, प्रबन्ध समिति में, श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सत्तारूढ़ दल के हैं । मान्यवर, ये सभी लोग सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित हैं और इन लोगों के क्रियाकलापों की एक विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने 25 दिसम्बर, 1988, 24 फरवरी, 1988 और 4 अक्तूबर, 1988 को भेजी है ।

मान्यवर, नवम्बर, 1988 में जिला हरिजन परामर्श दात्री समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस पर गम्भीर रूप से चिन्ता प्रकट की गई और उसने भी अपनी सलाह से शासन को अवगत कराया था । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह हरिजन आश्रम जो हरिजनों का विद्यालय ही नहीं बल्कि एक आदर्श संस्था है, इसमें तमाम तरह की योजनायें चल रही हैं उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन पर कांग्रेस आई के लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसके पास जो ट्रैक्टर था, ट्यूब वैल थे, अस्पताल था उस पर इन लोगों ने अपना मवेशी खाना खोल रक्खा है तो इस सबको देखते हुए इसके अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक करा देंगे और न्यायालय में जो विवाद चल रहा है उसकी कार्यवाही सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित है इसलिए इसमें जानबूझकर विलम्ब हो रहा है तो इसकी शीघ्रातिशीघ्र पैरवी कराकर कब तक कर लेंगे ?

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है । जैसा माननीय सदस्य ने बात कही है, इसको दिखलवा लेंगे कि क्या हो सकता है ?

मेसर्स प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लि०, सीतापुर के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिलाने तथा देयों की अदायगी के विषय में प्रश्न

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लि०, सीतापुर के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिलाने तथा अवशेष देयों की अदायगी

आदि के बारे में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कर्मचारी संगठन का कोई पत्र 20 नवम्बर, 88 से 22 दिसम्बर, 88 के बीच किसी दिन उन्हें मिला है ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा वन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री अवधविहारी पाण्डे)--

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 88 के साथ प्लाईवुड कर्मचारी संगठन का पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 88 तथा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 88 के साथ प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 88 एवं 24 नवम्बर, 88 प्राप्त हुए हैं ।

उपरोक्त पत्रों में ग्रेच्युटी के धन को ट्रस्टखाते में जमा करने, रिटायर्ड व मृतक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान मई, 88 से जमा कराए जाने, कर्मचारी राज्य बीमा नियम में ई0 एस0 आई0 योजना के तहत मई, 88 से अंशदान जमा कराए जाने, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सीतापुर में पुरुष व महिला चिकित्सक की नियुक्ति, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिलाने, सरकारी संरक्षक की नियुक्ति, 1 जनवरी, 88 के समझौते का परिपालन, विलम्ब से वेतन भुगतान पर 25 प्रतिशत कर्मचारी के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान कराये जाने, तैयार माल की बिक्री का धन अन्य खाते में जमा कराये जाने, कारखाने के अधिकृत सेल डिपों के वित्तीय साधनों पर अधिकाधिक कर्ज लेकर दूसरे उद्योग में लगाये जाने का षडयंत्र, फैक्ट्री को बीमार/सिक यूनिट बनाकर अवैधानिक छटनी का षडयंत्र, श्रमिकम एवं वेतन निर्धारण पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में प्रमुख मांगें हैं ।

पक्षों के मध्य हुए समझौता दिनांक 1 जनवरी, 88 के उपरान्त दिनांक 6 फरवरी, 88 तक चार कर्मचारियों की मृत्यु हुई है । इन मृत कर्मचारियों के आश्रितों में से तीन के आश्रितों को आवश्यकता पड़ने पर कार्य दिया गया है । तथा कथित 25 सेवा निवृत कर्मचारियों में से वर्तमान में 19 ऐसे कर्मचारी अभी भी कार्य पर लगाये रखे गए हैं । 5 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । शेष एक कर्मचारी ने सेवा निवृत्त के उपरान्त ग्रेच्युटी न मिलने के बारे में आथारिटी के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है ।

भविष्य निधि एवं ई0 एस0 आई0 योजना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा नियम में अंशदान जमा करने का मामला भारत सरकार द्वारा देखा जाता है तथा इस सम्बन्ध में उन्हें लिखा गया है । वर्गीकरण की कार्यवाही भी क्रम में है ।

विलम्ब से वेतन भुगतान किए जाने के फलस्वरूप रु0 25 प्रति श्रमिक के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किए जाने का कारखाना अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसके अन्त में कहा है कि श्रमिकों के वर्गीकरण की कार्यवाही भी क्रम में है । मान्यवर, वहां पर कर्मचारी अनेक वर्षों से अनेक मांगों पर बल देते रहे हैं, लेकिन उनकी मुख्य मांग यह है कि कार्यरत कर्मचारियों का क्लासीफिकेशन कर दिया जाय । माननीय मंत्री जी ने कहा वर्गीकरण की कार्यवाही क्रम में है, तो इसकी प्रगति क्या है ? कितना काम हो चुका है और वर्गीकरण का कार्य अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, वर्गीकरण के सम्बन्ध में हमारी प्रेस्काइब्ड अथारिटी ने उनसे कहा कि जो अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक और क्लेरिकल वर्ग–1 और क्लेरिकल वर्ग–2 के लोग हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए वर्गीकरण के लिए लेबर कमिश्नर द्वारा ट्रिब्युनल को निर्णय के लिए संदर्भित किया जा रहा है। इसमें शीघ्र निर्णय हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभिकरण को संदर्भित किया गया है। मान्यवर, इसमें मामला क्या है, मामला वहां क्यों गया ? मैं स्वयं उस यूनियन का प्रेसीडेंट हूं। जब कर्मचारियों और मालिकों के बीच समझौता हो गया, तो इसके बाद क्या परिस्थितियां हुईं कि मामला अभिनिर्णय में आ गया। मंत्री जी ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच 1 जनवरी, 88 को समझौता होने के उपरान्त दिनांक 6 फरवरी, 88 तक चार कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इनमें से तीन के आश्रितों को समय–समय पर काम दे दिया है। तो समझौता होने के बाद एक माह में चार कर्मचारियों की मृत्यु हुई। ऐसे न जाने कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई होगी जिनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जब परमानेंट कैडर के इम्प्लायी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर उनके आदमी को न रखकर कैजुअल को रखने का क्या कारण है ? ऐसे कितने कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके कितने आश्रितों को काम दिया गया है ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, जो श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच समझौता हुआ उसमें जब यह सूचना शासन को आयी कि विभिन्न पदों का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तब यह मामला संदर्भित किया गया। दूसरे यह कहना कि कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई और उनके कितने आश्रितों को कार्य दिया गया, मान्यवर, दिनांक 1 जनवरी, 1988 से दिनांक 6 फरवरी, 1988 के बीच कारखाने में 4 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। पहले रामकिशन की मृत्यु दिनांक 16 मार्च, 1988 को हुई, इनके आश्रित श्री इतवारी लाल को नियुक्त किया गया, दूसरे श्री मुहम्मदीन की मृत्यु दिनांक 14 मई, 1988 को हुई जिनके आश्रित श्री रफी को नियुक्त किया गया, तीसरे श्री रजी मुहम्मद की मृत्यु दिनांक 7 जून, 1988 को हुई जिनका कोई आश्रित नौकरी के लिए नहीं आया तथा चौथे श्री बनारसी सिंह की मृत्यु दिनांक 14 मार्च, 1988 को हुई जिनके पुत्र को लिपिक पद पर नियोजित किया गया लेकिन वह स्वयं काम छोड़कर चला गया।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, यह प्राविधान है कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिये। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 5 अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुल ऐसे कितने अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं जो कि ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं और उनको ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं। लेकिन उसमें ग्रेच्युटी देने का जो नियम है उसमें पात्र वही होता है जो या तो सेवायोजक की सेवा से रिटायर हो जाय, उसकी मृत्यु हो जाय, निष्कासित कर दिया जाय या स्वयं

रिजाइन कर दे । इन परिस्थितियों के बाद जब उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तब हम उन्हें लेबर ला के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान कराते हैं । 25 में से 5 रिटायर हो गये, उनका भुगतान किया गया है । श्री बनारसी सिंह का 9,928.80 रु0 दिनांक 14 जनवरी, 1989 को दिया गया, श्री मो0 दीन 2,772.00 रु0 दिनांक 24 नवम्बर, 1988, मो0 रजी 11,679 रु0 14 जनवरी, 1989 को किया गया, मो0 इस्माइल 8,000 रु0 16 सितम्बर, 1988 को किया गया, जहांगीर 8,931 रु0 दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 को किया गया । जो शेष 20 कर्मचारी हैं उन्हें सेवायोजक ने रिटायर नहीं किया है, सेवायोजन में रखा है, तब तक काम करते रहेंगे ग्रेच्युटी के हकदार नहीं बनते हैं । जब वे रिटायर होंगे, उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी तो उन्हें बुलायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने बताया कि कुछ लोगों को ग्रेच्युटी मिल गयी । जिन लोगों को नहीं मिली, मिल मालिकान पैसा नहीं दे रहे हैं, वे काम पर चले जाते हैं, वैसे वह जाना नहीं चाहते हैं । इसमें आपने उत्तर में लिखा है, शेष एक कर्मचारी ने सेवा निवृत्त के उपरान्त ग्रेच्युटी न मिलने के बारे में एथारिटी के समक्ष कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है । जिनको ग्रेच्युटी दिला पाये वाद प्रस्तुत करने के बाद ही दिला पाये । यह क्या स्थिति है कि यदि कोई न्यायालय में वाद में न जाय तो उसे न्याय नहीं मिल सकता है । जो नियमों में प्राविधान है, उस आधार पर तत्काल मिलना चाहिये । इस पर आपका ध्यान गया है ? जितनों ने वाद प्रस्तुत किये, उनको दिला पाये, बाकी को न दिला पाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल--

जो पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट 1972 है, श्रमिक को अगर रिटायर होने के बाद नहीं मिलती है उसका मामला कंट्रोलिंग अथारिटी के पास जाता है जैसे लखनऊ में कंट्रोलिंग अथारिटी डिप्टी लेबर कमीशनर हैं । वह आर0 सी0 इश्यू करते हैं जैसे लैंड रेवन्यू में की जाती है, सेक्शन में । 5 श्रमिक रिटायर हो गये उनका भुगतान कर दिया गया । 20 के बारे में माननीय सदस्य ने भी कहा कि सेवायोजन में जाते हैं उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है । जब उन्हें रिटायर सेवायोजक कर देंगे तब अगर उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो निश्चित ही कन्ट्रोलिंग अथारिटी उन्हें ग्रेच्युटी दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सहारनपुर के ज्वालापुर से लक्सर मार्ग के निर्माण हेतु ली गई काश्तकारों की भूमि व मुआवजा

*1—श्री राम शरण दास—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम धनपुरा परगना ज्वालापुर पूर्व तहसील रुड़की वर्तमान तहसील हरिद्वार के काश्तकारों की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क (ज्वालापुर से लक्सर तक) के लिए वर्ष 1958 में अधिग्रहीत कर ली गयी थी और उस कब्जा लेकर सड़क का निर्माण करा दिया गया था ? क्या उन किसानों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि सड़क के लिए अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

जनपद सहारनपुर (अब जनपद हरिद्वार) में ज्वालापुर से लक्सर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी। अतएव, इस हेतु मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठा।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, जमीन किसानों की अधिग्रहीत नहीं की गयी जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन कर विभाग ने सड़क बनायी, इसे बताने का कष्ट करें।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, कोई जमीन नहीं छीनी गयी। यह सड़क पहले से बनी हुई है, आज से 30 साल पहले से सड़क बन चुकी थी।

श्री राम शरण दास—

आप यही बता दें कि उस समय यह सड़क किस विभाग में थी फिर इन्होंने कब बनायी, 30 वर्ष का ज्ञान ही बता दें कि क्या है ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यहां पर चकबन्दी का नोटिफिकेशन सन् 1959 में हुआ था उस वक्त ए0 सी0 ओ0 ने यहां पर इसका सर्वे कराया। 1959 में चकबन्दी में ए0 सी0 ओ0 ने उस जमीन को सड़क पाया। अप्रैल, 1960 में आदेश किया कि सड़क चकबन्दी के पहले से पुख्ता बनी है। अतः काश्तकारों का नाम खारिज कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम सड़क भूमि दर्ज कर दी जाय। इस प्रकार 32 गाटों (क्षेत्रफल 21 बीघा 9 बिस्वा) का इन्द्राज, सड़क पुख्ता का नाम अंकित है। उसमें यही था कि यहां पर किसानों के नाम पर जमीन नहीं है। लगान पड़ता था उसको कम कर दिया गया है।

[शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

झांसी जिले के मौंठ में बाई पास बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता कुं0 मानवेन्द्र सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें झांसी जिले के कस्बा मौंठ के अन्दर से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए मौंठ में बाई पास (झांसी कानपुर मार्ग पर) बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है। जिला अधिकारी झांसी को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं। इससे पहले भी एक बार यह प्रश्न उठा था, राज्य सेक्टर और जिला सेन्टर का। इस प्रश्न को टालने की दृष्टि से कह दिया कि यह जिला सेक्टर का कार्य है। मेरा कहना यह है कि मोंठ कस्बा राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और मोंठ कस्बे के बीच से 2 फर्लांग की लम्बाई में यह पड़ता है, यहां लगभग 22 फुट चौड़ी सड़क है। मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे होने के कारण इसे जिला सेक्टर में न रख कर और मोंठ कस्बे को राष्ट्रीय मार्ग की महत्ता को देखते हुये राज्य सेक्टर से बाईपास बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् यह तो बहुत छोटा कस्बा है और केवल 500 मीटर आता है। इससे तमाम बड़े-बड़े और कस्बे इस प्रदेश में हैं, जिन पर बाईपास अब नहीं बन पाया है। इतने छोटे कस्बे में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। वैसे इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट को लिखा गया है, यदि वहां से कुछ लिख कर आया, तो कार्यवाही होगी।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि बहुत छोटा कस्बा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बाईपास को आप आवश्यक समझते हैं। यह राष्ट्रीय मार्ग है और राष्ट्रीय मार्ग में बाईपास का निर्माण जिला योजना के अन्दर कैसे आयेगा, यह काम दूसरे विभाग का है। या तो मन्त्री जी यह कहें कि यह बाई पास अनावश्यक है अथवा इसे अपने विभाग द्वारा बनवाने की कृपा करें।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् इसे शासन ने तो आवश्यक समझा नहीं, इसी वजह से जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है, यदि वह आवश्यक समझेंगे, तो रिपोर्ट पेश करेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, वहां तहसील मुख्यालय है, ब्लाक मुख्यालय है, बड़ा टाउन एरिया है और मन्त्री जी कह रहे हैं कि 500 मीटर आता है। मैं कह रहा हूं कि कम से कम 2 फर्लांग आता है।

श्री अध्यक्ष—

अब उन्होंने कह तो दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है।

मेंहदी घाट गाइड बांध हरदोई के निर्माण में बोल्डरों के भुगतान की भिन्नता के कारणों की जांच

*2—श्री अशोक बाजपेयी एवं श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी है कि मेंहदी घाट गाइड बांध हरदोई के निर्माण में आपूर्ति किये गये बोल्डरों को पुल के एक तरफ फर्रुखाबाद जनपद में 190 रुपये घन मीटर एवं दूसरी तरफ हरदोई जनपद में 380 रुपये घन मीटर की दर से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो 1 कि0मी0 के अन्तर में दरों में दुगुनी के क्या कारण हैं ? क्या शासन इसकी जांच कराके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

इस मामले की गहराई से छानबीन कराई जा रही है ।

छानबीन के पश्चात् मामले में यथानियम तथा यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मंजेजर सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि छानबीन किस एजेन्सी से कराई जा रही है क्योंकि यह मामला फर्रुखाबाद और हरदोई जनपदों में दोहरी दरों के अन्तर का और इसमें कार्यवाही कब तक करवायेंगे और क्या आप स्वयं इस मामले में रुचि लेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यह जांच प्रमुख अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता को दी थी और इसकी रिपोर्ट आयी है, उसमें परीक्षण हो रहा है और उसी आधार पर कार्यवाही सम्भव होगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रमुख अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता जांच दी है । यह जांच रिपोर्ट शासन के पास आ गयी है और जिसका परीक्षण कराया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह कब का मामला है, किस वर्ष की सप्लाई का मामला है, कितने रुपये की सप्लाई का मामला है और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस जांच रिपोर्ट में सम्बन्धित विभाग के मन्त्री को भी भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सत्ता दल के विधायकों द्वारा अखबारों में एक आरोप प्रकाशित हुआ है और उन्होंने मांग की है, उच्च कमान से, कि भ्रष्टाचार में लिप्त मन्त्रियों को हटाया जाय, जिसमें माननीय अम्मार रिजवी का नाम भी है । इस जांच आख्या में उनके बारे में कुछ है या नहीं और यह जांच आख्या कब की है ?

श्री विश्वनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् यह मार्च सन् 1988 का केस है और इसमें कोई किसी मन्त्री का रिश्ता नहीं है, न सम्बन्ध है । यह गाइड बन्ध का मामला है, जो गंगा जी के पुल से अलग बहने लग जाने से सम्बन्धित है, इसमें बोल्डर सप्लाई का मामला है, जिसका टेन्डर खनिज निगम को दिया गया ।

कुमायूं मण्डल, खनिज विकास निगम, इलाहाबाद मण्डल, इन्होंने काम नहीं किया। मार्च से लेकर जून तक इस काम को पूरा होना था । यदि नहीं पूरा हो पाता तो पुल बह जाता । इसलिए इसमें जल्दी से काम किया गया और पुल को बहने से बचाया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक डिस्टेन्स पर तो 190 की सप्लाई हुई है और कुछ चन्द किलो मीटर आगे 380 की सप्लाई हुई है । दुगना फर्क है, जो भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है । जो जांच रिपोर्ट आई है, वह क्या है ? क्या उसे माननीय मन्त्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

190 की जो सप्लाई दिखाई गई है वह केवल सड़क पर है और जो 380 के हिसाब से दिखाया गया है, वह सड़क के बन जाने के बाद 13 कि0 मी0 कच्चे को ले

जाने और फिर नाव से ले जा कर गाइड बन्ध बनाने की बात थी, जिस पर बहुत खर्च आया।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि मुख्य अभियन्ता से जांच कराई गई। आप भी इस बात को जानते हैं कि मुख्य अभियन्ता और एक्जेक्यूटिव इंजीनियर का बहुत खून रिश्ता हो गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच प्रमुख अभियन्ता श्री धर्म वीर सिंह जी को स्वयं सौंपने की कृपा करेंगे ? क्योंकि हमें उन्हीं की जांच पर भरोसा है।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, किसी की नियत पर शंका करना मुनासिब बात नहीं है। प्रमुख अभियन्ता का जो नोट है उसमें लिखा है कि दरों का अन्तर बहुत ही कठिन परिस्थितियों और अल्प समय में बढ़े हुये कार्य को पूरा करने के कारण रहा है, इसके लिए किसी विभागीय व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

गोरखपुर जनपद में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा बनाये गये आवास

*3--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1986-87 में गोरखपुर जनपद में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा कुल कितने आवास निर्मित कराये गये ? क्या यह सही है कि 1150 आवास मात्र पनियरा विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये और गोरखपुर जनपद के अन्य क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाये ? यदि हां, तो सम्बन्धित आवास का निर्माण किसके आदेश से उक्त क्षेत्र में कराया गया और इसका क्या औचित्य था ?

श्री शैलेन्द्र कुमार--

वर्ष 1986-87 में जनपद गोरखपुर में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा 1060 आवास निर्मित कराये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1986-87 में जनपद गोरखपुर में हरिजन एवम् निर्बल वर्ग आवास निगम की तरफ से 1060 घर बनवाये गये थे। ये किन-किन क्षेत्रों में बनवाये गये थे और इनके चयन का क्या आधार था ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, हमारा जो हरिजन निर्बल वर्ग आवास निगम है, उसका काम है केवल निर्माण करना। जहां उसको निर्माण कार्य दिया जाता है उसी आधार पर वह बनता है, यह जो गोरखपुर में बनाये गये हैं, उसकी जो सूची होगी, वह बी0 डी0 ओ0 ने दी होगी, फिर वह हरिजन कल्याण अधिकारी के पास आई होगी, फिर डी0 एम0 के द्वारा हरिजन कल्याण विभाग में आई होगी। वहां से काम दिया जाता है उसी के आधार पर यह निगम उस क्षेत्र में निर्माण का कार्य कर देता है। किस-किस जगह पर बनाये गये हैं।

वह में बनाती हूं। पनियरा में 443, कम्पियरगंज में 306, धानी में 269, मगहा में 8, चरगांवां में 5, मिठौरा में 11, फरेन्दा में 10, कौड़िया में 10, पिपरौली में 15, सरदारनगर में 8, भटहट में 6, सिसवां में 20, परतावल में 5, बेलघाट में 13, धानी में 13 और घुघली में 8, इस प्रकार कुल 1150 आवास हैं, जिसमें से 1,060 आवास निर्मित हो चुके हैं एवं 90 आवास निर्माणाधीन हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, श्री हर्षवर्धन जी का प्रश्न था कि वितरण का आधार क्या था ? प्रश्न यह नहीं है कि निर्बल वर्ग आवास निगम बनाता है या नहीं, सवाल यह है कि जो 1,060 आवास बने, उनका वितरण किस आधार पर हुआ ? माननीया मंत्री के उत्तर के सन्दर्भ में पनियरा में 443 और उसी विधान सभा क्षेत्र के कम्पियरगंज ब्लाक में 306 धानी में भी बने हैं। इस प्रकार 1,060 में से 900 के लगभग तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बंट गये। क्या यह राजनीतिक पक्षपात नहीं है ? किस आधार पर हरिजन आवासों के निर्माण का निर्णय जिला स्तर पर लिया गया ? डी0 आर0 डी0 ए0 में उन पर कोई चर्चा नहीं। जब डी0 आर0 डी0 ए0 का कोई प्रस्ताव नहीं है तो किस आधार पर उन का वितरण हुआ ? 1,060 में से 100 एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बनाये गये।

श्रीमती दीपा—

तो नहीं हैं 749 हैं। मैंने पनियरा और कम्पियरगंज की बात कही है। यह सूचना जिलों के ब्लाक लेवल से ही आती है और जिलाधिकारी के माध्यम से ही आती है। हमें जो सूचना मिलती है, निर्बल वर्ग आवास निगम को दे दिया बनवाने के लिये। आपकी जो जानकारी है, जो आपने हमें दी है, उस पर दिखवा सकते हैं, आपको जानकारी दिलवा देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि वितरण किस आधार पर हुआ है ? ब्लाक तो बांट नहीं सकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि 1,060 आवासों का वितरण पूरे जिले में किस आधार पर हुआ कि 900 केवल पनियरा में ही चले गये ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, 1986-87 की बात है, कहना चाहूंगी कि जो मकान हैं पूरे बन गये हैं जो पूरे नहीं बन पाये हैं उनका भी निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। मैं जरूर चाहूंगी कि कहीं पर अगर कम बने हैं तो इस साल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये 2.50 लाख मकानों के लिये इस साल कहा गया है। कोई रह गया है तो सूचना दे दीजिये, आपको जो जानकारी है उसको दिखवा कर बता देंगे। जिले के स्तर से जो प्रस्ताव आया था, उसी के हिसाब से बने हैं। अगले साल के लिये 3 लाख मकान बन रहे हैं। जो जानकारी पहुंची होगी उसी आधार पर बने होंगे।

श्री मनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन निर्बल वर्ग को आवास के आवंटन के लिये क्या मानक हैं और इसके लिये शासन के क्या निर्देश हैं कि इसकी स्वीकृति क्षेत्र समिति के माध्यम से होगी या फिर डी0 आर0 डी0 ए0 से होगी या फिर शासन के द्वारा होगी जिसे कि जिलाधिकारी करेंगे ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, जिस बात का यह जिक्र है उस वक्त कोई खास मानक नहीं थे। उस वक्त जो डाक स्तर पर अधिकारी थे, उनकी ही संस्तुति पर यह बनते थे। हां, अब मानक बन गये हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें स्थान को चयनित करने में गांव सभा क्षेत्र समिति के माध्यम से प्रस्ताव करती है और इसमें डी0 आर0 डी0 ए0 के द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। हरिजन समाज कल्याण विभाग से स्थान को चयन करने का कोई मतलब नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है ?

श्री शैलेन्द्र कुमार—

सम्मानित सदस्य ने सही जानकारी दी है कि इसका ग्राम सभा के स्तर से प्रस्ताव आता है। आवास बनाने की योजना डी0 आर0 डी0 ए0 देता है। हमारा विभाग केवल निर्माण का कार्य करता है विधायक भी उसके सदस्य होते हैं

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जिस बात में जानने की इच्छा है कि दस सौ तक जो यह मकान बने हैं यह सब भू0 पू0 मुख्य मंत्री के क्षेत्र में ही बने हैं। इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने सारे मानक ताक रख कर, शासकीय निर्देशों को छोड़कर केवल एक ही क्षेत्र में सारे मकान बना दिये। इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न के साथ न्याय हो सके, इसलिये इसको आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो कहा है, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष —

वे कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, यह आप पक्षपात कर रहे हैं। मान्यवर, आप ही हमें संरक्षण दें क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है सारे जनपदों की उपेक्षा हो रही है। जितने मंत्री हैं या जितने मुख्य मंत्री हैं उनके क्षेत्रों में ही केवल काम हो रहा है इसलिये आप इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंपने की कृपा करें ताकि इस प्रश्न के साथ न्याय हो सके।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, आप भी अवगत हैं, पिछले सत्र में आपने स्वतः कहा था कि आप भी इसके शिकार हुए हैं मान्यवर जिस तरह से राजनैतिक दबाव होता है और पक्षपात किया जाता है इससे हम सबको बहुत क्षोभ होता है। शासन द्वारा निर्माण योजनाओं के लिये जो धन का आवंटन होता है, उसमें हम लोग अपने क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रही हैं, वे कह रही हैं कि इसे हम दिखवा लेंगे, इसलिये श्रीमन्, इसको आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें, वह स्वयं ही इसको देख लेगी। तो श्रीमन् प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें, यही सदन की मंशा भी है और माननीय मंत्री जी भी इसको दिखवाने को कह रहे हैं, तो वहां प्रश्न संदर्भ समिति इसे देख लेगी।

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, इसमें कोई चीज छिपाने की कोई बात नहीं है, इसमें सभी कुछ तो स्पष्टतया दे दिया गया है, इसीलिए जरा जल्दी न करें मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जब भी कहीं कोई नया प्रोग्राम बनता है, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां और खामियां होती हैं, जिसके लिए हमने कह दिया है कि हम दिखवा लेंगे और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने ढाई लाख मकानों के बनाने की और बात कही है, यह योजना बन भी गयी है, तो इधर जो कमी-बेशी होगी, वह इस योजना से पूरी हो जायेगी। हम लोग तो मात्र निर्माण का काम करते हैं, जहां से जो मांग आ गयी उसके अनुसार बना दिए जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने कहा कि और भी जो आसानी होगी, उसको भी हम दिखवा लेंगे। (एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर जोर से बोलने के कारण उत्पन्न (व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन--

नहीं मान्यवर यहां पर सरासर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर रोक लगायी जानी चाहिए एक ही विधान सभा क्षेत्र में 900 मकान बना दिए गये, जबकि

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप जहां पर भी व्यक्तिगत रूप से कोई बात उचित नहीं समझते हैं, तो वह मामला माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, वह दिखवा लेंगी। प्रश्न नं0 4, कृपया शांत रहें। ऐसा ही है तो आप नियम 49 में चर्चा मांग लीजिए। कृपया बैठें,....

श्री हर्ष वर्धन--

नहीं मान्यवर, यह नहीं (बहुत जोर से बोलते हुए। मान्यवर

[× × ×

लि[illegible] क्या दे दें, इसमें ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है....

(शोर व्यवधान)

90 मकान एक विधान सभा क्षेत्र में और दूसरी विधान सभा क्षेत्रों में 160 घर ही बनाए गये हैं, जिसमें 14 ब्लाक शामिल हैं, अन्याय नहीं हो रहा है तो और क्या है ?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् इसमें चर्चा कहां पर होगी ? यहां पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट आ गयी जो आपके संज्ञान में भी है कि एक क्षेत्र में ही 900 घर बना दिए गये, अब यह मकान जो बन गये हैं, वह गिराये तो जायेंगे नहीं, लेकिन इनकी यह जो प्रवृत्ति है अब चाहे यह राजनीतिक दबावबश बने या किसी और कारण बने यह जो जब जांच होगी, बात स्पष्ट हो जायेगी, लेकिन इस प्रवृत्ति पर आखिर अंकुश कैसे लगेगा ? जब यह समिति जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके अनुसार जब कार्यवाही की जायेगी तो इससे ऐसे लोगों पर भविष्य में अंकुश लगेगा। और इनकी इस प्रवृत्ति पर कुछ रोक लगेगी, इसलिए आपका संरक्षण बहुत आवश्यक है, ताकि ऐसे लोगों पर कुछ अंकुश लगा रहे।

इसलिये आप इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री राम शरण दास--

प्रदेश के किसी भी चुनाव क्षेत्र में 100-50 से ज्यादा मकान नहीं बने हैं, तो यह खास बात है कि पनियरा क्षेत्र में 900 मकान बना दिये गये। कोई मंत्री बतायें कि उनके किस क्षेत्र में कितने बने हैं, 100-50 से ज्यादा नहीं बने होंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोसाईगंज कस्बे के दक्षिण मड़हा नदी पर जर्जर पुल को नये सिरे से बनाये जाने की मांग

*4--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोसाईगंज भीटी रोड पर गोसाईगंज कस्बे के दक्षिण मड़हा नदी पर पुल काफी जर्जर हो गया है और उसकी शीघ्र मरम्मत न कराने पर किसी भी समय भारी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो उक्त पुल का नये सिरे से निर्माण कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

पुल पुराना है परन्तु पुल की मरम्मत समय-समय पर कराई जा रही है और यातायात चालू है।

नये पुल का निर्माण कराने पर विचार किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में आप का मैं संरक्षण चाहूंगा कि हमारे दो प्रश्न इसी तरह के हैं, एक तो तारांकित प्रश्न सं0 4 और दूसरा अतारांकित प्रश्न सं0 69 है, वह दूसरे पुल के बारे में है और दोनों में एक समान उत्तर आया

है । जिन पुलों पर यातायात होता है और सरकारी रोडवेज की बसें चलती हों, इम्पोर्टेन्ट सड़कें हैं, और उनके पुल जर्जर हो गये हैं, तो क्या आप उन पुलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित करायेंगे और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह पुल एन0 एच0 डी0 में ले लिया जायेगा या नहीं और अगर नहीं लिया जायेगा तो उसका क्या कारण है और क्या इस साल की जब एन0 एच0 डी0 बनायी जायेगी, उसमें लेकर राजाज्ञा जारी कर दी जायेगी ।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जिस पुल की बात तिवारी जी कह रहे हैं, वह पुल तो चालू हालत में है । यह बोर्ड लगा दिया गया है कि 5 टन से अधिक की गाड़ियों के लिये नहीं है, लेकिन उस पुल पर सभी ट्रकें चलती हैं । पुल की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1989-90 की प्रमुख अभियन्ता की सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा और साधनों को देखते हुये शासन इस पुल के बनाने पर विचार करेगा ।

प्रदेश के चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति द्वारा निर्मित स्थायी आदेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना

*5--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित स्थायी आदेशों को दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसे कब तक प्रकाशित करा दिया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)--

चीनी उद्योग के लिये निर्मित स्थायी आदेश शासकीय अधिसूचना संख्या 5692 (एच0 आई0)/36-2-110(एच0 आई0)/77 दिनांक 27 सितम्बर 1988 के अन्तर्गत उ0 प्र0 असाधारण गजट, दिनांक 27, सितम्बर, 1988 में प्रकाशित हो चुका है ।

बाल संरक्षण गृहों में व्याप्त अनैतिकता तथा बाल अपराधियों के सुधार के लिए मूलगामी योजना

*6--राज किशोर सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल संरक्षण गृहों में व्याप्त अनैतिकता व भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा बाल अपराधियों के सुधार के लिए कोई मूलगामी योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री शैलेन्द्र कुमार--

बाल संरक्षण गृहों के नाम से कोई संस्था विभाग के अन्तर्गत संचालित नहीं है । अतएव व्याप्त अनैतिकता व भ्रष्टाचार के समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है । अपराधियों के सुधार के लिए कोई मूलगामी योजना शासन के विचारधीन नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

(सत्ता पक्ष के ओर कुछ मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपके आने पर इन लोगों ने मेजे थपथपाई, क्या यह लोग आपसे बहुत प्रसन्न हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

पता नहीं किस मामले में थपथपा रहे हैं ?

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने गोलमोल उत्तर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के वह बच्चे जो घूमते रहते हैं, भीख मांगते हैं या जिनको सजा हो जाती है और उनके लिए कोई इन्तजाम नहीं होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नाबालिक बालक हैं, जो छोटे-मोटे अपराधों में सजा पा जाते हैं, उनको आप कहां पर रखते हैं और जिस स्थान पर आप रखते हैं, उसको किस नाम से पुकारते हैं ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, ऐसे बच्चों के लिए जिनके बारे बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उन्हें हम बाल संप्रेक्षण गृहों में रखते हैं । उनके लिए सन् 1986 में एक किशोर न्याय अधिनियम बना था उसके अधीन हमने 53 बाल सम्प्रेक्षण गृह बनाये हैं और उनके अन्तर्गत हम ऐसे बच्चों को रखते हैं जहां पर उनके रहने के लिए, खाने के लिए, शिक्षा के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए मनोरंजन के लिए, संगीत वगैरह जो वे सीखना चाहते हैं उनके लिए, खेलकूद आदि के लिए व्यवस्था करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं । वहां पर उनकी रक्षा भी पूरी होती है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम ऐसी कोई संस्था नहीं चलाते हैं इसलिए उसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता है । मान्यवर, इस तरह का उत्तर विभाग ने कैसे दिला दिया कि इस तरह कोई संस्था नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, उनके प्रश्न में है कि क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे बाल संरक्षण गृहों में जो हम चलाते हैं....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने कहा कि हम यह नहीं चलाते हैं । मैंने उनके अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम बाल सम्प्रेक्षण गृह चलाते हैं । मैंने स्पष्टीकरण किया है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जहां आप इन बच्चों को रखते हैं उनमें हर बच्चे पर प्रति दिन और प्रति माह उनके रख-रखाव और देखभाल में कितना रुपया खर्च करते हैं ? जो धन उनको दिया जाता है वह बहुत कम है । क्या इसे माननीय मंत्री जी बढ़ायेंगी ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, यह लपज या संप्रेक्षण गृह। मेरे संज्ञान में जब यह बात आई तो मैं खुद वहां पर गई हूं और मैंने देखा कि जो उनको चला रहे हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है वे सीमित संसाधनों में इन बच्चों का कार्य चला रहे हैं। मैंने अपनी कार्यवाही इस पर शुरू कर दी है। उनको जो हम पैसा दे रहे हैं वह 150 रु0 से भी कम है, उसे बढ़ना चाहिए। मैंने चिन्ता व्यक्त की है। क्योंकि मैं भी महिला हूं, एक मां हूं। मुझे बुरा लगा था। मैं इस पर कार्यवाही कर रही हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने पूछा था कि क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बाल संरक्षण गृहों में व्याप्त अनैतिकता व भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा बाल अपराधियों के सुधार के लिए कोई मूलगामी योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है। माननीय राज्य मंत्री जी ने एक शब्द पकड़ लिया कि बाल संरक्षण गृह नहीं है बल्कि बाल सम्प्रेक्षण गृह है। परन्तु दूसरा जो प्रश्न किया गया है कि उसमें जो अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके सम्बन्ध में क्या आप जांच करवा रही हैं? दूसरे क्या ऐसे बाल अपराधियों के लिये सरकार के पास कोई योजना है? यह पूछा था। आपने जो जवाब दिया वह यह दिया कि इस नाम से कोई संस्था विभाग के अन्तर्गत संचालित नहीं है। अतएव व्याप्त अनैतिका व भ्रष्टाचार के समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। बाल अपराधियों के सुधार के लिये कोई मूलगामी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। यह उत्तर दिया गया है कि बाल अपराधियों के सुधार के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। अब कह रही हैं कि बाल संप्रेक्षण गृह में ऐसा होता है। मैं चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने के लिये आपकी क्या मंशा थी और मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि अपराधी प्रवृति के बालकों के सुधार के लिये आपके पास जो योजना है वह क्या है? उसे स्पष्ट करें और जैसा कि डाक्टर जौहरी ने कहा है, हम सब को जानकारी है कि उसमें भ्रष्टाचार और अनैतिकता है, इसको रोकने के लिये आप क्या प्रबन्ध कर रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरीश जी आप सवाल करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

उस अनैतिकता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आप क्या प्रबन्ध कर रही हैं?

श्रीमती दीपा--

मैं मान्यवर, समझ नहीं पा रही हूं कि माननीय सदस्य ने ऐसी बात कैसे सोची, खासकर जब उनको मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं है मैंने बाद में इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था उसमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है मैंने पूरा जवाब दिया। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कही तो क्या बच्चे जो खुदा की देन हैं प्यारे होते हैं वह भ्रष्ट कैसे हो जायेंगे? उनके अनैतिक और भ्रष्ट करने का क्या आशय है क्या हमारे प्यारे बच्चे अनैतिक और भ्रष्ट हो सकते हैं?

श्री राज किशोर सिंह--

आखिरी सवाल कर लूं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के हर जिले में आप बाल संग्रहालय की स्थापना करेंगे जहां बच्चों की शिक्षा और विकास की विशेष सुविधा उपलब्ध हो ।

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, जो जुविनाइल जस्टिस कोर्ट बनाये गये हैं हर मंडल में हैं । जिलों में इसके बोर्ड बने हैं जो बच्चों पर निगरानी रखते हैं कुछ जिलों में अभी बनने हैं इस वक्त तक 53 बना पाये हैं । इनको सभी जिलों में बनाने की बात है । पूरे प्रदेश में बच्चे हैं उन सब की हमें चिंता है ।

लखनऊ से मोहनलालगंज-मोरावां रोड के मध्य सई नदी के जर्जर पुल के विषय में कार्यवाही की मांग

*7--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ राजधानी से मोहनलालगंज-मोरावां रोड के मध्य सई नदी का पुल जर्जर हो चुका है और किसी भी दिन टूट सकता है जिससे जन-धन की हानि की आशंका है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

विषयगत सेतु के टूटने अथवा उससे जन-धन की हानि की वर्तमान में कोई आशंका नहीं है । फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है ।

पुल के डेकिंग में लगी लोहे की चादर में जंग लग कर कहीं-कहीं सुराख हो गये थे जिनकी मरम्मत करा दी गई है और आवश्यकतानुसार प्लेट्स को बदल दिया गया है ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित--

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण पुल है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उन्नाव से जोड़ता है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इसके टूटने अथवा उससे जन-धन की हानि का कोई खतरा नहीं है लेकिन फिर भी इस पर नजर रखे हुये हैं । तो क्या कोई नया विभाग नजर रखने के लिये अलग से बना दिया गया है जो इस तरह के पुलों पर नजर रखता हो ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पुल कब बना था और उस समय इसकी उम्र क्या तय हुई थी क्योंकि जब पुल बनते हैं तो उनकी उम्र भी तय होती है कि इतने साल तक चलेगा । पिछली बाढ़ में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था इसमें पानी भर गया था । तो क्या इसको फिर से बनायेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह पुल कतई क्षतिग्रस्त नहीं है इसमें लोहे के गर्डर पड़े हुये हैं और ऊपरऊ से टिन की चादर पड़ी है जिनमें सूराख हो गये थे, उनको बदल दिया गया है । जहां तक निगरानी का सवाल है शासन का नैतिक दायित्व है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति पर निगरानी रखी जाय ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है जो सई नदी में बना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से जो लखनऊ को उन्नाव से जोड़ता है और इसी तरह फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव को जोड़ता है। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो उस समय यह दोनों तरफ से पानी भरा हुआ था और रास्ता जाम हो गया था और उसी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो माननीय दीक्षित जी ने सवाल किया कि इसकी उम्र क्या निर्धारित की गयी थी वह माननीय मंत्री जी ने नहीं बताई, वह बता दें और इस पुल को फिर से बनाने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, जब कभी अतिवृष्टि होती है तो पानी भरना स्वाभाविक है। अब उसकी उम्र जब पुल क्षतिग्रस्त होगा देखी जायेगी। इस वक्त तो पुल बिलकुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा अधिक मूल्य पर मेसर्स जे0सी0 रीवा सीमेन्ट, बेनी प्रसाद रोड, लखनऊ से सीमेन्ट की बोरी लेने के कारण

*8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन से सीमेन्ट न लेकर व्यक्तिगत क्षेत्र की कम्पनियों से ले रहा है ? यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन के विभिन्न डम्पों में 48 रुपये से 52 रुपये प्रति बोरी की दर से नानलेबी सीमेन्ट उपलब्ध होने की सूचना यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन के पत्र संख्या के0 डी0/(12)/87/1009, दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 द्वारा आवास निगम को दी जा चुकी थी फिर हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा 58900 बोरी सीमेन्ट 58·74 रु0 प्रति बोरी की दर से मेसर्स जे0 सी0 रीवा सीमेन्ट, 14 बेनी प्रसाद रोड लखनऊ से क्रय करने का क्या कारण है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)--

यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा वांछित मात्रा में समय से सीमेन्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में टेन्डर द्वारा सबसे कम दरों पर नानलेबी सीमेन्ट व्यक्तिगत क्षेत्र की कम्पनियों से क्रय किया गया।

उक्त पत्र निगम में प्राप्त नहीं हुआ।

यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा दर्शायी गयी सीमेन्ट की दरें 48 रु0 से 52 रु0 माह दिसम्बर, 1987 से 14 जनवरी, 1988 तक थीं जिसके विरुद्ध यू0 पी0 सीमेन्ट कारपोरेशन को ही आपूर्ति आदेश दिये गये थे तथा माह सितम्बर, 1987 में यू0 पी0 राज्य सीमेन्ट निगम के सीमेन्ट की दरें 63 रु0 से 69 रु0 थीं

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

और जे0 पी0 रीवा, एफ0 ओ0 आर0 की दरें 58·74 रु0 तक होने के कारण कम थीं । अतः निगम के हित में आपूर्ति आदेश दिये गये ।

विधायक निवास के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाने का प्रकरण

*9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निवासों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो नियमावली कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिनमें विधायक निवास के कर्मचारी भी शामिल हैं, से सम्बन्धित सेवा नियमावली बन कर लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर हड़ोली सदरुद्दीन नगर के पास पुल बनाने की मांग

*10—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर हड़ोली सदरुद्दीन नगर के पास पुल बनाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा काफी समय से की जा रही है ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की मांग को ध्यान में रखकर उक्त स्थान पर पुल बनाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी नहीं । सीमित संसाधनों के कारण ऐसा संभव नहीं है ।

श्री कैलाश सिंह, अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख संघ, वाराणसी का श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सेतु निगम द्वारा बजट से पूर्व सेतु निगम से सम्बन्धित बजट का ब्यौरा देने पर प्रशासनिक कार्यवाही

*11—श्री मंगल सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री कैलाश सिंह, अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख संघ, वाराणसी का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 14 मार्च, 1988 जो श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, सेतु निगम द्वारा विधायक श्री शतरुद्र प्रकाश को सा0 नि0 वि0 के बजट से पूर्व सेतु निगम से सम्बन्धित सूचनाएं आदि देने के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो एक वरिष्ठ अधिकारी के इस प्रकार के आचरण पर शासन द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

आरोप सत्यापित नहीं पाये गए, अतः उनका मामला समाप्त कर दिया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

मदन सूती मिल, हस्तिनापुर, जनपद मेरठ को पुनः चालू न कराने का कारण

*12--श्री हरशरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदन सूती मिल, हस्तिनापुर, जनपद मेरठ कितने वर्ष से बन्द है और उसमें क्या बंगलादेश से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए स्थापित कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक उसको चालू क्यों नहीं कराया गया ? उसको चालू कराने हेतु क्या-क्या बाधाएं आ रही हैं और इसको कब तक चालू करने की सरकार की नीति है ?

श्री सईदुल हसन--

मे0 मदन इण्डस्ट्रीज लि0, हस्तिनापुर में दिनांक 8 अगस्त, 1981 से उत्पादन कार्य बन्द है ।

इस प्रतिष्ठान की स्थापना बंगलादेश से आए हुए शरणार्थियों को व्यवस्थापित किए जाने के उद्देश्य से की गई थी ।

आर्थिक सहायता उपलब्ध न होने के कारण मिल अभी तक नहीं चलाई जा सकी है ।

प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को दी जाने वाली पेन्शन राशि बढ़ाए जाने की मांग

*13--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रदेश की निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को दी जाने वाली पेन्शन की धनराशि बढ़ाकर कम से कम 250 प्रतिमाह करने की घोषणा करेगी ?

श्रीमती दीपा--

निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को पेन्शन देने की कोई योजना नहीं है । इनको भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अनुदान की धनराशि में वृद्धि करना संभव नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में टेलीफोन परिचरों के पद पर भर्ती हेतु उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अन्य समूह 'घ' के कर्मचारियों की भांति उन्हें उच्च वेतनमान न देने पर विचार

*14-श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजाधीन समूह 'घ' के पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा पांच उत्तीर्ण रखी गई है ? यदि हां, तो राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'घ' सेवा

नियमावली 1984 के अन्तर्गत समूह घ के अन्य पदों के साथ टेलीफोन परिचरों के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके बढ़े दायित्वों में समूह घ के अन्य पदों के मुकाबले में एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह घ के कर्मचारियों के मुकाबले उन्हें उच्च वेतनमान न देने का क्या कारण है ? क्या शासन इस बिन्दु पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी हां ।

शैक्षिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कर्मचारियों को रु0 10 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है ।

उच्च वेतनमान देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

क्योंकि टेलीफोन परिचरों को उनके शैक्षिक योग्यता एवं दायित्वों को देखते हुए रु0 10 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा वृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए भूतल पर कार्यालय की व्यवस्था

*15--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश ने वृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए भूतल पर कार्यालय के लिये आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो जनवरी, 1987 में लखनऊ के किस स्थान पर कौन सा भवन राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा आवंटित किया गया था ? उक्त भवन पर कल्याण परिषद् को कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उसे भूतल पर ही कहीं कार्यालय देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जनवरी, 1987 में कोई भवन आवंटित नहीं किया गया था बल्कि 23 जनवरी, 1986 में 10 विधान सभा मार्ग स्थित बंगले में मुख्य भवन के उत्तरी ओर स्थित टीन शेड एवं परिसर में पश्चिम की ओर बने दो छोटे कक्ष व बरामदा आवंटित किया गया था ।

उक्त आवंटित स्थल का कब्जा कल्याण परिषद् ने नहीं लिया तथा यह सूचित किया था कि आवंटित स्थान उनके लिये समुचित नहीं है ।

जी नहीं ।

स्थानाभाव के कारण ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विचाराधीन बाल विकास परियोजना खोलने पर विचार

*16—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कोई बाल विकास परियोजना सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसे वि0 खंड शाहगंज में खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है । अतः प्रदेश सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

*17—श्री राम सजीवन—

[5 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली स्थित रबड़ फैक्ट्री सिन्थेटिक एन्ड केमिकल्स में श्रमिकों को स्थायी कराने की मांग

*18—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि बरेली स्थित रबड़ फैक्ट्री सिन्थेटिक एन्ड केमिकल्स में गत 5 से 15 वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर श्रमिक कैजुअल रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इन सभी श्रमिकों को स्थायी कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

रबर फैक्ट्री बरेली में लगभग 170 ऐसे श्रमिक रोल पर हैं जिन्होंने सब्सटीट्यूट/अस्थायी रूप में समय-समय पर कार्य किया है । यह सभी श्रमिक सब्सटीट्यूट लेबर की तरह नियमित श्रमिकों के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में बदली के रूप में आवश्यकता पड़ने पर लिये जाते हैं और नियमित स्थायी श्रमिकों के वापस आ जाने अथवा अस्थायी कार्य के पूरा हो जाने पर इन लोगों का कार्य समाप्त हो जाता है । ऐसे कुछ लोगों के नियमन सम्बन्धी विवाद श्रम न्यायालय, बरेली के समक्ष अभिनिर्णय में विचाराधीन हैं ।

नये वेतनमानों के आधार पर 1,500 रु0 तक आय वाले अभिभावकों के आश्रित अनुसूचित जाति आदि के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाए जाने की मांग

*19—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1,000 रुपया प्रति-माह आय वाले अभिभावकों के आश्रित अनु0 जाति, जनजाति विमुक्त जाति के छात्रों व छात्राओं को छात्रवृत्ति शासन से दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त होती है ? क्या नये

वेतनमानों के आधार पर 1,000 रु0 से बढ़ाकर 1,500 रु0 तक आय वाले अभिभावकों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाए जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

नये वेतनमान लागू होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में विचार करना सम्भव होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[6 ठें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले के चित्रकूट विकास खंड में शिवरामपुर नहर रोड से भंसौधा तक के मार्ग का निर्माण

1—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट विकास खंड में शिवरामपुर नहर रोड से भंसौधा तक के मार्ग के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु धन की स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा सोलिंग बिछा दी गयी है और अब छोटी गिट्टी बिछाने व डामर का कार्य अवशेष है ? यदि हां, तो सार्व0 निर्माण विभाग द्वारा अधूरा कार्य पूरा न करने के क्या कारण है ? क्या डी0 सी0 यू0 कर्वी ने उक्त सड़क के निर्माण हेतु धन आवंटित करने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के पास भेजा है ? यदि हां, तो धन की व्यवस्था करके सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । खड़ंजा स्तर तक मार्ग स्वीकृत है ।

वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर का है अतः अग्रिम स्तर तक स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी से जनपद बदायूं के इस्लामनगर तक सड़क निर्माण में किसानों की ली गई जमीन का मुआवजा ब्याज सहित देने की मांग

2--श्री राम सजीवन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायगे कि जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी से जनपद बदायूं के इस्लामनगर तक सड़क का निर्माण 15 वर्षों पूर्व हुआ था और क्या उक्त सड़क के लिए पांच गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो किसानों की जमीनों का मुआवजा अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ? क्या मुआवजा के साथ ब्याज भी दिया जायेगा ? अभी तक मुआवजा न देने के लिए कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कोई प्रभावी कार्यवाही की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी से जनपद बदायूं के इस्लामनगर तक सड़क का निर्माण वर्ष 1973 से 1984 के बीच हुआ है । उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद के केवल तीन ग्रामों (मई, बररई, कैथल) की भूमि ली गयी है । उक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है जिसके पूर्ण होते ही मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जायेगा । मुआवजे के साथ निर्धारित दर से ब्याज भी दिया जायगा । मुआवजे के भुगतान हेतु धन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मुरादाबाद को उपलब्ध करा दिया गया है । मुआवजा न देने के लिए कोई दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी देव प्रयाग मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में काश्तकारों को खेत कटान का मुआवजा न दिया जाना

3--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

3--क्या सा0 नि0 वि0 मन्त्री को विदित है कि टिहरी देव प्रयाग मोटर मार्ग के निर्माण के समय ग्राम गेवली पट्टसरी खास के कुछ ऐसे काश्तकारों को मुआवजा खेत कटान का दिया गया है जिनके खेतों से मोटर मार्ग निकला ही नहीं तथा जिन किसानों के खेत मोटर मार्ग के निर्माण करते समय काटे गये उनको दस साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया है ? यह विसंगति क्यों हुई ? इसको दूर करने का कोई विचार शासनाधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

टिहरी देव प्रयाग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम गेवली पट्टी खास की कुछ अधिग्रहीत की गई भूमि, जिसके मुआवजे का भुगतान दिनांक 2 सितम्बर, 1973 को कर दिया गया था, मार्ग में प्रयुक्त नहीं हुई और कुछ ऐसे गाटों की भूमि जो आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी अधिग्रहण से छूट गई थी । अतएव उसके मुआवजे का मार्ग निर्माण के समय भुगतान नहीं हो सका था । अब इस छूटी हुई भूमि के मुआवजे का भुगतान आपसी समझौते से कर दिया गया है । अतः अब इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगर लहरतारा से कचहरी जाने वाली रोड पर पड़ने वाली रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की योजना

4—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि वाराणसी नगर अन्तर्गत लहरतारा से कचहरी जाने वाली रोड पर पड़ने वाली रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो इस योजना की आवश्यकता को देखते हुए बना लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ? क्या प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या उसकी आवश्यकता को देखते हुए ओवर ब्रिज के निर्माण पर विचार किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

यह रेलवे क्रासिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर नहीं है ।

मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग वाराणसी के अन्तर्गत विधवाओं व विकलांगों के पेन्शन सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना-पत्रों का विवरण

5—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण वाराणसी को वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 में विधवाओं व विकलांगों के लिए क्रमशः कितनी-कितनी पेन्शन की धनराशि अवमुक्त की गयी और प्रति वर्ष कितनी विधवाओं और कितने विकलांगों को पेन्शन की धनराशि प्रदान की गयी ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में अलग-अलग विधवाओं व विकलांगों के पेन्शन सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं और उनका कब तक निबटारा कर दिया जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विधवाओं व विकलांगों को पेन्शन देने की कोई योजना नहीं है ।

वाराणसी जनपद को वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक विधवाओं व विकलांगों के भरण पोषण हेतु प्रति वर्ष जितनी धनराशि अवमुक्त की गयी उसका विवरण निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
	विधवा अनुदान	
1984-85	11,41,800	3932
1985-86	20,72,000	2792

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1986–87	29,25,600	3932
1987–88	29,17,000	3932
1988–89	29,62,000	3932
	विकलांग अनुदान	
1984–85	2,97,280	1112
1985–86	7,91,280	1112
1986–87	8,00,640	1112
1987–88	8,08,640	1112
1988–89	9,62,600	1282

लम्बित प्रार्थना-पत्रों का वर्षवार वर्गीकरण करके सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर में रामपुर बाजार से ग्राम सकरा होकर सुरेरी जाने वाली सड़क को बनवाने की मांग

6—श्री पारस नाथ यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर में रामपुर बाजार से ग्राम सकरा होकर सुरेरी जाने वाली सड़क की लम्बाई 13 कि0मी0 है। यदि हां, तो क्या तेरह कि0मी0 लम्बी सड़क पच्चास हजार जनसंख्या के हित को ध्यान में रखते हुए अलग से धन आवंटित कर मार्ग बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला परिषद् का है, अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अलग से धन आवंटित कर उक्त मार्ग को बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नलगंज—भवड़वा मार्ग के शेष निर्माण कार्य को सा0 नि0 विभाग, जनपद गोण्डा द्वारा कराये जाने की मांग

7—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जनपद के नगर पालिका कर्नलगंज को बहराइच से जोड़ने वाला एक मात्र मुख्य मार्ग कर्नलगंज—भवड़वा मार्ग का निर्माण कार्य जनपद बहराइच वालों ने अपने सरहद तक वर्ष 1978 में पूरा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार डी0 सी0 यू0—2, सा0 नि0 वि0, जनपद गोण्डा द्वारा इस मार्ग के शेष कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री भरोसे पुत्र राम चरन पासी, निवासी ग्राम मदन दूसी, थाना बछरावां, जिला रायबरेली द्वारा ग्रामवासियों के विरुद्ध हरिजन सेल में दिया गया शिकायती-पत्र

8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि श्री भरोसे पुत्र राम चरन पासी, निवासी ग्राम मदन दूसी, थाना बछरावां, जिला रायबरेली ने नवम्बर, 1987 में अपने ग्रामवासियों के विरुद्ध हरिजन सेल में कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या वास्तव में श्री भरोसे पासी को गांव वालों से कोई शिकायत थी ? यदि नहीं, तो फिर शिकायत किस प्रयोजन से की गई ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र विशेष जांच प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को भेजा गया था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी महराजगंज, रायबरेली द्वारा की गयी । उक्त जांच के समय श्री राम भरोसे ने अपने बयान में यह बताया कि उन्होंने श्री शिवपाल पुत्र श्री शिवनाथ ब्राह्मण, निवासी ग्राम मदन दूसी के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अभियन्ताओं एवं डिजाइनर सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति दिया जाना

9--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अभियन्ताओं एवं डिजाइनर सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार सब-इंजीनियर/आर्किटेक्चरल सहायक आठ वर्ष सेवा करने के पश्चात् सहायक रेजीडेन्ट इंजीनियर/सहायक आर्किटेक्ट के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं ? यदि हां, तो कितने लोगों की प्रोन्नति अब तक की जा चुकी है ? यदि प्रोन्नति नहीं की गई है, तो कब तक की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले की हरेहटा–चौपाई मार्ग के निर्माण की अनियमितता विषयक ग्राम लच्छीपुर के काश्तकारों की शिकायतों पर कार्यवाही

10—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्नाव जिले की हरेहटा–चौपाई मार्ग के निर्माण अनियमितताओं विषयक ग्राम लच्छीपुर के काश्तकारों के शिकायती प्रार्थना–पत्र पर राज्य मंत्री जी ने मुख्य अभियन्ता को माह मार्च 1988 में जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, जांच के आदेश भूतपूर्व राज्य मंत्री जी द्वारा प्रमुख अभियन्ता को दिये गये थे ।

प्राप्त शिकायतों की जांच की जा चुकी है । प्राप्त आख्या अधीनस्थ स्तरों पर विचाराधीन है ।

उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक के ग्राम चौपाई को खड़ंजा मार्ग से जोड़े जाने की योजना की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति धनराशि

11—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक के ग्राम चौपाई को खड़ंजा मार्ग से जोड़े जाने की योजना कब स्वीकृत हुई ? योजना के अनुसार किन–किन ग्रामों से होकर चौपाई को जोड़ना प्रस्तावित था ? लिंक मार्ग किस समय तक बन जाना था तथा अभी तक न बनने के क्या कारण हैं ? कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ? क्या योजना को तैयार करते समय क्षेत्रीय विधायक की सिफारिश भी ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बनी शेखपुर–हरेहटा–बालेमऊ–चौपाई मार्ग के नाम से 5 कि0 मी0 लम्बाई में 9/84 में तथा 2 किलोमीटर लम्बाई में 12/86 में खड़ंजा स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

निर्माण कार्य स्वीकृति स्तर तक पूर्ण है ।

उक्त निर्माण कार्यों हेतु कुल 14.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

विषयगत मार्ग के प्रथम 5 कि0 मी0 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं बाद के 2 किलोमीटर जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की सहमति से स्वीकृति हुई थी जिसके सदस्य सभी क्षेत्रीय विधायक हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उद्योग केन्द्र, झांसी, जालौन एवं जौनपुर में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग लगाने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र एवं कृत कार्यवाही

12—कु0 मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र, झांसी, जालौन एवं जौनपुर में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में 30 जून, 1988 तक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग लगाने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से जिला उद्योग केन्द्रों ने कितनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी है तथा शेष आवेदकों को कब तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

जिला उद्योग केन्द्र, झांसी, जालौन एवं जौनपुर में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में 30 जून, 1988 तक स्व-रोजगार योजनान्तर्गत लघु उद्योग लगाने हेतु निम्नवत् आवेदन-पत्र प्राप्त हुये :—

जनपद	वर्ष 1987-88	वर्ष 1988-89 में 30 जून, 1988 तक
1—झांसी	568	349
2—जालौन	619	237
3—जौनपुर	375	285

निम्नवत् अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई :—

जनपद	वर्ष 1987-88	वर्ष 1988-89 में 30 जून, 1988 तक
1—झांसी	48	9
2—जालौन	46	4
3—जौनपुर	62	..

आवेदन-पत्रों पर स्वीकृत/विवरण की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है और शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पैटर्न के अनुरूप एक लाख से अधिक की योजना पर आर्थिक सहायता देने को तैयार वित्तीय संस्थाओं की संख्या

13—कु0 मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पैटर्न के अनुसार कौन-कौन सी वित्तीय संस्थायें एक लाख से अधिक की योजना पर आर्थिक सहायता देने को तैयार हो गयी हैं ? कुल कितने आवेदन-पत्र बोर्ड ने वित्तीय संस्थाओं को भेजे ? कितनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी ? क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बैंक वित्त) ने जौनपुर में बैंकों से सम्पर्क कब किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जनपद जौनपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक एक लाख रुपये से अधिक की योजना पर आर्थिक सहायता देने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत हैं किन्तु किसी बैंक द्वारा कोई लिखित आश्वासन प्रदान नहीं किया गया है ।

वर्ष 1988-89 में दो इकाइयों के आवेदन-पत्र वित्तीय संस्थाओं को भेजे गये ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभी तक किसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है ।

दिनांक 2 फरवरी, 1989 को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बैंक वित्त) ने जौनपुर में बैंकों से सम्पर्क स्थापित किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता श्री हृदय नारायन दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र, पुरवा-भूपतिपुर मार्ग की मजदूरों के भुगतान विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

14—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुरवा-भूपतिपुर मार्ग की मजदूरी के भुगतान विषयक प्रश्नकर्ता के द्वारा सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिलकर माह दिसम्बर, 1988 के दूसरे सप्ताह में दिये गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सच है कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने पूरी धनराशि निकाल कर 8 माह तक अपने पास रखी ? यदि नहीं, तो धनराशि किस तिथि को निकाली गयी और भुगतान कब हुआ ? पूरे प्रकरण के लिये दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मामले की छानबीन की गयी ?

जी नहीं ।

सूचना निम्नवत् है :—

चेक कैश होने की तिथि	भुगतान की तिथि
1—29 मार्च, 1988	30 मार्च, 1988 ।
2—13 जुलाई, 1988	2 सितम्बर, 1988 ।
3—7 नवम्बर, 1988	7 नवम्बर, 1988 । तथा 8 नवम्बर, 1988 ।
4—5 सितम्बर, 1988	भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि दिनांक 9 जनवरी, 1989 को सहायक अभियन्ता का ब्रीफकेस उठा लिया गया, जिसमें प्रश्नगत मार्ग का मस्टर रोल 1343 एवम् 1344 था। इससे पूर्व सहायक अभियन्ता ने दिनांक 7 नवम्बर, 1988, 19 नवम्बर, 1988, 10 दिसम्बर, 1988 तथा 20 दिसम्बर, 1988 को कार्य स्थल पर मजदूरी बांटने गये, परन्तु बुलाने पर भी श्रमिक उपलब्ध नहीं हुये ।

घटना की दिनांक 9 जनवरी, 1989 को ही पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गयी है, तथा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

15—श्री धनराज यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का विवरण

16—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ? यह धनराशि प्रति व्यक्ति कितनी है ? क्या बढ़ती हुयी महंगाई को देखते हुये इस धनराशि को बढ़ाने की घोषणा करेंगे ? क्या पेंशन की इस धनराशि को मनीआर्डर द्वारा भिजवाने की भी व्यवस्था करेंगे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों की संख्या जनपद फर्रुखाबाद में कितनी है ?

श्री सईदुल हसन—

दिसम्बर, 1988 तक प्रदेश के 1,36,938 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है—

प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 60.00 रु0 पेंशन दी जाती है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिलहाल वृद्धि सम्भव नहीं है ।

पेंशन की धनराशि मनीआर्डर द्वारा ही भेजी जाती है ।

माह दिसम्बर, 1988 तक जनपद फर्रुखाबाद में जीवित पेंशनरों की संख्या 1337 थी ।

17--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

[4थे सोम में अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बस्ती जिले के प्रान्तीय खंड बस्ती में सालिक पुत्र छोटक बेलदार की मृत्यु एवं उत्तराधिकारी को पेंशन तथा नौकरी

18--श्री धनराज यादव--

क्या सा0 नि0 वि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्रान्तीय खंड बस्ती में सालिक पुत्र छोटक बेलदार कार्य करते थे जो 25 जुलाई, 1986 को मर गये किन्तु अभी तक न तो इनके उत्तराधिकारी को पेंशन प्राप्त हुई न ही सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण नियमानुसार नौकरी दी गयी ? क्या यह सत्य है कि सालिक, फरेन्दा-नौगढ़ मार्ग पर कार्य कर रहे थे वह सड़क मृत्यु के समय तक प्रान्तीय खंड में थी किन्तु अब अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, सिद्धार्थनगर, बस्ती में आ गई है और इस कारण से प्रश्नगत पेंशन एवं नौकरी देने का मामला उपरोक्त दोनों खंड में विवादित है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस विवाद को निस्तारित करके मृतक के उत्तराधिकारी को पेंशन तथा नौकरी सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 273/पेंशन-संघ/सा0 नि0 वि0/1339, दिनांक 27 फरवरी, 1989 द्वारा पेंशन का अन्तिम प्राधिकार-पत्र जारी किया जा चुका है ।

उनके पुत्र श्री चन्द्रिका को बेलदार के पद पर नौकरी दी जा चुकी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद की खाद्यान्न योजना नं0 4 व 5 की सड़कें पक्की न किये जाने का कारण

19--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की खाद्यान्न योजना नं0 4 व 5 की सड़कें अब तक पक्की नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है और व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार जनहित में देवरिया जनपद के पूर्वोक्त योजना में निर्मित खड़ंजा स्तर की सड़कों को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर पक्का कराने हेतु व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जिले के मौरांवा-गुलौरहा मार्ग के निर्माण में मानक से कम पत्थरों का प्रयोग करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

20—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सा0 नि0 मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के मौरांवा-गुलौरहा मार्ग के 10वें किलोमीटर के निर्माण में पत्थर की मात्रा मानक से कम इस्तेमाल की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 मन्त्री जी को मिला है ? यदि हां, तो जांच किसने की है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या वर्ष 1988 के अक्तूबर-नवम्बर, दिसम्बर में इस मार्ग पर हुये पूरे काम में सिर्फ सड़क का पिच (मुख्य मार्ग) ही बनाया गया है और पटरी छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस पटरी के किनारे से मिट्टी न डालने से नवनिर्माण बह सकता है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र), सा0 नि0 वि0, लखनऊ को जांच करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

वर्ष 1988 के अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर में उक्त मार्ग के कि0 मी0 9, 10 तथा 11 में मध्य सतह के पत्थर की पुराने ईंट के खड़ंजे पर कुटाई की गई है । कुटाई के बाद माह जनवरी, 1989 में मार्ग के दोनों ओर पटरी बना दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले में एम0 एम0 यू0 मार्ग में ग्राम संगोली से देवमई तक के मार्ग निर्माण में सा0 नि0 विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता श्री हृदय नारायण दीक्षित सदस्य विधान सभा का पत्र पर कार्यवाही

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

21—क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में एम0 एम0 यू0 मार्ग में ग्राम संगोली से देवमई तक के मार्ग निर्माण में सा0 नि0 वि0 के अधिकारियों ने भारी अनियमितताओं खड़ंजा हेतु लाये गये ईंटे की कोटि घटिया होने तथा लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई मानक से कम होने की जांच कराने हेतु सचिव, सा0 नि0 वि0 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 पर क्या कार्यवाही की गई ? उस पर जांच किसने की तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच कराकर आख्या भेजने के निर्देश मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) को दिये जा चुके हैं ।

अधीक्षण अभियंता, 61वां वृत्त, सा0 नि0, उन्नाव द्वारा जांच की जा रही है ।

लखनऊ की ऐशबाग पुरानी लेबर कालोनी व मालवीय नगर की लेबर कालोनी में अनाधिकृत रूप से रह रहे निवासी तथा 3 वर्ष से ऊपर रहने वालों को नियमित करने तथा उनके विरुद्ध मुकदमें वापिस करने की मांग

श्री यदुनाथ सिंह--

22--क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ की ऐशबाग पुरानी लेबर कालोनी व मालवीय नगर की लेबर कालोनी में कुछ लोग काफी दिनों से अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्व की भांति क्या तीन वर्ष से ऊपर रहने वालों को नियमित किया जायेगा और उनके विरुद्ध मुकदमे वापिस किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

जी हां ।

श्रमिक बस्तियों के आवास के नियम संबंधी शासनादेश संख्या-233/36-चार-1988-134-85, दिनांक 21 जनवरी, 1988 संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 129 पर)

गोण्डा जनपद के चचरी-मौरीगंज मार्ग पर मौरीगंज पुल तथा कटहा घाट पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष में कराये जाने की मांग

23--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सा0 नि0 मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के चचरी-मौरीगंज मार्ग पर स्थित मौरीगंज पुल एवं टेढ़ी नदी पर स्थित कटहा घाट पुल का निर्माण इस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में, कराने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

भमुवा बाजार जनपद गोण्डा मे निरीक्षण भवन बनाने की योजना तथा भूमि अर्जन का व्यवस्था

24--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सा0 नि0 मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकृत भमुवा बाजार जनपद गोण्डा मे निरीक्षण भवन बनाने की योजना कब से प्रारम्भ की जा रही है ? क्या भूमि अर्जन की व्यवस्था हो गयी है ? यदि हां, तो यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि अधिग्रहीत की गई है या बाजार मूल्य पर क्रय की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन की नीतियों के अनुसार जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु बाउन्डरी निर्माण का कार्य न कराये जाने का कारण

25—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या मुस्लिम वक्फ मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीतियों के अनुसार जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु बाउन्डरी निर्माण का कार्य अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ? या मन्त्री जी कब्रिस्तानों की बाउन्डरी वाल के निर्माण के आदेश देंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु कार्यवाही सम्बन्धित वक्फ बोर्ड द्वारा की जानी अपेक्षित है। फिलहाल शासन द्वारा कब्रिस्तानों को चहारदीवारी बनवाने का कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया गया है।

जनपद गोंडा के कौड़िया बेडोवरा के जिला योजना में सम्मिलित नवनिर्मित सोलिंग के प्रस्ताव के लिए धन आबंटन की मांग

26—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के कौड़िया बेडोवरा के नवनिर्मित 5 कि0 मी0 मार्ग के 3 कि0 मी0 सोलिंग का प्रस्ताव वर्ष 1988-89 के जिलायोजन में सम्मिलित है ? यदि हां, तो शासन द्वारा मार्ग के हित में कब तक धन आबंटन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, केवल 2 कि0 मी0 का प्रस्ताव जिला योजना 1988-89 में सम्मिलित है जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

उप श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में अनुसूचित जाति तथा जनगणना से छटनी-शुदा कर्मचारी की सेवायें आरक्षण नीति के अनुसार पुनः समायोजित किये जाने की मांग

27—श्री दीपचन्द्र सोलंकर—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में किसी अनुसूचित जाति तथा जनगणना से छटनीशुदा कर्मचारी की सेवायें दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को समाप्त कर दी गई हैं जबकि उसने दो वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और इस बीच में वहां कई नियुक्तियां भी की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति, जो जनगणना का छटनीशुदा कर्मचारी तथा अनुसूचित जाति का भी है, को आरक्षण नीति के अनुसार समायोजित न किये जाने का क्या कारण है ? उसे कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां। इस कर्मचारी को दिनांक 21 अप्रैल, 1987 से 9 मार्च, 1988 व दिनांक 10 मार्च, 1988 से 3 अक्तूबर, 1988 तक लिपिक के पदों पर, जिनके मूल धारक निलम्बित थे, एवजी में नियुक्त किया गया था। उनके बहाल हो जाने पर इस कर्मचारी की सेवायें समाप्त करनी पड़ीं। इस अवधि में उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के कार्यालय में लिपिक के पद पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

जनपद मिर्जापुर में तेन्दू पत्ते के विदोहन के कार्य के लिए उ0 प्र0 अनुसूचित जनजाति तराई विकास निगम द्वारा आदिवासी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किया जाना

28—श्री विजय सिंह—]

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर में गत वर्ष तेन्दू पत्ते के विदोहन का कार्य उ0 प्र0 अनुसूचित जनजाति तराई विकास निगम द्वारा किया गया था जिसमें हजारों आदिवासी मजदूरों का तेन्दू पत्ता तोड़ाई की मजदूरी का लाखों रुपये निगम ने अभी तक भुगतान नहीं किया है ? क्या यह भी सही है कि म्योरपुर सेक्टर के इकाई इंचार्ज (जामपानी) ने 85,000 रु0 इकाई इंचार्ज किताबिल (पूर्वी) ने 70,000 रु0 और विजय कुमार मिश्र इकाई इंचार्ज ने 1,28,000 रु0 आहरित करके मजदूरों का भुगतान आज तक नहीं किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त गबन के सम्बन्ध में अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने गत वर्षों (सीजन 1987 एवं वर्ष 1988) में तेंदू पत्ता, विदोहन का कार्य, जनपद मिर्जापुर में किया है। वर्ष 1988 के सीजन में निगम के स्थानीय अधिकारी, उप क्षेत्रीय प्रबन्धक, मिर्जापुर ने सेक्टर पटेहरा तथा हलिया में 14,386·62 रु0 की मजदूरी का भुगतान अवशेष होना सूचित किया गया जिसका वितरण उनके द्वारा किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सभी अभिलेखों का परीक्षण करके पूर्ण विवरणात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निदेशक, जनजाति विकास एवं प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण खण्ड (बाढ़), लखनऊ द्वारा कानपुर रोड सिंगार नगर की सड़क के निर्माण में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

29—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड (बाढ़), लखनऊ द्वारा कानपुर रोड सिंगार नगर की ओर से इस मार्ग पर प्रथम 4 किलोमीटर (सिंगार नगर से भदरुख पुलिया तक) में दिनांक 31 मार्च, 1988 तक सड़क का निर्माण कागजों में किस तिथि को पूर्ण कराया गया है ? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि कागज पर सड़क दिनांक 31 मार्च, 1988 को पूर्ण दिखा दी गई और

कार्य अप्रैल के बाद भी चालू रहा है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है ? इसमें दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31—श्री अकबर हुसैन बाबर--

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 संख्या 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित :]

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की दशा सुधारने की मांग

31—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बहुत सी सड़कें रख-रखाव और अनुरक्षण हेतु आवश्यक धन के अभाव में काफी दयनीय स्थिति में हैं और यदि शीघ्र ही उनकी मरम्मत न की गयी तो उनके निर्माण तथा सीलिंग पर व्यय किया गया करोड़ों रुपया बेकार हो जायेगा ? यदि हां, तो प्रश्नगत सड़कों की दशा सुधारने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

मार्गों की स्थिति संतोषजनक है ।

उपलब्ध धन से मार्गों का यथासम्भव उचित रख-रखाव किया जा रहा है । सीलिंग की सड़कों पर व्यय किये गये धन के बेकार जाने की कोई आशंका नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सा0 नि0 वि0 उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियन्ता के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

32—श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश मुख्य अभियन्ता के अन्तर्गत कितने सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं, उसकी पूर्ति कब तक की जायेगी ? इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सहायक अभियन्ता (सिविल)	231
सहायक अभियन्ता (वि0/या0)	27
सहायक अभियन्ता (सिविल)	1400
अवर अभियन्ता (वि0/या0)	170

सहायक अभियन्ता (सिविल) के 226 सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति के लिये संस्तुति प्राप्त हो गयी है, जिसमें 47 पद औपबन्धित हैं। नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु औपचारिकतायें पूरी करने की कार्यवाही की जा रही है। औपचारिकतायें पूरी होने के बाद यथाशीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के 27 पद रिक्त हैं इन पदों पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी आने तक प्रोन्नति श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं से इस शर्त के साथ भर लिया गया है कि अनुमोदित अभ्यर्थी आयोग से आने पर इन्हें इनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है।

अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। आयोग की संस्तुति अपेक्षित है।

कार्यवाही प्रगति पर है।

सुल्तान नगर जनपद के भदैया ब्लाक में बभनगवा अल्पिका नहर के पास लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्देश के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग सुलतानपुर द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना

33—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के भदैया ब्लाक में बभनगवां अल्पिका नहर के पास लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग (10-11 कि0 मी0 के बीच में) की सीमा 60/75 फीट के अन्दर अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग सुल्तानपुर द्वारा, जिलाधिकारी सुल्तानपुर के इस निर्देश के बावजूद कि0 60 के बाहर निर्माण कार्य किया जा सकता है, की अवहेलना करते हुये 60 फीट के अन्दर सरकारी दूकान की बिल्डिंग निर्माण करने हेतु भदैया ब्लाक को कोई निर्देश दिया था ? यदि नहीं तो भदैया ब्लाक द्वारा 60 फिट के अन्दर निर्माण कार्य बन्द करने पर अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग सुल्तानपुर द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

यू0 पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट 1945 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुल्तानपुर की अनुमति से किये गये इस निर्माण के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग सुल्तानपुर द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन—

[उरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत क, ख, ग, घ, के श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति की नियुक्तियां पदोन्नतियां का कोटा

35—श्री मित्रसेन—

क्या लघु तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत श्रेणी क, ख, ग, घ, के कितने पद शासन द्वारा

स्वीकृत हैं ? उनमें से कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां अब तक श्रेणीवार की गयी हैं ? उनमें से कितनी अनुसूचित जाति/जनजाति की नियुक्तियां/पदोन्नतियां अब तक की गयी हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक शासन द्वारा निर्धारित कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्रीमती बेनी बाई—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा दिसम्बर, 1988 तक स्वीकृत श्रेणीवार पदों की स्थिति निम्नवत् है :

श्रेणी	स्वीकृत पद
'क'	24
'ख'	99
'ग'	1074
'घ'	629
योग ..	1826

अब तक श्रेणीवार की गई नियुक्तियां/पदोन्नतियां एवं उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कुल नियुक्ति या पदोन्नतियां	अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या
"क"	22	1	..
"ख"	47	3	2
"ग"	940	63	..
"घ"	430	49	..
योग ..	1439	116	2

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित कोटा पूरा करने के लिये शासन प्रयासरत है ।

जनपद देवरिया में छोटी गंडक के नौतन हथियागढ़ में तथा खानुआनाले पर नारायनपुर के निकट तिरमुहानी घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधानसभा का पत्र

36—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में छोटी गंडक के नौतन हथियागढ़ में तथा खानुआनाले पर नारायनपुर के निकट तिरमुहानी घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को 3 दिसम्बर, 1987 को

पत्र दिया गया था जिस पर उन्होंने उन दोनों स्थलों पर पुल निर्माण के स्पष्ट आदेश सा0 नि0 वि0 को दिये थे ? यदि हां, तो उस संदर्भ में क्या प्रगति है ? क्या श्री लालजी सिंह विशेष सचिव, सा0 नि0 वि0 के पत्र सं0 18 जनवरी, 1988 अनुभाग 11 से प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारी से इस सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति मांगी जा रही है, प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ? क्या आख्या और संस्तुति सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उन स्थानों पर पुल निर्माण का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

पुल निर्माण के औचित्य के सम्बन्ध में आख्या मांगी गई है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में मुरार-छापरा विशुनपुरा-देवरिया घुस-वनजरिया तथा तरकुलवा-बंजरिया मार्गों को पक्का कराने विषयक पत्र

37--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को दिये गये पत्र जिसमें जनपद देवरिया में मुरार, छापरा, विशुनपुरा, देवरिया, घुस-वनजरिया तथा तरकुलवा, बंजरिया मार्गों को पक्का कराने का अनुरोध किया गया था जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उन मार्गों को पक्का कराने हेतु सा0 नि0 वि0 के सचिव को स्पष्ट लिखित निर्देश भी दिये थे, को अब तक पक्का न कराये जाने के कारण क्या है ? इस संदर्भ में श्री लालजी सिंह, विशेष सचिव के अर्द्ध शा0 प0 सं0 19 सी0 एम0 ई0/23, सा0 नि0 अनु0 11-33/17/ई0-87, दिनांक 30 जनवरी, 1988 जिसमें उक्त मार्गों के प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत विचार करते हुए जिलाधिकारी, देवरिया को भेजे जाने का उल्लेख था, क्या वे प्रस्ताव जनपद देवरिया के जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किये गये ? यदि हां, तो क्या विचारोपरान्त वे प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो उन मार्गों को पक्का कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो उस प्रस्ताव को जिला योजना में विचारार्थ न रखने का क्या कारण है ? उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत मार्गों को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने एवं धन की अनुपलब्धता के कारण पक्का नहीं कराये जा सके हैं ।

जी हां ।

मुरार, छापरा, विशुनपुरा एवं देवरिया घूस बंजरिया मार्गों को पक्का कराये जाने का प्रस्ताव जिला योजना वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित है। तरकुलवा बंजरिया मार्ग का प्रस्ताव सीमित परिव्यय के कारण प्रस्तावित नहीं है।

मुरार, छापरा, विशुनपुरा मार्ग एवं देवरिया घूस-बंजरिया मार्ग को पक्का कराये जाने का स्वीकृति वर्ष 1988-89 की जिला योजना में दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद में विकास खण्ड बघौली में हरदी भगवानपुर सम्पर्क मार्ग के कार्य का विवरण

38--श्री अफसर यू० अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में विकास खण्ड, बघौली में हरदी भगवानपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है? उस पर कितना धन व्यय किया गया? क्या कार्य करवाने वाले व्यक्तियों को देय धन दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

विषयगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर 1,03,251-80 रु० व्यय किया गया है?

जी हां?

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई के अध्यक्ष का अभियन्तागण अस्थाई खंड सा० वि० वि० इ० (मार्ग) बिलग्राम, हरदोई के विरुद्ध पत्र

39--श्री हरी शंकर तिवारी (बिलग्रामी)--

क्या सा० नि० वि० मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई के अध्यक्ष का शिकायती पत्र, दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 अभियन्तागण अस्थाई खंड सा० नि० वि० इ० (मार्ग) बिलग्राम, हरदोई के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता 6 वीं वृत्त उन्नाव को पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

शिकायतों की जांच करायी गयी। अनियमितता के लिये दोषी पाये गये अवर अभियन्ता श्री वी० डी० दीक्षित को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

गाजीपुर जनपद में विधवाओं के विधवा पेंशन के लिए लम्बित आवेदन पत्र

40—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कुल कितने विधवाओं के आवेदन-पत्र विधवा पेंशन के लिए लम्बित पड़े हैं ? उक्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती दीपा—

गाजीपुर जनपद में निराश्रित विधवाओं के 31 जनवरी, 1989 तक कुल 2721 आवेदन पत्र विधवा अनुदान के लिए लम्बित हैं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लम्बित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही रुकी हुई है ।

गाजीपुर जनपद में स्थाई रूप से पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या एवं अस्वस्थ लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्जीवन की व्यवस्था की मांग

41—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने लघु उद्योग स्थायी रूप से पंजीकृत हैं ? इनमें से कितने अस्वस्थ हैं तथा उनके पुनर्वीजन की क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती ननी दाई—

वर्ष 1988 तक जनपद गाजीपुर में स्थाई रूप से पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 2681 है ।

अस्वस्थता के बारे में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक/वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उन्नाव जिले के विभिन्न ग्रामों में रहने वाली बुजवासी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करना

42—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के विभिन्न ग्रामों तथा तहसील पुरवा के ग्राम हिलौली में रहने वाली बुजवासी जाति को अनुसूचित जाति में माना जाता है ? यदि नहीं क्यों ? क्या सरकार इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेज रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

जी नहीं ।

क्योंकि उक्त जाति अनुसूचित जातियों की वर्गीकृत सूची में सम्मिलित नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से परीक्षण कराकर ही कोई स्थिति स्पष्ट कर पाना सम्भव हो सकेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के रिक्त पदों हेतु किये साक्षात्कार का परिणाम न घोषित होना

43--श्री गंगा राम--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 20 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूल विवाद क्या है विवाद के निस्तारण हेतु शासन व निदेशालय स्तर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं व कृत प्रयासों से अब तक क्या परिणाम हासिल हुए ?

श्री सईदुल हसन--

मूल विवाद श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कुछ पदों पर श्रमायुक्त द्वारा चयन के समय बनाई गई प्रतीक्षा सूची है कतिपय अभ्यर्थियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने तथा निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत पदों पर किये गये चयन के आधार पर नियुक्त न करके कुछ पदों को विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने से सम्बन्धित है । इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में दायर याचिकायें विचाराधीन हैं जिनके निस्तारण हेतु यथावश्यक कार्यवाही हो रही है ।

मोती झील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ के अध्यासियों के लिए बास बेसिन, शीशा, पानी की टंकी आदि की व्यवस्था

44--श्री शारदा प्रताप--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोती-झील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ में प्रत्येक अध्यासी के यहां बास बेसिन, चेहरा देखने का शीशा, पानी की टंकी एवं फ्लस सिस्टम है ? यदि नहीं लगे हैं तो कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर0 एस0 पलारिया, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार विषयक पत्र

45--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0एस0 पलारिया, सहायक अभियंता वर्तमान प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के लूट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1988, श्री सत्य प्रकाश मिश्र, अध्यक्ष, जिला युवा जनता, झांसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कब तथा किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच परिणाम क्या निकला और शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मुख्य अभियंता (झांसी क्षेत्र सा0 नि0 वि0 को जांच करने हेतु आवश्यक निदेश शासन द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1989 को जारी कर दिये गये हैं ।

जांच जारी है । आख्या के प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी ।

फतेहगढ़ गुरसहायगंज के बीच सड़क को चौड़ा करने की मांग

46--श्री महरम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फतेहगढ़ गुरसहायगंज के बीच सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण यातायात में आये दिन अवरोध होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क को चौड़ा कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च होगा और उस कार्य को कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । सड़क की चौड़ाई प्रमुख जिला मार्ग के लिए निर्धारित चौड़ाई के अनुसार है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जनपद में गंगा तथा राम गंगा के बीच मार्ग को चौड़ा कराने हेतु स्वीकृत धन का उपयोग न करने का कारण

47 महरम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में गंगा व राम गंगा के बीच मार्ग को ठीक कराने व चौड़ा कराने के लिये राज्य सरकार ने जनवरी, 1986 से अक्टूबर, 1988 तक कितना-कितना धन स्वीकृत किया और स्वीकृत धनराशि को स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय पर खर्च न कर पाने के कारण उन्हीं कार्यों के स्टीमेट बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो स्वीकृत धन को उक्त कार्य पर व्यय न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

फर्रुखाबाद जनपद में गंगा तथा राम गंगा के बीच, लियूलेक पिथौरागढ़-इटावा-भिण्ड मार्ग (राज्य मार्ग 29) के अन्तर्गत पड़ने वाले 14 कि0मी0 भाग के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 1 अगस्त, 1987 द्वारा 41.71 लाख रु0 की प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति के समक्ष वर्ष 1987-88 में 15 लाख रु0 तथा वर्ष 1988-89 में अक्टूबर, 1988 तक 11 लाख रु0 का अनुदान दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जनपद में लियूलेख मार्ग गंगा राम गंगा के बीच मार्ग की मरम्मत कराया जाना

48—श्री महरम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जनपद में लियूलेख मार्ग गंगा राम गंगा के बीच मार्ग की स्थिति वर्षों से बहुत ही जर्ण-शर्ण है जबकि इस मार्ग पर सभी मार्गों से अधिक यातायात होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु तुरन्त आवश्यक व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां।

जी, नहीं। जनपद के कई मार्गों पर इससे भी अधिक यातायात है।

प्रश्नगत मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य 41.71 लाख रु0 की लागत पर स्वीकृत है।

कर्मनाशा नदी जनपद गाजीपुर पर देवल घाट पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

49—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मनाशा नदी जनपद गाजीपुर पर देवल घाट पर पक्के पुल का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस पुल की स्वीकृति देकर निर्माण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत सेतु का निर्माण सेतुओं की वरीयता सूची में निम्न स्थान पर होने के कारण एवं सीमित संसाधनोंवश फिलहाल सम्भव नहीं है।

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी महुआ में पौष्टिक आहार योजना एवं आंगनबाड़ी योजना के तहत सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच

50—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/84/वि/88 एवं ए/83/वि0/88, दिनांक 3 फरवरी, 1988 क्रमशः आयुक्त झांसी

मंडल, झाँसी एवं जिलाधिकारी, बांदा को बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी महुआ में पौष्टिक आहार योजना एवं आंगन बाड़ी योजना के तहत सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से कराई गई ? यदि हां, तो इसमें जांच के बिन्दु क्या थे तथा कौन अधिकारी दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती दीपा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में स्थित गोसाईगंज-दिलासीगंज मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

51--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित गोसाईगंज-दिलासीगंज मार्ग पर सीलिंग स्तर तक का कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका है परन्तु उक्त सड़क को लेपन स्तर तक पक्का न किए जाने के कारण उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है और यदि उसे शीघ्र पक्का न कराया गया तो सीलिंग स्तर तक के कार्य पर उक्त सड़क पर व्यय किया लाखों रुपया बेकार हो जायेगा ? यदि हां, तो दिलासीगंज की धार्मिक स्थिति और उक्त सड़क पर होने वाली भारी आवागमन को ध्यान में रखते हुये गोसाईगंज-दिलासीगंज रोड को कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बार रिजवी--

जी हां ।

जी, नहीं ।

जिला सेक्टर का कार्य है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) प्रान्तीय खण्ड द्वारा विकास खण्ड दोहरी घाट के ग्राम सिकटीकोल से नूरुल्लापुर, धर्मपुर बिसनपुर के टोला नकिहवा मार्ग पर मिट्टी कार्य एवं उस पर पुल का निर्माण

52--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) के प्रान्तीय खण्ड द्वारा गत वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड दोहरीघाट के ग्राम सिकटीकोल से नूरुल्लापुर, धर्मपुर बिसुनपुर के टोला नकिहवा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या यह सत्य है कि इस लम्बे सम्पर्क मार्ग पर पुल का निर्माण नहीं हुआ था जिसके कारण गत वर्षा में इस सार्वजनिक मार्ग की लाखों रुपये खर्च करके पड़ी मिट्टी बह गई ? यदि हां, तो पुल बनवाने में अनावश्यक विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ? इस क्षतिग्रस्त मार्ग पर कब तक मिट्टी मरम्मत तथा पुल निर्माण का कार्य कराये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बार रिजवी—

जी हां ।

5.85 लाख रु0 ।

जी नहीं ।

मिट्टी बहने का कारण इस क्षेत्र में आई अप्रत्याशित भीषण बाढ़ एवं अधिक दिनों तक पूरे क्षेत्र में जल भराव था ।

कोई नहीं । पुल स्वीकृत नहीं है ।

मिट्टी मरम्मत का कार्य एवं पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसंख्यक आयोग, उ0 प्र0 द्वारा नवाब असद अली खां, एडवोकेट एवं अन्य सभी नवाबों के वसीके को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आयुक्त लखनऊ मंडल, लखनऊ को भेजा गया पत्र

53—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, अल्प संख्यक आयोग, उ0 प्र0 ने एक पत्र सं0 सी0 एम0—1287 (957ए)/1595/आ0 स0 आ0/87, दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 नवाब असद अली खां, एडवोकेट एवं अन्य सभी नवाबों के वसीके को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इसी संदर्भ का एक पत्र संख्या सी0 एम0 1287/480/अ0 स0 अ0/87, दिनांक 7 जुलाई, 1988 एवं उसका रिमाइन्डर पत्र सं0 सी0 एम0 1287/1449/अ0 सं0 आ0 88, दिनांक 5 दिसम्बर, 1988 अनुसचिव, मुस्लिम वक्फ अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पास भी भेजे गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही एवं निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं तथा उस पर कब तक कार्यवाही करके निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री सैसईदुल हसन—

आयुक्त, लखनऊ मंडल एवं मुस्लिम वक्फ अनुभाग को प्रश्न में बताए गए पत्रादि प्राप्त हुए हैं । इस मामले में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है । मामला राज्य सरकार की टिप्पणी के साथ भारत सरकार को विचारार्थ भेज दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद के नगर अयोध्या के मुसलमानों के मैयतों को पंजीकृत कब्रिस्तानों में दफन करने हेतु आदेश की मांग

54—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्ना खां—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी में है कि वर्ष 1986—87 से जनपद फैजाबाद के नगर अयोध्या के मुसलमान अपनी मैयतों को दफन करने अन्य नगरों को जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सुन्नी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कब्रिस्तानों में दफन व्यवस्था के लिए सरकार कोई आदेश जिला प्रशासन को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जिला प्रशासन तथा सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड को इस आशय की सूचना या शिकायत किसी भी स्रोत से नहीं प्राप्त हुयी है कि अयोध्या नगर के मुसलमानों को अपनी मैयत दफनाने हेतु अन्य नगरों को ले जाना पड़ता है। जांच से भी इस अभिकथन की पुष्टि नहीं हुई।

बाल विकास परियोजना, फतेहपुर सीकरी, आगरा के सम्बन्ध में श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र

55--श्री बदन सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के विरुद्ध बाल विकास परियोजना, फतेहपुर सीकरी, आगरा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1988 को भेजा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती दीपा--

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जौनपुर, आजमगढ़ जनपदों में कुटीर उद्योग के स्थापनार्थ प्राप्त आवेदन-पत्र

56--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ जनपदों में कुटीर उद्योगों के स्थापनार्थ 3 सितम्बर, 1988 तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? क्या आवेदन-पत्रों की मांग के अनुसार धन उपलब्ध करा दिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो धन कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्रीमती बेनीबाई--

वर्ष 1988-89 में दिनांक 3 सितम्बर, 1988 तक जनपदवार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है :--

जनपद	3 सितम्बर, 1988 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
वाराणसी	19
जौनपुर	1
आजमगढ़	25

दिनांक 3 सितम्बर, 1988 तक इकाइयों को जनपदवार वित्तीय सहायता दिये जाने का विवरण निम्नवत् है :—

जनपद	कुल इकाइयों की संख्या जिन्हें धन वितरित किया गया
वाराणसी	10
जौनपुर	.
आजमगढ़	21

शेष प्रार्थना-पत्रों को परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र धन उपलब्ध कराया जायेगा ।

गोरखपुर जिला के भूतपूर्व सैनिकों का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग-पत्र देना

57—श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 को गोरखपुर जिला के तमाम भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था ? क्या इन लोगों ने एक मांग-पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्रीमती दीप:—

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा मांग-पत्र का परीक्षण किया जा रहा है ।

रा0 मा0 24 के नि0 कार्य में शासकीय चोरी सम्बन्धी सहायक अभियन्ता तृतीय रा0 मा0 खंड नं0 2 लखनऊ का पत्र

58—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि0 मन्त्री को जानकारी है कि रा0 मा0-24 पर कि0 मी0 466 में बी0 एम0 कार्य की डिबस ग्रिट कि0 मी0 472 एवं 473 में उतार कर 39 हजार की शासकीय चोरी सम्बन्धी सहायक अभियन्ता तृतीय रा0 मा0 खंड नं0 2 लखनऊ का पत्र 122/ए-1, दिनांक 17 मार्च, 1988 श्री एम0 डी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, यांत्रिक एच0 एम0 पी0, इटौजा को मिला था ? यदि हां, तो इस हानि के लिये कौन जिम्मेदार है और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

रु0 39,000 की शासकीय चोरी का कोई जिक्र नहीं है । पत्र में रु0 32,000 का सम्भावित हानि होने का उल्लेख है ।

सम्भावित हानि के विषय में जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ आशुलिपिकों के वेतनमान एवं चयन प्रक्रिया के आधार पर वरिष्ठता सूची का बनाया जाना

59--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0 नि0 मन्त्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ आशुलिपिकों का वेतनमान एवं चयन प्रक्रिया एक है ? यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता सूची एक की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 1979 से अब तक वेतनमान 515-860 में किस-किस वर्ष कितने-कितने पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के भरे गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि दोनों के संवर्ग अलग-अलग हैं :--

वर्ष	सीधी भर्ती की संख्या	पदोन्नति संख्या
1979	3	1
1980	7	2
1981	5	1
1982	..	..
1983	1	..
1984	..	1 तदर्थ
1985	..	..
1986	7	..
1987	..	..
1988	..	1 तदर्थ
योग ..	23	6

जनपद फैजाबाद के तहसील टांडा में मझवार जाति को अनुसूचित जाति सम्बन्धी सहकारी सुविधा बन्द करने का कारण

60--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के तहसील टांडा में मझवार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कर सरकारी सुविधा प्रदान की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब उक्त सुविधा बन्द की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के सेक्रेटरी अली जकी कुम्मी को कैसरबाग कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किया जाना

61—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के सेक्रेटरी अली जकी कुम्मी को कैसरबाग कोतवाली लखनऊ की पुलिस द्वारा दिनांक 13 जून, 1984 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा जारी किये गये बिना जमानती वारन्ट व कुर्की आदेश के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया था ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सेक्रेटरी के विरुद्ध वक्फ हकीज सैयद हिफाजत-अली, कस्बा-न्योतनी, जिला उन्नाव के रु0 80,000 के गबन किये जाने की शासन के मुस्लिम वक्फ अनुभाग में 1979 से विचाराधीन है और उपरोक्त सेक्रेटरी कुम्मी की आयु 70 वर्ष से अधिक और वह आज तक अपने पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त सेक्रेटरी को गम्भीर आरोपों के बावजूद एवं इनके विरुद्ध उन्नाव की अदालत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलते हुये अभी तक निलम्बित/बर्खास्त न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री सयद रईसुल हसन—

यह सही है कि शिया वक्फ बोर्ड के वर्तमान सचिव श्री एस0 ए0 जेड0 कुम्मी हरे पेड़ काटने के सम्बन्ध में थाना हसनगंज, उन्नाव पर पंजीकृत एक अभियोग में अभियुक्त हैं, जिसमें पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी हुयी थी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जहां तक वक्फ हकीम सै0 हिफाजत अली, न्योतनी, उन्नाव का रु0 80,000 के कथित गबन का प्रश्न है इस मामले में अब तक की जांच से श्री कुम्मी का कथित गबन से सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए कोई विश्वासनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। यह कथन भी सत्य नहीं है कि श्री कुम्मी की आयु 70 वर्ष से अधिक है। श्री कुम्मी द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष है। श्री कुम्मी के विरुद्ध उक्त आधारों पर शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अभी किसी कार्यवाई का औचित्य नहीं पाया गया है।

62—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कनिष्ठ लिपिकों का अवशेष वेतन एवं प्रोन्नति न दिया जाना

63—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1981 में चयनित कनिष्ठ लिपिकों का कई माह का वेतन अवशेष है ? यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या निदेशालय में पद रिक्त होने पर भी उनको प्रोन्नति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

केवल तीन लिपिकों का वेतन शेष है।

दो कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का मामला माननीय उच्च न्यायालय में इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त देने पर विचार करना उचित होगा। एक कर्मचारी के सम्बन्ध में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को वेतन भुगतान करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

नियमानुसार प्रोन्नति दी जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि नरायन सक्सेना सार्वजनिक विभाग के डिपाजिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान व जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

64—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हरि नरायन सक्सेना सार्वजनिक निर्माण विभाग, 52, सरकिल रामपुर में कार्यरत थे और उनका देहान्त 17 दिसम्बर, 1983 को हो गया था किन्तु अभी तक उनके डिपाजिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान जी0 पी0 एफ0 का भुगतान नहीं हुआ है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी श्री सक्सेना के उक्त लाभों का भुगतान यथाशीघ्र करवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

श्री हरी नरायन सक्सेना के जी0 पी0 एफ0 का अन्तिम भुगतान महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त भुगतान, आदेश के आधार पर उनकी पत्नी को किया जा चुका है। उनके डिपाजिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान की धनराशि के भुगतान के आदेश भी दिनांक 17 फरवरी, 1989 को जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खंड, कानपुर के वेतन भुगतान सम्बन्धी कतिपय जानकारी

65—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 7वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 24 व 25 के सम्बन्ध में क्रमशः मा0 विधायक श्री महावीर राणा के पत्रांक-13/सा0 नि0/88 तथा 12/सा0 नि0 1988, दिनांक 14 जुलाई, 1988 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर शासन द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मामले का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

सीतापुर में पुलिया निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच

66—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 7वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या सा0 नि0 मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जांच किससे करायी गयी तथा जांच परिणाम क्या रहा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच के निर्देश मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)/मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) को भेजे गये हैं। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

बांदा जनपद में सा0 नि0 वि0 की करतल-नरैनी तथा नरैनी-अतर्रा सड़क को ऊंचा करने की मांग

67--डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सा0 नि0 मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में सा0 नि0 वि0 की करतल-नरैनी तथा नरैनी-अतर्रा सड़क, नरैनी चौराहे तथा नरैनी बाजार में, पानी सड़क के ऊपर बहने के कारण क्षत-विक्षत हो गयी है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? क्या कोई ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि नरैनी चौराहे की सड़क तथा बाजार की सड़क के ऊपर से बरसाती पानी न बहे ? यदि हां, तो वह क्या उपाय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

वर्ष 1988 में हुई सामान्य क्षति की सामान्य मरम्मत करा दी गई है। मार्ग की रेंजिंग (ऊंचा करने) का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

68--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[6 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद में स्थित गोसाईगंज-सराय वीर सिंहपुर मार्ग पर गोसाईगंज कस्बे के दक्षिण मड़हा (तमसा) नदी पर नये पुल के निर्माण की मांग

69--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित गोसाईगंज-सरायवीर सिंहपुर मार्ग पर गोसाईगंज कस्बे के दक्षिण मड़हा (तमसा) नदी पर पड़ने वाला पुल काफी जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर रोडवेज की बसों और काफी भारी वाहनों का आवागमन होता है, क्या सरकार उक्त मार्ग पर नया पुल बनाने तथा उक्त सड़क तथा उसकी पटरियों को शीघ्र ठीक कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

पुल पुराना है परन्तु पुल की मरम्मत समय-समय पर कराई जा रही है और यातायात चालू है।

नये पुल का निर्माण कराने पर विचार किया जा रहा है तथा सड़क एवं पटरी की दशा संतोषजनक है।

हरिजन कालोनी, बलिया के पुनर्निर्माण की मांग

70—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि हरिजन कालोनी, बलिया जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और कभी भी ध्वस्त हो सकती है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी उसका निर्माण या पुनर्निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

इस सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण करके जानकारी उपलब्ध कराने के लिये प्रबन्ध निदेशक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम को निर्देश दे दिये गये हैं।

स्थिति स्पष्ट होने के बाद निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार

तदेव

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जे० सी० गर्ग, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराना, जनपद मुजफ्फरनगर पुल पर पथकर वसूली का ठेका दिया जाना

71—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सा० नि० मन्त्री बतायेंगे कि विधान सभा प्रथम सत्र 1988 के 5वें मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 65 में बताया गया था कि मुख्य अभियन्ता पश्चिमी क्षेत्र मेरठ को निर्देश दिये गये हैं कि जांच करके उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करें ? यदि हां, तो बतायेंगे कि जांच परिणाम क्या रहा तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ से प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार से देय धनराशि रुपये 78,625 की वसूली कर ली गयी है।

बादशाह नगर कालोनी लखनऊ के तिमंजिले आवासीय भवनों के एम० ए० एस० (मन्थली एकाउन्ट स्टेटमेन्ट) का समायोजन

72—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ के 56 तिमंजिले आवासीय भवनों का निर्माण कार्य अधीक्षण वि० नि० ई० (भवन) नं०-2, लखनऊ की देख-रेख में हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस कालोनी के एम०

ए0 एस0 (मन्थली एकाउन्ट स्टेटमेन्ट) का समायोजन किस-किस माह का हुआ ? क्या इसका अन्तिम एम0 ए0 एस0 समायोजित हुआ ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब से समायोजन करने हेतु कौन-कौन कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

इस कालोनी के एम0 ए0 एस0 (मन्थली एकाउन्ट स्टेटमेन्ट) का समायोजन मार्च 1983 तक हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं द्वारा अन्तिम एम0 ए0 एस0 समायोजन हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण।

विलम्ब से समायोजन का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

माननीय नेता विरोधी दल का स्व0 राधेश्याम सिंह के पुत्र को सेवा में रखे जाने विषयक पत्र

73—श्री जवाहर सिंह यादव—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल का दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 का पत्र सं0 1472 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्व0 राधेश्याम सिंह के पुत्र को सेवा में रख लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक रख लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि निदेशालय स्तर से आदेश देने के बावजूद भी गोरखपुर मण्डल के औ0 प्र0 सं0 के प्रधानाचार्यों के उदासीन रवैये के कारण इनकी नियुक्ति में विलम्ब किया गया जबकि इस मण्डल में कई नये औ0 प्र0 संस्थान खोले गये हैं और वहां नियुक्तियां की गयी हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में मोहान मार्ग पर बनी पक्के वाली नहर की पटरी को बनवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र

74—श्री शारदा प्रताप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1988 जो जनपद लखनऊ में बनी मोहान मार्ग के दो कि0 मी0 पर पक्के वाली नहर की पटरी जो ग्राम खण्डेव को जोड़ती है, को बनवाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग बनवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले में 1982 से अब तक अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियों के भुगतान न किये जाने विषयक पत्र

75—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में सन् 1982 की भी छात्रवृत्तियों के भुगतान अनुसूचित जाति के छात्रों को अब तक नहीं हो पाए हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या माननीय प्रधान मन्त्री जी भारत के कार्यालय से पत्र सं0 336841, दिनांक 15 नवम्बर, 1985 के कवरिंग सहित लाला प्रसाद नि0 असावर, उन्नाव का वर्ष 1982 की एम0 आर0 आर0 एस0 इण्टर कालेज, पुरवा, उन्नाव के तत्कालीन छात्र (इण्टर) का छात्रवृत्ति के भुगतान विषयक पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदेव

तदेव

तदेव

76—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद गोरखपुर की श्रीमती शमशुन निसा पत्नी स्व0 हफीज उल्लाह, मुहल्ला बख्तियारपुर, पो0 जाफरा बाजार को वृद्धावस्था पेन्शन पुनः जारी करने की मांग

77—श्री सैय्यद जावेद अली सज्जपोश—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की श्रीमती शमशुन निसा पत्नी स्व0 हफीज उल्लाह, मुहल्ला बख्तियारपुर, पो0 जाफरा बाजार को श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने वृद्धा पेंशन स्कीम नं0 9900/ओ0 ए0 पी0 कानपुर दिनांक 10 मार्च, 1964 के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 1964 से पेंशन स्वीकृत की थी जो 1 जून, 1982 तक बराबर मिलती रही ? यदि हां, तो क्या कारण है कि 1 जून, 1982 से पेंशन बन्द कर दी गई ? क्या सरकार तत्काल श्रीमती शमशुन निसा को पेंशन दिलाना जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

श्रीमती शमसुननिसा पत्नी स्व0 हफीज उल्लाह, बख्तियारपुर, पोस्ट जाफरा बाजार को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1964 से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई थी जो उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक बराबर भुगतान होती रही है ।

माह जनवरी से मार्च, 1982 की पेंशन धनादेश संख्या 3157, दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 द्वारा प्रेषित की गयी थी जो पोस्ट आफिस की इस सूचना के साथ वापस आ गयी कि पेंशनर श्रीमती शमशुननिसा की मृत्यु हो चुकी है । अतः पेंशन बन्द कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खंड नं0 2, लखनऊ के मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

78--श्री सरदार सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1986 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टेनोग्राफर को पदोन्नति के अवसर दिये जाने की मांग

79--श्री सरदार सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टेनोग्राफर को पदोन्नति के अवसर नहीं हैं ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टेनोग्राफर्स को यह सुविधा क्यों नहीं दी गयी ? क्या शासन इन्हें पदोन्नति देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

पदोन्नति के अवसर हैं ।

पदोन्नति की सुविधा दी जाती है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिये जाने की मांग

80--श्री सरदार सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विभागों द्वारा आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है तथा कब तक स्वीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग द्वारा इटौंजा प्लान्ट से बी0 एम0 एवं एस0 डी0 सी0 कार्यों हेतु निर्देश

81--श्री सरदार सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग ने पत्रांक-443/कैम्प-17-सी0 ई0 एन0 एच0/87, दिनांक 27 अक्तूबर,

1987 को इटौंजा प्लान्ट सं0 बी0 एम0 एवं एस0 डी0 सी0 कार्यों हेतु निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता वि0/यां नि 26 अक्तूबर, 1987 को प्लान्ट पर क्या-क्या कमियां पायी थी और अधिशासी अभियन्ता न अनुपालन आख्या क्या दी ? क्या विशिष्टियों के विपरीत कार्य सम्पादन के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया ? क्या यह भी बतायेंगे क श्री एच0 डी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ने माह अक्तूबर, 1988 में एच0 एम0 पी0 से 10 एम0 एम0 के स्थान पर 6 एम0 एम0 की ग्रिट का प्रयोग करने की सूचना उच्च अधिकारी को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा शासन को उससे कितनी हानि हुयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्लान्ट पर सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा अवर अभियन्ता (सिविल) उपस्थित नहीं थे और साथ ही तीन दिन ग्रिडर में जो ग्रिट डाली जा रही थी, उसमें काफी मात्रा में मिट्टी पाई गई थी ।

अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं है ।

दोषी पाये गये अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान समय से न किया जाना

82—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में कक्षा 9-10 व 11-12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के छात्रों को वर्ष 1986-87 व 1987-88 की छात्रवृत्ति का भुगतान अगस्त, 1988 तक भी नहीं के पाया था ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार और समय पर न करने कि दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सच है के0 एन0 पी0 एन0 इण्टर कालेज, मौरावां व बी0 के0 एच0 आर इण्टर कालेज मौरावां के प्रधानाचार्यों, द्वारा जि0 ह0 समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव को इस सम्बन्धोमें काफी पत्र भी लिखे गये हैं ? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

सम्बन्धित कर्मचारियों को समय से छात्रवृत्ति वितरण न करने के लिए लिखित चेतावनी दी गई तथा सभी कर्मचारियों को जनपद उन्नाव से स्थानान्तरण कर दिया गया, फिर भी इस सम्पूर्ण प्रकरण में निदेशक से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

कतिपय छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान छात्रों के खाते अभी तक न प्राप्त होन के कारण रुका हुआ है ।

तहसील माट, जनपद मथुरा के सुल्तानपुर नामक स्थान में पी0 डब्लू0 डी0 के निरीक्षण भवन की कमियों को दूर करना

83—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि माट तहसील, जनपद मथुरा के सुल्तानपुर नामक स्थान में पी0 डब्लू0 डी0 का निरीणण भवन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षण भवन बगैर लाइट व मरम्मत के बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निरीक्षण भवन को सही कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी नहीं । निरीक्षण भवन में बिजली की वायरिंग व फिटिंग पुरानी व खराब अवस्था में है, परन्तु बिजली की अस्थायी व्यवस्था की गई है और निरीक्षण भवन उपयोग में आ रहा है ।

निरीक्षण भवन की कमियों को ठीक कराने हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

गोण्डा म रामपुर दुबहा बाजार में शेष भाग के पेन्टिंग के कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

84—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि जनपद गोण्डा में रामपुर दुबहा बाजार की आठ कि0 मी0 मार्ग में एक कि0 मी0 मार्ग 1980 से अब तक पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण न होने के कारण जनता को विशेष असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह मार्ग वर्ष 1989 तक पूर्ण कराने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

मार्ग का यह कि0 मी0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित है तथा इसको लेपन स्तर तक लाने हेतु जिला योजना वर्ष 1988–89 में स्वीकृत किया जा चुका है ।

जनपद गोण्डा में करनैलगंज, हजूरपुर मार्ग के शेष भाग का कार्य पेन्टिंग स्तर तक न किये जाने का कारण

85—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि जनपद गोण्डा में करनैलगंज, हजूरपुर, जो जनपद बहराइच को जोड़ता है, एक मार्ग मुख्य मार्ग का शेष भाग का कार्य पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण किये जाने हेतु जिला योजना वर्ष 1988–89 में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य अब तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, शेष भाग की 7.7 कि0 मी0 लम्बाई में से 5 कि0 मी0 लम्बाई खड़ंजा से लेपन स्तर तक जिला योजना 1988–89 में स्वीकृत किया जा चुका है ।

जनपद सीतापुर में अकबरपुर-तालगांव मार्ग के शेष कार्य को पूर्ण किया जाना

86—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद सीतापुर में अकबरपुर तालगांव मार्ग जो खाद्यान्न योजना नं0 3 में स्वीकृत हुआ था, का कितने कि0 मी0 किस स्तर तक निर्माण कराया गया ? शेष कार्य किन कारणों से नहीं कराया गया ? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन खाद्यान्न योजना नं0 3 के अन्तर्गत विषयगत मार्ग का केवल 0.50 किमी0 मार्ग लेपन स्तर तक 9/79 में स्वीकृत हुआ था तथा उसे वर्ष 1983-84 में पूर्ण कर दिया गया था । सा0 नि0 विभाग के अधीन विषयगत मार्ग का कोई भी स्वीकृत कार्य शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों की ओर से मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन

87—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस निगम के कर्मचारियों में असंतोष को कम करने हेतु इस ज्ञापन की मुख्य व्यवहारिक मांगों पर कोई ठोस योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती बरसाती पत्नी स्व0 बंगाली, पश्चिम टोला, हरिजन बस्ती, टाउन एरिया पिपराइच, जनपद गोरखपुर को वृद्धा अवस्था पेंशन पुनः दिये जाने की मांग

89—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती बरसाती पत्नी स्व0 बंगाली, पश्चिम टोला, हरिजन बस्ती, टाउन एरिया पिपराइच, जनपद गोरखपुर को वृद्धा अवस्था पेंशन दी जाती थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि एक वर्ष से श्रीमती बरसाती को वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही है ? क्या सरकार तत्काल उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिलाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां ।

श्रीमती बरसाती को अनवरत पेंशन दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया जाना

90—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के आदेश सं0 667/इजी-24/आर0 एन0 एन/88-89, दिनांक 3 अगस्त, 1988 के अनुसार कितने सहायक स्थानिक अभियन्ता, सहायक वास्तुविद् उप अभियन्ता एवं वास्तुविद् सहायक ग्रेड 2 को समयमान वेतन दिया गया तथा कितनों को नहीं दिया गया ? जिनको नहीं दिया गया उनको कब तक समयमान वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रबन्ध निदेशक के आदेश दिनांक 3 अगस्त, 1988 के अनुसरण में राजकीय निर्माण निगम में अभी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है। सहायक स्थानिक अभियन्ता, सहायक वास्तुविद् एवं उप अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान देने के सम्बन्ध में निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आदेशानुसार कोई भी वास्तुविद सहायक ग्रेड 2 अभी समयमान वेतनमान प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 रा0 निगम लि0 के इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति

91—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 नि0 निगम लि0 के इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार सब इंजीनियर 8 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करके असिस्टेन्ट रेजीडेन्ट इंजीनियर के पद प्रोन्नति प्राप्त करते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है ? शेष सब इंजीनियर जो आठ साल या उससे अधिक सेवाकाल पूर्ण कर चुके हैं उसकी प्रोन्नति असिस्टेन्ट रेजीडेन्ट इंजीनियर के पद पर की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। 10 वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने के बाद प्रोन्नति के पात्र होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण निगम में आवश्यकता तथा पदों के उपलब्ध होने पर प्रोन्नति की जाती है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 में प्रोन्नति के पात्र कर्मचारियों को प्रोन्नति न दिये जाने के कारण

92—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 से जो जूनियर इंजीनियर प्रतिनियुक्ति पर उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में आये हैं क्या उनकी प्रोन्नति निगम में की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उ0 प्र0 राज्य निर्माण निगम लि0 में प्रोन्नति के पात्र कर्मचारी उपलब्ध थे ? यदि हां, तो उनकी प्रोन्नति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

सितम्बर, 1987 में निर्माण निगम की विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित किये गये निगम की सेवा के 19 सब इंजीनियर्स एवं सीनियर सब इंजीनियर्स को सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है ।

जनपद इलाहाबाद परगना चायल की ग्राम मन्दर से अहमदपुर पावन तक पक्की कराये जाने की मांग

93—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद इलाहाबाद परगना चायल की ग्राम मन्दर से अहमदपुर पावन तक की सड़क कितनी पुरानी सड़क है और 1984 से निरन्तर मांग के उपरान्त आज तक पक्की न किये जाने के क्या कारण हैं ? इस सड़क का कब तक डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला उद्योग केन्द्र लखनऊ में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

94—श्री सरदार सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र लखनऊ में दिनांक 1 जनवरी, 1987 से 31 जनवरी, 1987 के मध्य स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत महिलाओं के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने को इस योजना के अन्तर्गत धन स्वीकार किया गया ? बैंकों से कितनों को धन उपलब्ध कराया गया ? क्या यह सत्य है कि इस योजना के अन्तर्गत चयनित महिलाओं को बैंकों से आज तक धन उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है तथा उनको बैंक से कब तक धन दिला दिया जायेगा ?

श्रीमती बेनीबाई—

जिला उद्योग केन्द्र लखनऊ में दिनांक 1 जनवरी, 1987 से 31 जनवरी, 1987 के मध्य स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत महिलाओं के कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न मांगों की पूर्ति हेतु अनशन और प्रदर्शन

95—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व सैनिक अपनी परेशानियों को प्रदर्शित करने के लिए अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति हेतु प्रदेश में जगह-जगह अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी परेशानियों को दूर करने

के लिए अन्य प्रदेशों की तरह उन्हें सुविधायें प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

शासन की जानकारी अभी तक केवल गोरखपुर में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित प्रदर्शन की सूचना प्राप्त हुई है ।

गोरखपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

कालोनाइजेशन की भूमि जिलाधिकारी खीरी के माध्यम से सा0 नि0 विभाग को हस्तानान्तरित किया जाना एवं सम्पूर्णानगर थाने से हास्पिटल के बीच खाली जमीन पर निर्माण कराने के सम्बन्ध में पत्र

96—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-ए-5115/12 जी 220/-58, दिनांक 14 फरवरी, 1968 के अन्तर्गत कालोनाइजेशन की भूमि जिलाधिकारी खीरी के माध्यम से सा0 नि0 वि0 को हस्तानान्तरित की गई थी? उस पर सम्पूर्णानगर थाने से हास्पिटल के बीच खाली जमीन पर स्थायी तथा अस्थायी निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक-796/ज0 पा0/88, दिनांक 13 जुलाई, 1988 उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

माननीय सदस्य के उक्त पत्र तथा उसके संलग्नक की प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, सा0 नि0 वि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 4 अगस्त, 1988 को भेज दी गई थी । वैसे अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में पहले से ही कार्यवाही की जा रही है और विभिन्न न्यायालयों में चार वाद दाखिल किये गये हैं ।

जनपद उन्नाव के पुरवा मिर्रीकला बनी रोड के निर्माण हेतु आपूर्ति की गई घटिया दर की सामग्री

97—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1987 में वर्णित अनियमितताओं व 27 जनवरी, 1988 को सं0 अ0 से उठाए गए मुद्दों पर जांच हो गई है ? यदि हां, तो जांच किसने की ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 में प्रश्न उपस्थित करने पर विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0, बलिया के चन्द कार्यों की जांच

98--श्री मंनेजर सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 में प्रश्न उपस्थित करने पर विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0, बलिया के चन्द कार्यों की जांच पाण्डेय, अधीक्षण अभि0, सा0 नि0 वि0, मिर्जापुर द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जांच आख्या के अनुसार विभिन्न मार्गों पर निम्नांकित कमियां पाई गयी :--

(1) लालगंज मुरली-छपरा मार्ग पर निर्धारित ऊंचाई से कम ऊंचाई तक मिट्टी का कार्य किया गया है ?

(2) जय प्रकाश नगर मार्ग, बकुलहा संसार टोला मार्ग, चांदपुर-भगवानपुर मार्ग तथा गोहनिया-विशुनपुर छपरा मार्ग पर क्रस्ट की मोटाई कम पाई गयी, कुटाई में मिट्टी की मात्रा अधिक पाई गई तथा आवश्यक गुणवत्ता में कमी पाई गयी ।

(3) रानीगंज-इब्राहिमबीर मार्ग पर क्रस्ट की मोटाई कम पाई गयी तथा उसमें मिट्टी की मात्रा भी अधिक पाई गयी, सहायक अभियंता द्वारा चेकिंग नहीं की गई एवं कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं पाई गई ।

(4) गायघाट-पाण्टून पुल पर चैंकर प्लेटों को देखने से प्रतीत होता है कि प्लेट को काटकर दो प्लेट बना दिया गया है ।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिये दो सहायक अभियंताओं तथा चार अवर अभियंताओं को निलम्बित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त श्री परमहंस चौहान, अवर अभियन्ता को भी आरोप-पत्र देने एवं श्री एस0 के0 अग्रवाल तत्कालीन कार्य अधीक्षक, श्री आदि नाथ मलिक, अधिशासी अभियन्ता तथा श्री आर0 पी0 राम, कार्य अधीक्षक को भी कारण बताओं नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जनपद में विभागीय निर्माण इकाई क्षेत्र अन्तर्गत ढगेरहा नाला पर बनाया गया लघु सेतु की लागत एवं पहुंच मार्ग के न बनने के कारण

99--श्री मंनेजर सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में विभागीय निर्माण इकाई क्षेत्र अन्तर्गत ढगेरहा नाला पर लघु सेतु उत्तर प्रदेश निगम द्वारा कितने रुपये में कब तैयार हुआ और उसके पहुंच मार्ग के न बनने से सेतु प्रयोग में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो पहुंच मार्ग में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त सेतु आवश्यकता से अधिक ऊंचा बनाने और मूल मार्ग से पश्चिम मोड़ने के कारण पहुंच मार्ग का व्यय अधिक बढ़ रहा है ? यदि हां तो इसके लिये दोषी कौन है ?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत सेतु 19.69 लाख रुपये की लागत से मार्च, 1988 में तैयार हुआ है ।

जी हां ।

भूमि का उपलब्ध न होना ।

पुल की ऊंचाई एवं मोड़ स्थल की आवश्यकता के अनुरूप ही रखे गये हैं ।

कोई नहीं ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र की सड़क गंगा पाण्डेय टोला बुधेला को पक्का कराने की योजना

100--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सा० नि० मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित बलिया जनपद के पूर्वी क्षेत्र की सड़क गंगा पाण्डेय टोला बुधेला आठ किमी० को पक्का कराने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री अम्मार रिजवी --

जी नहीं । इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यूपिका कानपुर में नान कन्ट्रोल क्लाथ की खरीद का भुगतान शीघ्र और कन्ट्रोल क्लाथ के भुगतान में विलम्ब का कारण

101--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि यूपिका कानपुर में नानकन्ट्रोल क्लाथ की खरीद का भुगतान शीघ्र और कन्ट्रोल क्लाथ का भुगतान महीनों नहीं होता है ? इसका क्या कारण है ? यदि नहीं, तो जनता धोती का भुगतान किस तारीख की खरीद तक कर दिया गया है और नान कन्ट्रोल किन तारीखों तक का किया गया है ?

श्रीमती बेनीबाई--

यह सही नहीं है ।

जनता धोती की खरीद के विरुद्ध 22 फरवरी, 1989 तक का कोई भुगतान अवशेष नहीं है । 31 मार्च, 1988 तक की अवधि का नान कन्ट्रोल क्लाथ की खरीद का भुगतान किया जा चुका है ।

31 मार्च, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक जनता धोती की खरीद तथा बिक्री तथा 56 लाख रुपये का माल कम होना

102--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक जनता धोती की खरीद कुल कितने रुपये की की गई और बिक्री कितनी हुई ? इस समय स्टाक कितना है ? क्या यह सही है कि लगभग 56 लाख रुपये का माल कम है ?

श्रीमती बेनी बाई—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यूपिका कानपुर की लेखा परीक्षा की अन्तिम रिपोर्ट

103—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि यूपिका, कानपुर की वर्ष 1983-84 की लेखा परीक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक लेखा परीक्षा समाप्त हो जायगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

लेखा परीक्षा की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो जायेगी ।

श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि० के विरुद्ध सतर्कता द्वारा जांच

104—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि० के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सम्प्रति श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि० के विरुद्ध उनके नाम से सतर्कता अधिष्ठान की कोई जांच नहीं चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मन्त्री को सम्बोधित रारी विधान सभा क्षेत्र, जौनपुर में पुलों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

105—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या सा० निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 जोकि 255, रारी विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में पुलों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कहां-कहां पुलों का निर्माण कराया गया एवं शेष पुलों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

बटाउबीर मई मार्ग पर पीली नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा शेष पुलों में जो पुल सा० नि० विभाग की सड़क पर पड़ते हैं, उनका निर्माण धन की उपलब्धता तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है । अन्य विभागों के पुलों का निर्माण सा० नि० विभाग द्वारा अपेक्षित नहीं है ।

मथुरा जनपद में झरोठा-दघेटा मार्ग पर दघेटा राजबाहे के टूटे पुल के निर्माण की मांग

106--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में झरोठा-दघेटा मार्ग पर पड़ने वाला दघेटा राजबाहे का पुल टूट गया है ? यदि हां, तो लोकहित में इस पुल को कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां।

प्रश्नगत पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं है, अतः इस विभाग द्वारा निर्माण कराने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 विभाग आजमगढ़ में बिना स्वीकृति के मार्गों के निर्माण के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

107--श्री रमाकान्त--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ में मार्च, 1985 से नवम्बर, 1988 तक बिना स्वीकृति के किन-किन मार्गों का निर्माण कार्य किस स्तर तक कराया गया है ? क्या बिना स्वीकृति के कार्य कराने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत खण्ड में मार्च, 1985 से नवम्बर, 1988 के बीच बिना स्वीकृति के निम्न दो मार्गों पर कार्य कराये गये हैं।--

1--मथुरी-परसुरामपुर मार्ग के कि0मी0 1 में इण्टरकोट व टाप कोट की सामग्री एकत्र की गयी है।

2--जियनपुर-मुहम्मदाबाद से अमुवारी-नरायनपुर मार्ग के कि0मी0 1 में टापकोट तक निर्माण कार्य कराया गया है।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ में कंशियर द्वारा बिना किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर के चोरी से टेण्टर बेचे जाने की शिकायत

108--श्री रमाकान्त--

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ में वर्ष मार्च, 1985 से मार्च, 1988 तक कंशियर द्वारा बिना किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर के चोरी से टेण्टर बेचे जाने की शिकायत

शासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत ड्राइवरों की संख्या, कार्यकाल की अवधि एवं वेतनमान

109--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में दिसम्बर, 1988 के अन्त तक कितने ड्राइवर कितने-कितने समय से कार्यरत थे ? इनमें स्थायी ड्राइवरों की संख्या क्या है तथा इन्हें कौन सा वेतनमान अनुमन्य है ? शेष ड्राइवरों को कब तक स्थायी किया जाएगा ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय निर्माण निगम में दिसम्बर, 1988 के अन्त तक कार्यरत ड्राइवरों की संख्या एवं उनके कार्यकाल की अवधि सम्बन्धी सूचना संकलित की जा रही है ।

कोई ड्राईवर स्थायी नहीं है । वर्तमान में राजकीय निर्माण निगम में 15 ड्राईवर नियमित वेतनमान में अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं एवं इनको रु0 335-8-415-10-495 का वेतनमान अनुमन्य है ।

नियमित नियुक्ति का प्रश्न नियमित पदों के सृजन और नियमित रूप से आवश्यकता होने पर ही उठेगा तथा उस समय दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों में से सुयोग्य व्यक्तियों को खपाने का प्रयास सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ में अनुदेशक कला/गणित के पद हेतु आवेदन-पत्र एवं चयन

110--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जून, 1988 में विज्ञापित अनुदेशक कला/गणित के पद हेतु अन्तिम तिथि तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? जांचोपरान्त कितने आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया गया ? कितने आवेदकों को लिखित/मौखिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया ? कितने अभ्यर्थियों का चयन उपर्युक्त पदों पर किया गया ? यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब का मुख्य कारण क्या है ?

श्री सईदुल हसन--

कुल 838 आवेदन-पत्र अनुदेशक कला/गणित के पद हेतु प्राप्त हुये ।

जांचोपरान्त 499 आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया गया ।

339 आवेदकों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया जिसमें से 43 उत्तीर्ण आवेदकों को मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया गया :

विज्ञप्ति समस्त 20 पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया गया ।

कार्यालय 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्तियां न किये जाने के कारण

111—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी में कनिष्ठ लिपिकों के कई स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो मृतक आश्रितों को शैक्षिक योग्यतानुसार कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल दो स्थान दिनांक 5-11-88 से रिक्त हैं ।

ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

19वां वृत्त सा0 नि0 विभाग झांसी के अन्तर्गत नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को प्रभारित अधिष्ठान में सेवायोजन प्रदान करने के कारण

112—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी के अन्तर्गत नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को शासन/प्रमुख अभियन्ता मुख्य अभियन्ता के किस आदेश निर्देश के अनुपालन में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवायोजन प्रदान किया जा रहा है ? क्या उक्त आदेश/निर्देश संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत प्रख्यापित मृतक आश्रितों की भर्ती सम्बन्धी नियमावली, 1974 के प्राविधानों पर अधिप्रभावी रखा जा सकता है ? यदि नहीं, तो नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां क्यों की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती बल्दा जी बेवा पुत्तू लाल जाटव निवासिनी ग्राम चन्द्रपुर, तहसील बिधूना जिला इटावा का प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति किया पत्र

113—श्री औसान सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र दिनांक 26-9-88 के साथ श्रीमती बल्दाजी बेवा पुत्तू लाल जाटव निवासिनी ग्राम चन्द्रपुर, तहसील बिधूना जिला इटावा का कोई प्रार्थना-पत्र निराश्रित विधवा अनुदान/पेंशन हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

114—श्रीमती सुखपाल पाण्डे—

[दिनांक 24-2-89 को अना0 प्र0 सं0 23 द्वारा उत्तरित]

विधायक निवास में कार्यरत 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर

115--श्री सुखपाल पान्डे--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास में कार्यरत 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो किन पदों पर ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, अपेक्षित अर्हतायें रखने वाले श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ।

(1) लेखा लिपिक (2) पूछताछ लिपिक एवं स्वागतकर्ता (3) टेलीफोन (टेलैक्स) आपरेटर (4) काउन्टर क्लर्क कम स्टोरकीपर (कनिष्ठ श्रेणी) (5) स्वागतकर्ता (6) स्वागतकर्ता एवं स्टोरकीपर (7) स्टोरकीपर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ (पहले आजमगढ़) की अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण मऊनाथ भंजन क्षेत्र में स्वीकृत निर्माण कार्य का सम्पन्न न किया जाना

116--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ (पहले आजमगढ़) की अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण मऊनाथ भंजन क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 88 तक स्वीकृत निर्माण कार्य का 1/4 भाग भी सम्पन्न नहीं हो पाया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 विभाग, मऊनाथ भंजन में 1 अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 की अवधि में डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा केवल एक कार्य, मधुबन बाजार में जल निकासी हेतु नाली एवं पटरी पर सोलिंग का कार्य 6.64 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत हुआ है जिसका धन प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा विकलांग पेंशन की व्यवस्था बन्द किया जाना तथा विभिन्न वर्षों में पेंशन की स्वीकृति

117--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने विकलांग पेंशन की व्यवस्था बंद कर दी है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में कितने विकलांग को पेंशन स्वीकृत हुई है ?

श्रीमती दीपा—

विकलांग पेंशन की कोई योजना नहीं है । निराश्रित विकलांगों को उनके भरण-पोषण के लिए अनुदान देने की योजना है जो बन्द नहीं की गई है ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 व 1987-88 में प्रत्येक वर्ष में 23,990 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया गया । वर्ष 1988-89 में 24273 विकलांगों को उक्त अनुदान स्वीकृत करने का लक्ष्य है ।

उन्नाव में पेंशन स्वीकृत विधवाओं की संख्या

118—श्री हृदय नरायन दीक्षित —

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में उन्नाव जिले में कुल कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत हुई है ?

श्रीमती दीपा—

उन्नाव जनपद में 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में कुल 1613 विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों तक एम0 एन0 पी0 के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में बनाये गये सड़न्ना लिंक मार्गों की संख्या

119—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सा0 नि0 मंत्री प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0 111 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि उन्नाव जिले के तहसील पुरवा के एम0 एम0 यू0 मार्ग से सरवन, एम0 एम0 यू0 से असरेन्दा शून्य किमी0 से ग्राम असरेन्दा तक, उन्नाव पुरवा रोड से कसरौर मौरावां-नरौचक-मवई, हिलौली-लउवा मौरावां से अहेता, असरेन्दा से गुजौली मार्ग अब भी पैदल चलने लायक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? मार्ग पुनः यातायात योग्य बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विषयगत सभी मार्ग वाटर बाउन्ड पत्थर स्तर के हैं तथा यातायात योग्य हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

मार्गों का रख-रखाव ब्लाइडिंग आदि करा कर समय-समय पर किया जा रहा है तथा मौरावां नरौचक मवई मार्ग 9.450 कि0 मी0 लम्बाई को खड़ंजा स्तर से लेपन स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

ग्राम सैदपुर भितरी ग्राम ताराखुर्द जनपद फैजाबाद तक जाने वाले मार्ग को पेन्टिंग करने के सम्बन्ध में पत्र

120—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 मई, 1988 जो ग्राम सैदपुर भितरी ग्राम ताराखुर्द जनपद फैजाबाद तक जाने मार्ग को पेन्टिंग करने के सम्बन्ध में है और जिसकी प्राप्ति की सूचना 429/बी आई0 पी0/88, 22 फरवरी, 1986 द्वारा दी गयी है पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त मार्ग को पेन्ट करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की वरिष्ठता सूची में पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तयों में रखा जाना

121--श्री जवाहर सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की वरिष्ठता सूची में उनके पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह नियम सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों पर भी लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रोन्नति श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं को यू0 पी0 सर्विस आफ इंजीनियर्स (बी0 ऐण्ड आर0 ब्रांच) क्लास-2 नियमावली के सुसंगत नियमों एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग के परामर्श से वर्षवार आरक्षित रिक्तियों में अनुमोदन के अनुसार उनके मौलिक पद पर वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियंता की ज्येष्ठता सूची में रखा गया है ।

जी नहीं ।

नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ताओं की भर्ती एवम् रेगुलराइजेशन रूल्स

122--श्री जवाहर सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की वर्ष 1979 तथा 1980-81 तक की सीधी भर्ती की जिन रिक्तियों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था ? क्या वरिष्ठता सूची में उन्हीं रिक्तियों को दिनांक 23 फरवरी, 1980 तथा उसके बाद रेगुलराइजेशन रूल्स 1979 द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

रेगुलराईजेशन रूल्स 1979 में प्राविधान है कि किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये ऐसी रिक्ति में, संगत सेवानियमों में या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

जिला सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फार्म का न उपलब्ध होना

123--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के जिला मुख्यालय स्थित रोजगार दफ्तर में पिछले लगभग दो माह से अधिक समय से रजिस्ट्रेशन फार्म उपलब्ध

नहीं है जिसके कारण बेरोजगार नवजवानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने में भारी कठिनाई हो रही है और उन्हें फार्मों को साइक्लोस्टाइल या फोटो स्टेट करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसके लिए कौन दोषी है तथा रजिस्ट्रेशन फार्म रोजगार दफ्तर, फैजाबाद में कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री सईदुज्जमान—

जी हां ।

जिला सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद में दिनांक 12 सितम्बर, 1988 से 11 जनवरी, 1989 तक छपे हुए रजिस्ट्रेशन फार्म उपलब्ध नहीं थे ।

उक्त अवधि में सेवायोजन कार्यालय द्वारा ही साइक्लोस्टाइल रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रपत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये गये न कि अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं साइक्लोस्टाइल कराया गया ।

इस समय जिला सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद में छपे हुए पंजीयन प्रपत्र उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, तहसील किरावली में स्थित हीरा लाल की प्याऊ से आगरा अछनेरा मार्ग के ग्राम साहई तक बनी सड़कों को सा० नि० विभाग को हस्तान्तरित कराकर डामर रोड बनाने की मांग

124—श्री बदन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 तहसील किरावली में स्थित हीरा लाल की प्याऊ से आगरा अछनेरा मार्ग के ग्राम साहई तक बनी सड़क कई विभागों द्वारा निर्मित की गई है ? यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण मार्ग को एक ही विभाग सा० नि० वि० द्वारा हस्तान्तरित करा कर पूर्ण डामर रोड बनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग, जिसकी कुल लम्बाई 9.40 कि० मी० है, में से 5.8 कि० मी० का भाग सा० नि० विभाग तथा 3.6 कि० मी० का भाग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा वाले उक्त भाग को सा० नि० विभाग में हस्तान्तरित/अधिग्रहीत किया जाना एवं सम्पूर्ण मार्ग को डामर स्तर तक निर्मित कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का निर्भर है ।

बाल विकास परियोजना, अलीगंज, लखनऊ में मुख्य सेविका श्रीमती राधा गुप्ता के विरुद्ध चार्जशीट

125—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत मुख्य सेविका श्रीमती राधा गुप्ता के विरुद्ध कोई चार्जशीट विभाग द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? उसमें कौन-कौन से चार्ज लगाये गये हैं ? उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

दिनांक 5 फरवरी, 1988 ।

निम्नलिखित चार्जे लगाये गये हैं :—

1—आदेश लेने से इन्कार करना ।

2—स्थानान्तरण आदेश स्थगित होने पर दिनांक 19 अक्तूबर, 1987 को बलपूर्वक उपस्थिति पंजिका लेकर अनुपस्थिति अवधि दिनांक 26 अगस्त, 1987 से 19 अक्तूबर, 1987 तक की उपस्थिति एक ही दिन अंकित करना ।

जांच की गयी, जिसमें आरोप सिद्ध पाये गये और उसके अनुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की नीतियों के विपरीत जनपद गोंडा से लखनऊ जाने वाले वाहनों के चालकों से सरजू घाट पर जबरन पुलाही लेने का कार्य

126—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि शासन की नीतियों के विपरीत जनपद गोंडा से लखनऊ जाने वाले वाहनों के चालकों द्वारा सरजू घाट पर पुलाही का भुगतान करने के बाद भी घाघरा घाट के ठेकेदार द्वारा जबरन पुलाही लेने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक वाहन कर वसूली के लिये सरकार कोई कार्यवाही तत्काल करेगी ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में कथित ठेकेदार द्वारा वसूली शासकीय अधिसूचना संख्या 2174/23-सा0 नि0 वो-62-76, दिनांक 2 जून, 1976 के प्राविधानों के अनुसार की जा रही है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोंडा में तहसील उतरौला व विकास खंड रेहरा में रेहरा-सादुल्ला नगर मार्ग को निर्माण कराये जाने की मांग

127—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा में तहसील उतरौला व विकास खंड रहेरा में आवागमन हेतु रहेरा-सादुल्ला नगर 14 किमी0 लम्बा एक मात्र मार्ग है ? जिसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

विषयगत मार्ग की लम्बाई 14.8 किमी0 है ।

जी नहीं, निर्माण कार्य स्वीकृति स्तर तक पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांगों की पेंशन को मनी आर्डर द्वारा भेजे जाने की मांग

128--श्री सैयद जावेद अली--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधवाओं एवं जू0 हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल के हरिजन छात्रों को पेंशन एवं छात्रवृत्ति मनी आर्डर द्वारा भेजी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी प्रकार विकालांगों की पेंशन को भी मनीआर्डर से भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण हेतु दिये जाने वाली धनराशि को मनी आर्डर से भेजे जाने के प्रकरण पर शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश के बरेली डिवीजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खंडों/इकाइयों में साईन एवं काशन बोर्ड की खरीद

129--श्री शूरवीर सिंह सजवाण--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने सर्कुलर संख्या 42सी-110 यातायात-85, दिनांक 19 फरवरी, 1985 द्वारा प्रचुर मात्रा में साईन बोर्ड एवं काशन बोर्ड लगाने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में प्रदेश के बरेली डिवीजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों/इकाइयों में कितने-कितने बोर्ड खरीदे गये ? क्या बोर्डों के खरीदने के लिये कोटेशन मांग गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

इस क्षेत्र में बरेली डिवीजन के कार्यरत खंडों द्वारा निम्न विवरण के अनुसार साईन एवं काशन बोर्ड खरीदे गये ।

वर्ष 1984-85

1-- प्रान्तीय खंड, बरेली	शून्य
2--अस्थायी खंड, बरेली	4 नं0
3--वि0 नि0 ई0, बरेली	शून्य
4--प्रान्तीय खंड, शाहजहांपुर	शून्य
5--निर्माण खंड, शाहजहांपुर	शून्य
6--प्रान्तीय खंड, बदायूं	20 नं0
7--निर्माण खंड, बदायूं	40 नं0
8--प्रान्तीय खंड, पीलीभीत	34 नं0
9--अस्थायी खंड, पीलीभीत	शून्य
कुल योग	.. 98 नं0

जी हां, केवल प्रान्तीय खंड, पीलीभीत को छोड़कर ।

प्रान्तीय खंड, पीलीभीत में एस0 एस0 आई0 में पंजीकृत मेसर्स रोड रिफलेक्टिव राजेज, मेरठ की फर्म से, वर्ष 1984-85 की मूल्य सूची के आधार पर बोर्ड खरीदे गये थे । इस फार्म का पंजीकरण नं0 20/37/06212/पी0एम0टी0/एस0 एम0आई0/08 है ।

130—श्री मुस्तफा मन्द अली खां—

[दिनांक 24 फरवरी, 1989 के अता0 प्रश्न सं0 28 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित राज्य अतिथि गृह की व्यवस्था में गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

131—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित राज्य अतिथि गृह की व्यवस्था में गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कितने पत्र शासन को माह दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुए हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के दो पत्र दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुये हैं ।

जांच कराई जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार पत्र संस्थानों द्वारा पालेकर एवार्ड का अंशकालिक पत्रकारों के सन्दर्भ में प्रभावी ढंग से न लागू किया जाना

132—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सूचना मन्त्री को जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस-किस समाचार पत्र संस्थान ने पालेकर एवार्ड का अंशकालिक पत्रकारों के सन्दर्भ में अभी तक प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया है और इन संस्थानों पर पालेकर एवार्ड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सईदुल हसन—

प्राप्त सूचनानुसार मेसर्स दैनिक मध्ययुग, बांदा के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठानों में पालेकर एवार्ड का अंशकालिक पत्रकारों के सन्दर्भ में पालन हो रहा है । मेसर्स दैनिक मध्ययुग, बांदा के सेवायोजकों द्वारा इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जिसके कारण उनके विरुद्ध प्राभियोजन की कार्यवाही की गई है ।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत रेगाघाट पर गोमती नदी पर सिधागर रेगा पिड़ारी मार्ग पर पुल के निर्माण की मांग

133—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सा0 निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत रेगाघाट पर गोमती नदी पर सिधागर रेगा पिड़ारी मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की योजना शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रस्तावित सेतु का निर्माण जिला योजना का कार्य है, जिसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है ।

जनपद मिर्जापुर में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय की स्थापना, बेरोजगार नवयुवकों के पंजीकरण की संख्या तथा सेवायोजित कराया जाना

134--श्री विजय सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय कब खुला है, खोलने से दिसम्बर, 1988 तक कितने स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों का पंजीकरण हुआ, उनमें से कितनों को सेवायोजित किया जा चुका है और कितने अभी तक बाकी हैं ?

श्री सईदुल हसन--

विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, छुट्टी जनपद मिर्जापुर की स्थापना के आदेश दिनांक 26 जुलाई, 1979 को दिये गये थे ।

वर्ष 1979 से 1988 तक कुल 11,430 बेरोजगार नवयुवकों का पंजीकरण किया गया, इनमें से 584 को सेवायोजित कराया गया ।

31 दिसम्बर, 1988 को प्रश्नगत कार्यालय में 2,824 बेरोजगार पंजीकृत अभ्यर्थी शेष थे ।

जनपद गोन्डा में करनैलगंज, हजूरपुर मार्ग से देवापासिया मार्ग पर अपूर्ण पुलिया के निर्माण के कारण

135--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में करनैलगंज, हजूरपुर मार्ग से देवापासिया बहु चालित मार्ग पर जनवरी या फरवरी, 1987 से अपूर्ण पुलिया का निर्माण कार्य बन्द होने का क्या कारण है ? पुलिया का पूर्ण कार्य योजनानुसार कब तक किया जाना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में निराश्रित विधवाओं के आवेदन पत्र एवं उनकी सहायता हेतु योजना

136--श्री फसीउरहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ऐसी कितनी निराश्रित बेवायें हैं जिनके सहायता हेतु फार्म जमा तो हैं परन्तु उन्हें सहायता नहीं दी गई है ? क्या निराश्रितों को सहायता हेतु भुगतान की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

गोण्डा जनपद में 2,292 निराश्रित विधवाओं के आवेदन पत्र सहायता हेतु जमा हैं जिन्हें सहायता नहीं दी गयी है ।

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु अनुदान की योजना है । अतिरिक्त विधवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 के बजट में रु0 7·5 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

श्री बलदेव प्रसाद शुक्ल एवं श्री जी0 डी0 तिवारी, सहायक अधीक्षक की वरिष्ठता का अवक्रमण कर पदोन्नत किया जाना

137--श्री बलराम यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बलदेव प्रसाद शुक्ल एवं श्री जी0 डी0 तिवारी जो सहायक अधीक्षक की वरिष्ठता सूची पर क्रमशः 32 नम्बर एवं 35 नम्बर पर हैं, की पदोन्नति उनसे वरिष्ठ को अवक्रमित करके की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्रीमती दीपा--

प्रश्नगत सहायक अधीक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 27 अक्तूबर, 1988 में क्रमशः 25 एवं 27 क्रमांक पर है तथा इन कर्मचारियों की वरिष्ठता का अवक्रमण कर पदोन्नति नहीं किया गया है बल्कि बाल विकास परियोजना में तदर्थ रूप से व्यवस्थित किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक की पदोन्नति में की गयी अनियमितता को लेकर विभाग के विरुद्ध मुकदमें

138--श्री बलराम यादव--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक की पदोन्नति में की गयी अनियमितता को लेकर विभाग के विरुद्ध कितने मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ? विचाराधीन मुकदमों का विवरण क्या है ?

श्रीमती दीपा--

कुल 6 मामले माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन हैं। विचाराधीन मामलों का विवरण निम्नवत् है :--

1--रिट नोटिस सं0 4298/82, श्री राघव जी पाठक, श्री बी0 एन0 धस्माना तथा श्री वी0 पी0 शुक्ला बनाम राज्य सरकार ।

2--रिट नोटिस सं0 3659/82, श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार ।

3--रिट नोटिस सं0 5605/82, श्री अली अख्तर रिजवी बनाम राज्य सरकार ।

4--रिट नोटिस सं0 4392/83, श्री पवन कुमार पाण्डेय बनाम राज्य सरकार ।

5--रिट नोटिस सं0 6066/83, श्री भरत लाल बनाम राज्य सरकार ।

6--रिट नोटिस सं0 3483/83, श्री डी0 पी0 सिंह बनाम राज्य सरकार ।

139—श्री मट्ठू लाल विकल—

[दिनांक 1 मार्च, 1989 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद गोरखपुर के श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व मा0 विद्यालय, जगदीशपुर, गोरखपुर के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने की मांग

140—श्री सैय्यद जावेद अली—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व मा0 विद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर, के हरिजन छात्रों को कक्षा 7 एवं 8 की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदेव

तदेव

तदेव

तदेव

बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र बिल्थरा रोड में आई0 टी0 आई0 की स्थापना

141—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र बिल्थरा रोड में आई0 टी0 आई0 की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त संस्थान की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां ।

बिल्थरा रोड जनपद बलिया में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में वित्तीय व्यवस्था कराई गयी है, जिसकी स्वीकृति यथासमय दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में जमुना नदी पर जमुना पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

142—श्री बदन सिंह—

क्या सा0 नि0 मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में जमुना नदी पर जमुना पुल मरम्मत न होने के कारण भारी यातायात की कठिनाई व आर्थिक हानि हो रही है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मरम्मत का कार्य दिनांक 28 फरवरी, 1989 को पूर्ण करके यातायात खोल दिया गया है ।

जनपद मेरठ के बागपत-मुरादनगर मार्ग पर हिण्डन नदी पर सुराना गांव के पास पुल बनाये जाने की मांग

143--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के बागपत-मुरादनगर मार्ग पर हिण्डन नदी पर सुराना गांव के पास कोई पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त पुल को कब तक बनवा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मेरठ के बन्थला-ढुकौली मार्ग पर अनधिकृत रूप से बने मकान व उक्त अवैध निर्माण को हटवाये जाने की मांग

144--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के बन्थला-ढुकौली मार्ग के कि0 मी0 3, 4 व 5 में कितने लोगों ने अनधिकृत रूप से मकान बना रखे हैं ? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

बंथला-ढुकौली मार्ग के कि0 मी0 3, 4 व 5 जनपद मेरठ में न पड़कर जनपद गाजियाबाद में पड़ते हैं । मार्ग के कि0 मी0 4 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि के बाहर कुछ दुकानें बनी हैं । चूंकि प्रश्नगत मार्ग संयुक्त प्रान्त पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 के अधीन नियंत्रित क्षेत्र घोषित नहीं है । इसलिए इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही संभव नहीं है । दूकानों के सामने 115 मीटर की लम्बाई में सा0 नि0 वि0 की भूमि पर पक्की चहार दीवारी का अवैध निर्माण कराया गया है । उक्त अवैध निर्माण को हटवाने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर देहात जनपद के मकनपुर कस्बे की ग्राम सभा में मुख्य मंत्री द्वारा बिल्हन से रसूलाबाद मार्ग के लिए धन की स्वीकृति तथा इस मार्ग का निर्माण न कराये जाने के कारण

145--श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1988 को कानपुर देहात जनपद के मकनपुर कस्बे की एक आम सभा में बिल्हन से रसूलाबाद 20 कि0 मी0 खरंजा मार्ग को लेपन स्तर पर शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु 65 लाख रु0 की स्वीकृति की घोषणा की गई थी ? क्या इस स्वीकृति की घोषणा पर कोई विभागीय कार्यवाही की प्रगति हुई ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ? क्या इस प्रसंग में अब तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है तो उसका कारण क्या है ? इस मार्ग का निर्माण व्यवहारिक रूप से कब तक प्रारम्भ करा दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

मार्ग का आगणन तैयार कर लिया गया है ।

सीमित संसाधनों के कारण वर्ष 1988-89 में इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

स्वीकृत होने पर निर्भर है ।

वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना एवं बहाल न करने के कारण

146—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कितने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को करीब सात महीने से अधिक समय से निलम्बित कर दिया गया है जिन्हें अब तक न तो कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही उन्हें बहाल ही किया गया है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत 7 माह से अधिक समय से निलम्बित समस्त 4 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड में औद्योगिक आस्थान की स्थापना एवं वृहद् उद्योग लगाये जाने विषयक पत्र

147—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड में औद्योगिक आस्थान की स्थापना एवं वृहद उद्योग लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1989 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

विकास खण्ड पथरदेवा, जनपद देवरिया में वर्ष 1988-89 में मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है । वर्तमान में वृहद उद्योग लगाये जाने की कोई योजना नहीं है ?

वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत वाराणसी मिर्जापुर को जोड़ने वाले खनांविवेदावर सम्पर्क मार्ग के निर्माण होने में विलम्ब के कारण

148—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लाक अन्तर्गत वाराणसी मिर्जापुर को जोड़ने वाले 40 कि0 मी0 लम्बे

बनावबेदावर सम्पर्क मार्ग के निर्माण होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? कब तक प्रश्नगत मार्ग पर मिट्टी व गिट्टी व सोलिंग का कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्नगत मार्ग चूंकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल इसका निर्माण सम्भव नहीं है ।

149--श्री शारदानन्द अंचल--

[5वें शुक्र के लिए स्थगित]

महामंत्री, उत्तर प्रदेश सा0 नि0 वि0 आकस्मिक संघ का कथित पत्र

150--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सा0 नि0 वि0 शाहजहांपुर में कार्य पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

151--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार का अता0 प्र0 सं0-27 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई तथा मांगे गये बिन्दुओं पर आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज घाट के निकट सरकारी आवास की जमीन पर चौकीदार श्री झगरू द्वारा किसानों का कब्जा कराया जाना एवं जांच

152--श्री बनराज यादव--

क्या सा0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में डुमरियागंज घाट के निकट सरकारी आवास की जमीन एवं बाई पास हेतु 1966 में सरकार द्वारा अवाप्त की गयी भूमि जिसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा चुका है, वहां के चौकीदार

श्री अशोक द्वारा उक्त भूमि पर शिक्षकों का पुनः कब्जा करा दिया गया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा लगाये गये 20 पेड़ भी शामिल हैं। यदि हां, तो क्या उक्त चौकीदार का ट्रांसफर करके मामले की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत आवासों की भूमि अभी तक शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है, यद्यपि आवास बनाये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० के० गर्ग, अधिशासी अभियन्ता स० नि० वि० द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

153—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-4-86 तथा 18-9-86 प्राप्त हुये ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रान्तीय खण्ड लखनऊ सा० नि० वि० में अनुलिपिक की नियुक्तियां

154—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-5-86 तथा 8-10-86 एवं 18-8-88 प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में मांगी गयी सूचना का विवरण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा के शिकायती पत्र पर जांच

155—श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री मूल चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-11-87 जो विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 152 के सम्बन्ध में था जिसकी प्राप्ति सं० सी० एम० (वि० को०) एम-1-ब/32-169187, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 से स्वीकार की गयी थी के सम्बन्ध में मांगे गये प्रत्येक बिन्दु पर आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, मामले में जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। अतएव आख्या का सदन के पटल पर रखा जाना अभी सम्भव नहीं है।

विधायक निवास-5 मीरा बाई मार्ग में प्राइवेट कम्पनियों में कार्यरत व्यक्तियों को कक्ष आवंटित किया जाना

156—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास-5 मीराबाई मार्ग में प्राइवेट कम्पनियों में कार्यरत व्यक्तियों को भी कक्ष आवंटित किया जाता है। यदि नहीं तो कक्ष संख्या 38 के अध्यासी को किन नियमों के अन्तर्गत कक्ष आवंटित किया गया है ? क्या सरकार उक्त कक्ष को खाली कराने का आदेश जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

मीराबाई मार्ग स्थित वि0 नि0-5 पूर्व में एक आफिसर्स हास्टल था, किन्तु उसे बाद में वि0 नि0-5 घोषित किया गया था। वि0 नि0 घोषित होने के पूर्व प्रश्नगत कक्ष श्री ओ0 पी0 पालीवाल, ज्येष्ठ लेखाधिकारी पायनियर को आवंटित किया गया था।

प्रश्नगत कक्ष श्री पालीवाल द्वारा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः फिलहाल किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (पी0 आर0 डब्लू0) कर्मचारी तथा उक्त कर्मचारियों को बोनस आकस्मिक अवकाश आदि की सुविधा

157—श्री शारदा प्रताप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (पी0 आर0 डब्लू) कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या उक्त कर्मचारियों को बोनस, आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि की सुविधा प्रदान की गई तथा पी0 आर0 डब्लू प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया ? क्या निगम के वर्किंग मैनुअल के पैरा नं0 27 में वर्णित नियमित सम्बन्धी नियमों का विधिवत पालन किया जा रहा है तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और पी0 आर0 डब्लू0 कर्मचारी निगम की स्थापना काल अगस्त, 1975 से ही कार्यरत हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है।

जी नहीं।

जो व्यक्ति मास्टर रोल पर कार्यरत थे उन्हें बोनस, आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि अनुमन्य हैं। पी0 आर0 डब्लू0 प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना सम्भव नहीं है। कार्य दरों पर अभी भी कार्य कराया जा रहा है, लेकिन लेबर सप्लाई पी0 आर0 डब्लू0 के माध्यम से लेने की प्रथा को 1 नवम्बर, 88 से समाप्त करके ऐसे सभी व्यक्तियों को मास्टर रोल पर ले आया गया है।

पूर्णतया नहीं । नियमित नियुक्ति का प्रश्न नियमित पदों के सृजन और नियमित रूप से आवश्यकता होने पर ही उठेगा । उस समय दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों में से सुयोग्य व्यक्तियों को खपाने का प्रयास संभव होगा ।

जौनपुर जनपद में कैपिटल सब्सीडी स्टैम्प सब्सीडी तथा विद्युत् उत्पादन के आवेदन-पत्र

158-श्री धनराज यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में जिला उद्योग केन्द्र ने कैपिटल सब्सीडी स्टैम्प सब्सीडी तथा विद्युत् उत्पादन के आवेदन-पत्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जौनपुर को योजना प्रारम्भ होते ही उपलब्ध करा दिए थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

कैपिटल सब्सीडी योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से प्रारम्भ हुई । कैपिटल सब्सीडी के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1988-89 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत है :—

क्र0 सं0	इकाई का नाम व पता	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, जौनपुर में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर को आवेदन पत्र भेजने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार उपाध्याय पुत्र श्री केशव उपाध्याय ग्राम व पो0 खुटौली, खेतासराय, जौनपुर	27-3-86	27-3-86
2	मेसर्स शशिधर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बधौरा, जौनपुर	28-1-87	28-1-87
3	मेसर्स जनपद विकास एवं ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बनुवा-डीह, जौनपुर	2-2-87	2-2-87
4	मेसर्स राम दबर मौर्य तेल उद्योग, मछली-पट्टी, जौनपुर	30-3-87	30-3-87
5	मे0 रमा शंकर, ग्रामीण तेल उद्योग, रसूलाबाद, जौनपुर	31-3-87	31-3-87
6	मे0 अब्बास जाफर, ग्रामीण तेल उद्योग, रिजवी खां, जौनपुर	31-3-87	31-3-87

1	2	3	4
7	मे0 विश्वकर्मा काष्ठ कला उद्योग, औ0 सहकारी समिति लि0, जोगियापुर, जौनपुर	3-6-87	3-6-87
8	मे0 राम प्रवध सिंह, बघेल बनवहा, महाराजगंज, जौनपुर	23-4-88	23-4-88
9	मे0 गुलाब चन्द्र मौर्य, काष्ठ कला उद्योग, जगदीशपुर, जौनपुर	6-3-88	6-8-88
10	मे0 फूल चन्द्र पाठक, प्राचीन तेल उद्योग कुकुरिहांव, जौनपुर	7-9-88	7-9-88

स्टैम्प सब्सिडी एवं विद्युत् उपादान योजना, जौनपुर जनपद में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों पर लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अविश्वासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खंड, कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

159--श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम मंगल के अता0 प्रश्न सं0-37 के सम्बन्ध में प्रश्न का पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता श्री रवीन्द्र कुमार द्वारा प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिये शासन स्तर पर जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से करायी गयी एवं जांच रपट शासन को कब दी गयी तथा प्रत्येक बिन्दू के जांच परिणाम क्या रहे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण

160--श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वेतनमान 470-735 रु0 में कार्यरत आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी ? यदि हां, तो कितने क्रमांक तक के आशुलिपिक स्थायीकरण की पात्रता पूर्ण कर चुके हैं ? शासन ने स्थायीकरण की क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ? कितने क्रमांक तक स्थायी किये जा चुके हैं तथा कितने स्थायी पद रिक्त हैं ? क्या वर्तमान चयन प्रक्रिया में परिवर्तन विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

वृत्तीय संवर्ग में 62 आशुलिपिक एवं खंडीय संवर्ग में 178 आशुलिपिक स्थायीकरण की पात्रता के अनुसार एवं योग्यता के अनुसार स्थायी किये जा चुके हैं ।

स्थायी की प्रक्रिया प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्धारित की गयी है ।

वृत्तीय संवर्ग में क्रमांक-1 से 36 एवं खंडीय संवर्ग में क्रमांक-1 से 178 तक आशुलिपिकों का स्थायीकरण किया जा चुका है । वृत्तीय सम्वर्ग में 11 पद तथा खंडीय सम्वर्ग में 77 पद आशुलिपिकों के स्थायीकरण हेतु रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में गाड़ियों की संख्या एवं खरीद तथा चोरी

161—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि नवम्बर, 1988 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पास कुल कितनी गाड़ियां थी ? वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा वर्तमान वर्ष 1988-89 के दौरान निगम द्वारा किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी गाड़ियां किस-किस दर पर खरीदी गयी हैं ? विगते चार वर्षों के दौरान निगम की कितनी गाड़ियां कहां-कहां से चोरी चली गयी ? इस हेतु किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

141 लाइट वाहन तथा 19 भारी वाहन ।

विवरण संलग्नक "क" में अंकित है ।

विगत चार वर्षों में निगम चार जीपें क्रमशः (1) निरालानगर, लखनऊ (2) सिविल कोर्ट इकाई, बरेली के स्टोर से (3) कुतरल पुल से लेकर कार्टन होटल, लखनऊ से चोरी गई है । सिविल कोर्ट इकाई, बरेली के स्टोर से चोरी गई जीप के सम्बन्ध में सम्बन्धित चौकीदार की लापरवाही सिद्ध हो जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और बीमा कम्पनी से 40 हजार रु0 प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को बन्द कर दिया गया है । शेष तीन मामलों में अभी विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहम्मद हुसैन, ब्लाक प्रमुख भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद द्वारा विभाग के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाये जाने विषयक-पत्र

162—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 अप्रैल, 1988 को श्री मोहम्मद हुसैन, ब्लाक प्रमुख, भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद द्वारा विभाग के कर्मचारियों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित की गई शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 131 पर)

श्री अम्मार रिजवी--

उक्त शिकायत-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु श्री मोहम्मद हुसैन, ब्लाक प्रमुख, भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1988 प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में सोनाडीह-सुलेमानपुर मार्ग हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन एवं अनुदान से अधिक खर्च किया जाना

163--श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1982-83 में सोनाडीह-सुलेमानपुर मार्ग हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 75,000 रु0 ही स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो 12/82 तक 1,58,000 रु0 अनुदान से अधिक खर्च करने का क्या औचित्य था ? इस अधिक खर्च की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गई ? माह 3/83 तक अनुदान से कितना अधिक खर्च किया गया ? क्या दिनांक 27 जनवरी, 1983 को दो निविदायें लगभग 1.50 लाख रु0 की स्वीकृति की गई ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

वर्ष 1982-83 में 12/82 तक 1.525 रु0 कार्य पर गलत बुकिंग के कारण व्यय हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1982-83 में मार्च 83 तक 75,098.40 रु0 व्यय हुआ । अनुदान से 98.40 रु0 अधिक व्यय हुआ, जो नगण्य है ।

जी हां ।

कुल 10,06,500 रु0 व्यय किया गया । कार्य की स्वीकृत लागत से अधिक व्यय करने की जांच की जा रही है । जिसके पश्चात दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

164--श्री राम आसरे वर्मा--

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री डी0 एन0 सक्सेना, सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहरमन सिंह, अवर अभि0 द्वारा लाखों की खुली लूट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का-पत्र

165--शारदा प्रताप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1987 जो श्री ए0 क्यू0 खां, अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई शासकीय क्षति की टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करने के सम्बन्ध में तथा श्री डी0 एन0 सक्सेना, सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहरमन सिंह, अवर अभि0 द्वारा लाखों की खुली लूट के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में है तथा जिसकी प्राप्ति पत्रांक टी0 एम0/वि0 को/एम-1-व/3-169/87, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 द्वारा की गई है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जनपद के विक्रमपुर ऊंचगांव मार्ग पर निर्माण कार्य, मजदूरों की मजदूरी का भुगतान, तथा व्यय की गई धनराशि

166--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री राज्य मंत्री सा0 नि0 वि0 के पृष्ठांकन पत्र सं0-831/यू0 एस0 एम0-88, दिनांक 7 मई, 1988 के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जनपद के विक्रमपुर ऊंचगांव मार्ग के कि0 मी0 21 पर सन् 1985 में हुए मिट्टी एवं अन्य निर्माण के कार्य की मजदूरी अब तक अदा न करने के क्या कारण हैं और कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा साथ ही माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यहां पर क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? हर एक में पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है और क्या इसके लिए 19 से 26 तक के मस्टर रोल वितरित किये गये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या काम और कितनी-कितनी धनराशि के कार्य कराये गये और किस-किस का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत मार्ग के कि0 मी0 21 पर सन् 1985 में हुए मिट्टी एवं अन्य कार्य की मजदूरी का भुगतान वर्ष 1985-86 में कर दिया गया है तथा कोई भुगतान शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विषयगत मार्ग के कि0 मी0 21 में 6492.53 घनमीटर मिट्टी का कार्य 57,569 रुपये की लागत से और खड़ंजे का 2146 वर्ग मीटर कार्य 1,00,782 रुपये की लागत पर कराया गया है ।

जी नहीं ।

विक्रमपुर-ऊंचगांव के किलोमीटर 21 में मस्टर रोल संख्या 19 से 26 द्वारा कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री हृदय नारायन दीक्षित--

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री मनेजर सिंह--

मंत्री जी, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, पुराने समाजवादी व्यक्ति हैं । यह केवल प्रश्न मंत्री तक ही सीमित हैं । निर्माण के सम्बन्ध में कोई उचित जवाब नहीं दिया । तो क्या यह प्रश्न मंत्री ही हैं ?

श्री हृदय नारायन दीक्षित--

पुल की उम्र के सम्बन्ध में नहीं बताया । नियमावली में लिखा है कि प्रश्नों का उत्तर तुलगत होगा

(व्यवधान)

इस पर आप व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री को जवाब देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है । इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×

श्री उपाध्यक्ष--

कक्ष में माननीय सदस्य आ जायं तो बता देंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(व्यवधान)

शांत रहें । आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

जनपद गोरखपुर में महाराजगंज क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 सूचनाओं को शलाका के आधार पर स्वीकार किया गया है और वे हैं--पहली सर्वश्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, दूसरी कुंवर मानवेन्द्र सिंह, तीसरी दुर्गा प्रसाद यादव, चौथी भगवती सिंह, पांचवीं अवनीश कुमार सिंह, छठीं श्री बदन सिंह और सातवीं कौशिक रमाशंकर जी की । शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं । स्वीकार की गयी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

(व्यवधान)

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

[मान्यवर, जनपद गोरखपुर के महाराजगंज क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भाविश से वन विभाग की लकड़ियां धड़ले से काटी जा रही हैं और महाराजगंज कस्बे में लकड़ियों की अवैधानिक दुकानें चल रही हैं। जहां से इन चोरी की लकड़ियों को बाहर भेजा जाता है, जिसकी पूरी जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों के तथा कर्मचारियों को है, तथा उनका सहयोग इस अनैतिक कार्य में रहता है। प्रमाण के तौर पर महराजगंज थाने के अन्तर्गत ग्राम कुंधिया जो सरे वन से स्थित है वहीं पर वन रक्षक की चौकी भी है। वहां पर वन विभाग का एक वन रक्षक तथा एक दर्जन वन बीटर भी रहते हैं यह स्थान एक गलत धन्धे का केन्द्र बन गया है। वहां हर समय दो ट्रक लकड़ियों का भण्डार बना रहता है और कर्मचारी और अधिकारी उसी रास्ते से जाते हैं किन्तु कुछ रोक टोक नहीं करते इससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। सरकार को प्रतिमाह लगभग दो लाख रुपयों की क्षति हो रही है तथा इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि अवैधानिक कार्य को किसी विशेष दस्ते द्वारा गोपनीय तरीके से जांच कराकर इस गलत धन्धे को रोका जाय व दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय।]

जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम कचौर और मझगवां गांवों के बीच घसान नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, झांसी की गरौठा तहसील को हमीरपुर जिले की राठ तहसील से सीधे जोड़ने हेतु ग्राम कचौर और ग्राम मझगवां के बीच घसान नदी पर पुल बनाया जाना स्वीकृत हुआ है जिसका शिलान्यास मझगवां में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था। इस पुल के बनने से पुलिस थाना गरौठा व थाना ककरवई हमीरपुर के मझगवां थाने से कम दूरी से जुड़ जायेंगे जिससे अपराध नियंत्रण में भी सुविधा होगी। सरकार भी कई बार विधान सभा में कह चुकी है कि उक्त पुल मझगवां और कचौर के बीच ही बनाया जायेगा। अधिकारियों से मझगवां और कचौर के बीच से पुल हटाकर अन्यत्र जाने की साजिश से क्षेत्रीय जनता में भयंकर रोष व क्षोभ व्याप्त है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर चिरगांव, गुरसराय, गरौठा, कचौर, मझगवां, राठ, महोबा राष्ट्रीय राज मार्ग-42 पर घसान नदी पर पुल मझगवां और कचौर के बीच ही पूर्व में स्वीकृत स्थान पर बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ की तहसील सदर के ग्राम सेहरा व गयासपुर के बीच सिलनी नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सेहदा व गयासपुर के बीच में सिलनी नदी बहती है सेहदा से गयासपुर, दुधनारा, मड़या आदि ग्रामों का आवागमन बहुत अधिक है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते है, गांव के लोग जीविका के साधन के लिए आजमगढ़ शहर प्रतिदिन जाते हैं और लौटते हैं। पुल न होने से बड़ी कठिनाई होती है। वर्षाकालीन समय में लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिलनी नदी में पानी अधिक हो जाता है, रास्ता बन्द हो जाता है, प्रतिवर्ष सैकड़ों जानवर बच्चे औरतें आदि डूब जाते हैं इससे जनता में बहुत आक्रोश है मात्र यही एक रास्ता है जिसके वर्षाकालीन समय में बन्द हो जाने से ग्रामों की स्थिति टापू के समान हो जाती है तथा जनता का सम्पर्क अन्य ग्रामों से तथा बाजार से न होने पर भुखमरी की स्थिति हो जाती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सिलनी नदी पर ग्राम सेहदा व गयासपुर के बीच में पुल निर्माण बनवाने हेतु जनहित को देखते हुए अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि जनता को राहत मिल सके।]

लखनऊ शहर में फैजाबाद रोड से जाने वाली रिंग रोड जो गोमती नगर तथा शहर को जोड़ती है, के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मगीती सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

लखनऊ में फैजाबाद रोड के जाने वाली रिंग रोड जो गोमती नगर तथा शहर को जोड़ती है, पर जगह-जगह अनेकों गड्ढे हो गये हैं जिनकी वजह से चलना सम्भव नहीं रह गया है। इस मार्ग के हजारों ट्रकें व अन्य दोपहिया, तिपहिया वाहन गुजरते हैं। इसी मार्ग पर हाटमिक्स प्लांट, सहारा बाजार अन्य कई बड़े-बड़े निर्माणाधीन भवन हैं। इस मार्ग के खराब होने से अनेकों दुर्घटनायें नित्य होती हैं और मौरंग बालू आदि से भरी ट्रकें पलटने से मार्ग अवरुद्ध होता रहता है। यह मार्ग लगभग 2 किलोमीटर तक इतना खराब है कि रोजाना कोई न कोई वाहन क्षतिग्रस्त या खराब होता है। अधिकारियों का ध्यान दिलाने से भी कोई राहत जनता को नहीं मिली है।

अस्तु माननीय सदन के संज्ञान में इसको लाकर फैजाबाद रोड से गोमती नगर और शहर को जोड़ने वाली रिंगरोड, लगभग 2 कि0 मी0 रा0 पालीटेक्निक से रेलवे क्रासिंग तक) सड़क को तुरन्त बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं में गंगा नदी के कछला घाट पर चमड़े के कारखाने से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गत कुछ समय से जनपद मुरादाबाद की तहसील सम्भल में स्थापित चमड़ा कारखाने (टेनरी) से मृत पशुओं के चमड़े की रसायनों से साफ करने के बाद दूषित अंश का मालवा नदी में बहा

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया जाता है। यह स्रोत नदी का पानी कछला (बहाया) में मिल रहा है व गंगा जल को प्रदूषित कर रहा है। गंगा का जल लाल रंग का हो गया है तथा इतना प्रदूषित हो गया है कि गंगा स्नान करने वाले असंख्य श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस लग रही है।

दिनांक 11-2-89 से हिन्दू जागरण समिति के तत्वाधान में नागरिकों द्वारा आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया गया है। पुलिस द्वारा 26-2-89 को अनशनकारियों को गिरफ्तार किये जाने से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि प्रदेश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर करते हुये पवित्र गंगा को तुरन्त प्रदूषण से मुक्त कराया जाये।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दौलताबाद व सिकरौरा के पुलों के टूटने से आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली में फतेहपुर सीकरी की बांध के किनारे स्थित ग्राम दौलताबाद और सिकरोदा के पुल टूट गये हैं फतेहपुर सीकरी सैकड़ों मीटर चौड़ी नहर को पार करना किसानों और यात्रियों के लिये दुश्वार हो गया है। नहर विभाग ने टूटे हुये पुल के नीचे स्थित दर को मिट्टी से भर कर रास्ता खोलना चाहा तो पुल आगे से टूट गया, नहर विभाग के इस बेवुद्धि काम से सिकरौदा से आगे नहर का पानी पूरी मात्रा में नहीं निकल पा रहा है और पुल दूसरे स्थान से टूट जाने पर फतेहपुर सीकरी ढिठवार मार्ग जो आगे चल कर राजस्थान के मंहंगा, मिलसमों, चंकोरा, कोराई और मोरेल जैसे महत्वपूर्ण पत्थर व्यवसाय के केन्द्रों को जाता है। फतेहपुर सीकरी बड़ी नहर के मील नं0 29 फर्लांग चार के सिकरौदा ग्राम के इस पुल के टूट जाने पर हजारों यात्रियों ट्रक, ट्रैक्टरों, और पत्थर की गाड़ियों के रुक जाने से पचासों गांवों के किसानों को तथा यात्रियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उनमें हाहाकार मचा हुआ है और नहर विभाग आंखें मीच कर बैठा हुआ इस स्थिति को देख रहा है और उक्त पुल के बनाने में निष्क्रिय है।

इस लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर उक्त पुल के शीघ्र बनने की मांग शासन से करता हूं।

जिला मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा व गजरौला के गाढ़ पीड़ितों को वन विभाग की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मुरादाबाद जनपद के ब्लाक धनौरा एवं ब्लाक गजरौला के अनेक गांव गंगा की बाढ़ से से प्रत्येक वर्ष तबाह होते हैं। मुकारामपुर, नाववाला, मिसावली सुल्तानपुर, सीसोवाली, टीकोवाली, वारानगर आदि गांव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन गांवों के निवासी आधे भूखे अर्द्धनग्न की अवस्था में रहने को मजबूर रहते हैं। इन गांवों की तबाही गंगा तट पर बने गंगा बांध के बाद अत्यन्त गम्भीर हो गया है। किसी भी प्रकार से इन गांवों का गंगा और गंगा बांध के बीच में बने रहना न तो उचित

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है और ना है। सम्भव किन्तु तहसील हसनपुर में अन्य ग्राम-सभाओं की भूमि में इन्हें आवास के हेतु तो भूमि आवंटन सम्भव है, पर खेती के लायक ग्राम समाज की भूमि कहीं उपलब्ध नहीं है। किन्तु हसनपुर तहसील में छिवरवेश, भैंसरी तथा अन्य गांवों में वन विभाग की खेती लायक भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि के आवंटन के लिये उपरोक्त गांवों ने वन विभाग को आवेदन-पत्र दिये हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ।

अतः श्रीमान् मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि पीड़ितों को वन विभाग की खेती लायक भूमि, जिसमें वृक्षारोपण भी नहीं है, शीघ्र आवंटित करें।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(व्यवधान)

*श्री शारदा प्रताप—

[× × ×]

(श्री शारदा प्रताप और श्री हृदय नारायन दीक्षित के सदन के फ्लोर पर आकर एक साथ बोलने से)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर आप लोग सदन के फ्लोर पर आ जाते हैं व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कक्ष में आ जायें।

(व्यवधान)

नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है तो फ्लोर पर आ जाते हैं? आप का कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें। अपने आसन से कहें।

(श्री मैनेजर सिंह के प्रयास से दोनों सदस्य सदन के फ्लोर से अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

(माननीय सदस्य सदन के वेल से अपने-अपने आसन पर गये)

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न उचित है कि वे सवाल कुछ कर रहे हैं और मंत्री जी जवाब कुछ दे रहे हैं आपको इतना

[× × ×]

नहीं होना चाहिये था। इनकी बात आपको सुन लेना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कोई वहम नहीं होना चाहिये । मैंने कह दिया है कि कल में आ जाइयेगा । सदन में क्या जवाब दिलवाएं और क्या व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

आप बोलते रहिये ।

श्री बैजनाथ सिंह--

आप सुनकर उनकी बात पर कोई व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, मैं सुनता रहूंगा, जो कहेंगे सुनता रहूंगा । जो चाहें कहते रहिये और जब तक कहें सुनता रहूंगा ।

*श्री हृदय नारायन दीक्षित--

मान्यवर, हमारे नियमों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंत्री द्वारा जो उत्तर दिये जायेंगे, वह विषय से सुसंगत होंगे । मैंने अपने प्रश्न में कहा था कि प्रश्नगत जो पुल है उसकी उम्र क्या है ? मंत्री जी बता रहे हैं कि सरकार इस पर नजर रख रही है तो आप देखें मेरे प्रश्न का क्या उत्तर हुआ । हम यहां पर सुन कर आते हैं जनता हमसे उम्मीद करता है कि हम जहां जनहित के सवाल उठायेंगे और सरकार की ओर से उसका जवाब आयेगा । मैं आप से आशा करता हूं कि आप मुझे इस मामले में संरक्षण देंगे । मंत्री जी जो चाहते हैं उत्तर देते हैं कुछ पढ़कर नहीं आते हैं इनके अधिकारी इनसे जो उत्तर चाहते हैं दिलवा देते हैं । इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप निर्देशित कर सकते हैं । स्पष्ट सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तो आप निर्देशित करें । नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप हमारा . .

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

माननीय सदस्य के प्रश्न पर यदि मंत्री सदन को संतुष्ट नहीं कर सकता है और आप यह समझते हैं तो यह आपके विवेकाधीन है कि आप संबंधित प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दें । वहां उसकी छानबीन हो जायेगी और सही उत्तर आ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पुल की आयु पूछ रहे हैं, इसमें क्या निर्दिष्ट कर दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस संबंध में आप हमारी नियमावली का नियम 38 देखने का कष्ट करें। इसमें उत्तर देने और दिलाने की विधि दर्शायी गयी है। मैं उसको आपकी अनुज्ञा से पढ़ता हूं। "प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग, प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करे तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे।" सदस्य ने एक प्रश्न किया कि उस पुल की उम्र क्या थी? आपने उसको एलाऊ कर दिया। आप यदि समझते थे कि प्रश्न उचित नहीं है तो आपको मंत्री जी को बुलाना नहीं चाहिये था। आपने जब मंत्री जी को बुला लिया तो आपने इनके उम्र पूछने की बात को नियम संगत माना। इसका सुसंगत और सही उत्तर मंत्री जी को देना चाहिये था और यदि मंत्री जी के पास उसकी जानकारी नहीं थी तो कह देते कि सूचना की आवश्यकता है और यदि उत्तर गोपनीय था तो उसे गोपनीय बता देते। अब इस हालत में इसकी उम्र न बताना नियम 38 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमें आपसे श्रद्धा है आप हमारा समाधान करा दें। यदि आप यह सवाल ठीक न समझते तो उनको बिठाल देते। लेकिन जब उनको आपने एलाऊ कर दिया तो उनका जवाब न देना अध्यक्ष पीठ का असम्मान है। माननीय हृदय नारायण दीक्षित का प्रश्न तो आपको शक्ति प्रदान करने के लिये है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं? जब जब सवाल एलाऊ कर दिया तो उसका साफ और सुसंगत मंत्री जी क्यों नहीं देते? इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् मेरा आपसे निवेदन है कि आपने सही कहा कि मंत्री जी को उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वह उत्तर देंगे तो वह उत्तर विषय से सुसंगत होगा और सही होगा। पूछा कुछ जाये और वह हमको गाली देने लगें और उत्तर पर आप कुछ नहीं टोकेंगे तो उसको कैसे आप जस्टीफाई करेंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह उत्तर सुसंगत और सही नहीं है यह आप समझते हैं तो आप निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने कहा कि यदि आप जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं तो मेरे कक्ष में आ जाइये मैं मन्त्री जी को बुलाकर सन्तुष्ट करा दूंगा यहां पर व्यवस्था के नाम पर फ्लोर पर आना मैं उचित नहीं समझता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है मन्त्री जी को बुलाकर स्पष्ट कर दूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

हम लोग कतई फ्लोर पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप स्पष्ट उत्तर नहीं दिलायेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो पीठ का सम्मान करते हैं हम तो फ्लोर पर आना ही नहीं चाहते हैं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 10 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं मैं इन सभी को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि यह प्राथमिकता के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आपने अस्वीकार कर दी ठीक है। मेरी सूचना नियम 300 में ली थी आपने स्वीकार नहीं की लेकिन किस नियम में यह आ सकती है यह अवश्य बता दें मेरा निश्चित मत है कि यह केवल नियम 300 में ही आ सकती है। अगर उसमें नहीं आयेगी तो नियमावली के किसी नियम में नहीं आयेगी। मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था

(व्यवधान)

क्या सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रतिकुंतल करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो चुका है। जब यह अस्वीकार हो गयी तो कैसे आप उस पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियमावली के नियम 27 को देख लीजिये। प्रश्न के सम्बन्ध में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। नियम में साफ लिखा है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् आपके कार्यालय में--

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यालय की बात नहीं उठायी जा सकती है। आप कल में आ जायं बात हो जायेगी। यह नियम 300 में नहीं आता है मैं इसको अस्वीकार कर चुका हूं।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1989 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा यह विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 21 फरवरी, 1989 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री गया प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा, सहकारिता राज्य मन्त्री द्वारा श्री बल जीत सिंह, विधायक का अपमान किये जाने सम्बन्धी मामला, व्यवस्था के रूप में उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

*श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, 18 फरवरी को माननीय सहकारिता मन्त्री श्री समरपाल सिंह जी अपने दौरे पर गये थे । माननीय बलजीत सिंह चूंकि उस क्षेत्र के विधायक थे और वह गोवर्धन जाना चाहते थे तो वह जब गाड़ी पर बैठने लगे तो उनके साथियों ने उनको चमार कह कर गाड़ी से उतार दिया । यह मान्यवर, बड़ी गम्भीर घटना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

जो आप कह रहे हैं, वह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मथुरा में बहुत गम्भीर वातावरण हो गया है । इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा । इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री जय नारायण शर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर घटनाक्रम का वर्णन किया जा रहा है । कल इन लोगों ने कहा था कि सदन नियमों के अनुकूल चलायेंगे लेकिन पुनः व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा की जा रही है ।

(शोर)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह गम्भीर घटना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री बलजीत सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में माननीय सदस्यों ने मेरे नाम से जो सवाल उठाया है व्यवस्था का, चूंकि वह मुझसे सम्बन्धित है इसलिये मैं सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा और इस मामले से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मान्यवर, 18 फरवरी, 1989 की घटना है। माननीय सहकारिता मन्त्री अपने सरकारी दौरे पर जनपद मथुरा में गये थे। साढ़े 3 बजे का समय था। वह एक किसान संगोष्ठी को सम्बोधित करने के बाद जब मेरे क्षेत्र में एक बीज गोदाम का उद्घाटन करने जा रहे थे तो मैं माननीय मन्त्री जी के साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जैसे ही चलने को हुई तो हमारे जनपद के कोआपरेटिव के चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री आदित्य चौधरी आये। उस समय गाड़ी चलने को थी और कुछ कार्यकर्ता जो मेरे क्षेत्र के थे वह मुझसे बातें कर रहे थे। उसने आकर कहा मैं यहां बैठूंगा आप गाड़ी से उतरें। मन्त्री जी इस बात को सुन रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप दूसरी गाड़ी में आ जायें, मन्त्री जी मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूं, उन्होंने खिड़की खोल दी और मुझे उतरने पर मजबूर किया कि नहीं मैं जाऊंगा।

(शेम-शेम की आवाजें)

तो मान्यवर, मैं गाड़ी से उतार दिया गया और श्रीमन् जी उस समय माननीय मन्त्री जी को मैं मूक दृष्टि से देखता रहा, मैंने चाहा कि कुछ मन्त्री जी कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और कोआपरेटिव का जो चेयरमैन था, उसको गाड़ी पर बैठा कर चले गये। इससे भी ज्यादा जो दुखद बात हुयी और मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, वह यह है कि वहां पर अनेक कार्यकर्ता, गांव के आदमी, अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने इन सारी चीजों को देखा। उसके बाद मेरे क्षेत्र में आने के बाद वहां पर मेरे क्षेत्र वालों ने देखा कि मेरे क्षेत्रीय विधायक बलजीत सिंह नहीं आये हैं, तो उन लोगों के सामने, उस कोआपरेटिव के चेयरमैन ने मन्त्री जी के समक्ष कहा, अरे उस चमार को तो हम गाड़ी से उतार आये हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

तो मान्यवर, यह शब्द श्री आदित्य चौधरी ने मेरे क्षेत्र में आकर प्रयोग किये कि उस चमार को तो हम गाड़ी से उतार आये हैं। मान्यवर, शाम को हमारे कार्यकर्ता लोग मुझसे मिले, तो उन्होंने इन सब बातों से हमें अवगत कराया। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी वन विभाग के इन्सपेक्शन हाउस में ठहरे हुये थे, मैंने उनसे जाकर सम्पर्क किया, मेरे क्षेत्र के मथुरा के एक विधायक श्री प्रदीप माथुर के साथ में उनसे मिला और उनसे कहा कि आपकी उपस्थिति में, आपके सामने मेरा इतना अपमान हुआ है और मेरी साख गिरी है। यह बात हमारे क्षेत्र के आदमियों और कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी लगी है। वहां के हमारे तमाम क्षेत्र वाले यह कह रहे हैं कि वहां पर कोआपरेटिव का जो चेयरमैन है, उसने आपके लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैंने माननीय मन्त्री जी से कहा कि मान्यवर, आपने उस चेयरमैन

के इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग करने पर कोई रुकावट नहीं डाली । [illegible] लोगों में चर्चा है कि क्षेत्रीय विधायक बलजीत सिंह को कोआपरेटिव के चेयरमैन ने गाड़ी से उतार दिया । मान्यवर, मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मैंने उसे रास्ते में बहुत फटकारा है । मान्यवर, मैंने इस मामले की सूचना 23 तारीख को आते ही माननीय [illegible] सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दी है और आज मैंने पूरे सदन के सामने अपना यह बयान दिया है और मैं पूरे सदन से यह निवेदन करता हूं, और यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक विधायक का अपमान नहीं है । इसको आप अपमान नहीं समझते हैं ? मैं सदन से अपेक्षा करता हूं और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमण्डल से निकाल देना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं और सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह अवमानना का मामला बनता है । यह विधायक का मामला है । इसमें आप सभी लोग सहयोग दें ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने माननीय बलजीत सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि माननीय सहकारिता राज्य मंत्री के समक्ष उनका अपमान किया गया है । मान्यवर, इन्होंने एक प्रश्न सदन के सामने रखा कि इस तरह का अपमान क्या एक व्यक्ति का है, यह एक विधायक का अपमान है या पूरा सदन इसे अपना अपमान समझता है । मान्यवर, पूरे सदन की एक भावना है कि इस तरह का अपमान इस तरह का व्यवहार एक विधायक से साथ किया गया व्यवहार नहीं है, बल्कि पूरे सदन के साथ किया गया व्यवहार है । मान्यवर, मंत्री जी की मौजूदगी में किया गया अपमान है और दूसरे इन्हीं के क्षेत्र में अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है । जिस मंत्री के खिलाफ इस तरह की बात यहां पर आई है । मैं चाहूंगा कि वह मन्त्री सदन के सामने आकर अपनी बात कहें और मान्यवर, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाये रखने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

(कुंवर रेवती रमण का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरा विषय क्या हुआ हाईकोर्ट का ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो मैंने आग्राह्य कर दिया । आप दूसरे नियम में ले आइये 300 में नहीं आता, हाईकोर्ट का 300 में कैसे आ जायेगा ? हाईकोर्ट का हाईकोर्ट में आये, यह तो विधान सभा है ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न पूछ लीजिएगा । वह आ जायेगा तो ये जवाब दे देंगे । यह 300 में कैसे बुलवा दें ?

मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह को बुलवा लिया है, उनको सुन लेने दें ।

(व्यवधान)

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य मथुरा बलजीत सिंह जी ने जो अपनी बात कही वह एक बड़ी दुखद बात है और शर्मनाक बात है एक विधायक के नाते और वह भी एक हरिजन विधायक हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया और एक माननीय मंत्रिपरिषद् के सदस्य के सामने किया गया, वह अफसोसजनक बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि यह सदन की अवमानना तो है ही लेकिन आपके ही मंत्रिपरिषद् सदस्य के सामने एक विधायक के साथ, एक हरिजन विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया जाय तो आज पूरे प्रदेश के हरिजनों में मान्यवर, एक दुर्भावना फैलती जा रही है और आज मौजूदा शासन उनको संरक्षण देने में पूर्णतः अक्षम साबित हो रहा है। मान्यवर, अगर विधायक की मर्यादा मर्यादित नहीं रखी जायेगी तो फिर किसकी मर्यादा मर्यादित रखी जायेगी। आपके मंत्री का यह व्यवहार हुआ और उन्होंने लिखकर दिया। आप वरिष्ठ यहां के रहे हैं और आप तमाम परम्परागत रीति नीति सभी जानते हैं आपको तत्काल इसे स्वीकार करना चाहिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसी सदन में आप इस बात की घोषणा करेंगे कि इस मामले में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी थी। आपको याद होगा कि कल एक दुखद घटना यहां हुई, आज उससे भी गम्भीर मामला हमारे सामने है। वह तो एक प्रशासनिक अधिकारी थे लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियंत्रण करने का काम डेमोक्रेसी में पालिटिकल लीडरशिप की है और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में, जनतंत्र में जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसके जो सर्वोच्च पदों पर हैं उनका भी विधायक के साथ, हरिजन विधायक के साथ जो व्यवहार है वह आज सुनने को मिला, अत्यन्त ही लज्जाजनक है और इससे हम सबका मस्तक लज्जा से झुक जाता है। लेकिन उससे भी गम्भीर एक दूसरी बात है। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि इस आदरणीय सदन के 100 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लिखकर दिया था। वह 100 हस्ताक्षर वाला कागज माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लम्बित है। यह हमारी जानकारी में भी है। हम उसको सदन की सम्पत्ति नहीं बनाना चाहते थे। हमें जानकारी नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने उस पर क्या किया, माननीय मुख्य मंत्री जी इसका प्रतिवाद कर दें, हम समझते थे कि वह कोई कड़ा कदम लेंगे लेकिन उनके द्वारा किसी कड़े कदम की जानकारी हमें नहीं मिली।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी मंत्रि-परिषद् के सदस्यों पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहे हैं। हमारे प्रदेश के विधायकों और हरिजनों का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने को भी सम्बद्ध करता हूं कि ऐसे मंत्री को मंत्रि-परिषद् से तत्काल निकाला जाय, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके साथ ही मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

मान्यवर, माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी बात सदन के सम्मुख रखी, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। हस्ताक्षर अभियान चलाया और 100 विधायकों ने पत्र दिया, ऐसा कोई पत्र सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा हो गयी । अब मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

मान्यवर, मैं आपकी पीठ से यह जानने की कोशिश करना चाहती हूं कि जो इस समय सवाल आ गया है, क्या आपने चर्चा के लिये आदेश दिये हैं । यदि नहीं तो फिर चर्चा कैसे चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विधायक जी ने एक बात कही, मुख्य मंत्री जी जवाब दे देंगे । चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--]

आये दिन मान्यवर, इस सदन में.....

(घोर व्यवधान)

मान्यवर मैं यह प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि सदन की एक समिति बना दें, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हम विधायकों का आचरण इस सदन के बाहर क्या है, उनके बारे में छान-बीन एक कमेटी द्वारा की जाय । मेरा प्रस्ताव है कि अपनी अध्यक्षता में सदन की एक कमेटी बना दें जो विधायकों का सदन के बाहर क्या आचरण है, उसकी छान-बीन कर ले कि हमारा आचरण क्या है ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, इस पर मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्हें सुन लीजिये । यह तो आपका काम है । फजलुल बारी जी का अब कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री फजलुल बारी--

[× × ×]

श्री भगवान दीन कुशवाहा---

उस मंत्री को बर्खास्त करो ।

श्री उपाध्यक्ष--

कुशवाहा जी बैठें । मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, इतना तो सम्मान रखना चाहिये ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे अत्यंत खेद है कि यह प्रकरण ऐसा यहां पर प्रस्तुत हुआ कि जिससे हमारे एक सम्मानित विधायक को, हृदय के मर्म में चोट पहुंची और उन्होंने अपने मर्म की उस पीड़ा का उल्लेख इस सदन में किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मैंने अपने सहयोगी माननीय सहकारिता मंत्री श्री समर पाल सिंह जी से, जिनको सामान्यतः मैं समझता हूं कि योग्यता और अनुभव से सदन विज्ञ हैं, विशेष रूप से सहकारिता के विषय पर उनकी पकड़ है, भिज्ञ हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या घटना हुई ? उन्होंने जो विवरण मुझे दिया, उसके सम्बन्ध में जब माननीय नेता भा0 ज0 पा0 ने पहले भी इस प्रश्न का उल्लेख किया था, तो उन्होंने स्वतः इसकी सूचना दी, यह कहा था कि यह तथ्य जो हैं, यह सत्य से परे है। कहा जाता है अंग्रेजी में, कन्ट्राडिक्ट किया। यह तथ्य गलत है। उन्होंने मुझसे मिलकर यह कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी हमारे सम्मानित साथी की भावना को देखते हुए, उसका तो कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी बातें कहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दूसरे जो लोग वहां पर एकत्र थे, उपस्थित थे, उनमें से किसी ने अमर्यादित शब्दों का उल्लेख किया हो उन्होंने लिखित माफी माननीय सदस्य से मांगी है, उन्होंने पत्र लिखकर माफी मांग ली है, ताकि उन्हें कष्ट न हो। माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि मैं इसमें किसी प्रकार से सम्बद्ध नहीं हूं। यह बात अवश्य ही सकती है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र—

माफी मांग लें, यह कोई बात नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दें।

(शोर व्यवधान)

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुई।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, हमारे यहां यह सामान्यतः मान्यता है।

श्री मूलचन्द्र—

मान्यवर, माननीय बलजीत जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह हमारी राजनीति में अवधारणा रहती है आपस में कहीं पर कोई क्षमा मांग ले, कोई भूल करता है, तो उन भूलों पर मान लेते हैं यही संसदीय जीवन है। हमारे किसी साथी से कोई बात निकल गयी हो, वह कह रहे हैं कि नहीं निकली है। फिर भी क्षमा लिखित रूप में दी है, क्षमा देनी चाहिये, यही हमारी संसदीय पद्धति है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र--

मान्यवर, माननीय बलजीत सिंह जी को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि माननीय सदस्य को अभी भी दुख है और उनकी कोई शंका का समाधान नहीं हुआ है तो मैं अवश्य सहकारिता राज्य मंत्री जी को बुलाऊंगा, उनको भी बुलाऊंगा, शंका का समाधान करूंगा हमारे मंत्रिमंडल में कहीं भी, शासन में कोई भी सदस्य द्वारा इस प्रकार की भावना छुआछूत की, रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है, न वह स्थान पायेगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र--

माननीय बलजीत सिंह जी को सुन लें ।

श्री बलजीत सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सहकारिता राज्य मंत्री के पत्र के लिये कहा कि उन्होंने लिखित रूप में कोई माफी मांगी है । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री समर पाल सिंह ने मुझसे कोई लिखित माफी नहीं मांगी है ।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

(श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री मूलचन्द्र, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री शारदा प्रताप, डा० बंगाली सिंह, श्रीमती शारदा देवी तथा गोपी नाथ वर्मा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर मुख्य मंत्री से इस्तीफ की मांग करने लग जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग आसन ग्रहण करें एक-एक को सुन लूंगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य) (सदन के फ्लोर से)

श्री शारदा प्रताप--

मुख्य मंजी जी ने सदन को गुमराह दिया है, गलत बयानी की है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

कोई लिखित माफी नहीं मांगी गयी है, मुख्य मंत्री [××] बोलते हैं ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मुख्य मंत्री ने सदन को गलत सूचना दी है ।

नोट [××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग आसन ग्रहण करें ।

(सभी सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के अनुरोध पर अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् मेरा एक निवेदन है, माननीय सदस्य के बारे में लोगों ने एक सवाल उठाया और माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय समरपाल सिंह जी ने लिखित माफी मांगी है, खेद प्रकाश किया है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया है । यह दोनों बातें सत्य हो नहीं सकतीं । मैं इसमें नहीं जाता, कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बात असत्य है या माननीय सदस्य की, लेकिन यह तय है कि दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती हैं । इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से किसी एक का कहना सत्य नहीं है और यह विशेषाधिकार का हनन हुआ सदन का अपमान हुआ, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें ताकि सही बात सबके सामने आ सके । श्रीमन् आज अगर आप इस मामले में निष्पक्षता नहीं बरतेंगे, तो आपके आसन के प्रति मैं पहले भी कहना चाहता था, आज कह रहा हूं कि मेरे औचित्य के प्रश्न को आपने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा । मैंने जानना यह चाहा था कि ऐसा क्यों किया गया पहिले प्रश्न स्वीकार हुआ बाद में लिखकर गया कि सरकार इसे गोपनीय समझती है, इसलिये अस्वीकार किया गया । यदि आप इस तरह सरकार के आगे पीठ को झुकायेंगे तो किस तरह काम चलेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि यह साफ-साफ विशेषाधिकार हनन का मामला है, इसे आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने लिखित सूचना दी है, उसे सुन लें । माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला साफ बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी, आप आसन ग्रहण करें मैं नियम 56 ले रहा हूं ।

(श्री शारदा प्रताप, श्री सुन्दर लाल, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री हर्ष वर्धन, श्री फजलुल बारी, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्रीमती शारदा देवी, डा0 बंगाली सिंह प्रधान, प्रभुदयाल आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे । सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 3 मार्च, 1989 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें करण संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं ?

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(सदन के फ्लोर से ही)

श्री गया प्रसाद वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा श्री बलजीत सिंह, विधायक का अपमान किये जाने सम्बन्धी मामला, व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री शारदा प्रताप--

यह झूठ नहीं चलेगा ।

डा० बंगाली सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्री से क्यों [××] हो ?

श्री गोपी नाथ वर्मा--

खुलेआम मुख्य मन्त्री [××] बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, आप लोग बैठें ।

श्री शारदा प्रताप--

आप सरकार के [××] में बात करते हैं, मुख्य मन्त्री जी से [××] हैं ।

डा० बंगाली सिंह--

आप मुख्य मन्त्री को [××] चाहते हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन ढाई बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, उस अधिकारी का कहना है कि मैंने कोई मांफी नहीं मांगी है और माननीय नेता सदन कुछ और....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

बैठिए कुशवाहा जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हैं....

(शोर)

नोट [××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, आप सदन चलाइये यह न हो और दिनों की तरह कि हम अपने विचारों को फिर यहां न रख सकें और मैं समझता हूं कि आपको भी इसी में मजा आता है....

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मुझे खेद है कि मैंने जो कुछ कहा और उसमें जिस सम्बन्धित व्यक्ति का उल्लेख मैंने किया, उनका नाम नहीं लिया था उस समय मैं कुछ ज्यादा ही संसदीय हो गया। मैंने कहा कि मैंने सहकारिता राज्य मन्त्री से पूछा था उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और सदन में भी उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन उनके आस-पास के सम्बन्धित व्यक्ति ने जो मुझसे कहा, वही मैंने कहा

(घोर व्यवधान)

वह सम्बन्धित व्यक्ति श्री आदित्य चौधरी हैं, जो मथुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जिन्होंने लिखित माफी मांगी है उस सम्बन्धित माननीय सदस्य से दिनांक 21 फरवरी, 1989 का यह पत्र है, जिसकी प्रतिलिपि श्रीमन् हमारे पास मौजूद है, मैं यह आपके पास भी भेज रहा हूं जिसे आप भी देख सकते हैं, उसमें लिखित रूप में माफी मांगी गयी है, लेकिन चूंकि मैंने उसमें नाम नहीं लिया था, इसलिए यह कुछ ज्यादा संसदीय बात हो गयी। शायद उचित यही होता अगर मैं उनका नाम ले लेता। साथ ही मैंने यह भी कहा था यदि कोई ऐसी ही शंका की बात है तो मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी को बुलाऊंगा और कोई बात इसमें रह गयी होगी तो वह भी पुछवा लूंगा। यह सारी बातें मैंने आपकी शंका को ही दूर करने के लिए आग्रह की थी कि इसमें कहीं पर कोई दुराव की बात न रहे....(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)।

इसमें मैंने जो बात कही और सम्बन्धित व्यक्ति का नाम जो नहीं लिया जिनके लिखे हुए पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है, मैंने तो सहकारिता राज्य मन्त्री जी के सम्बन्ध में कहा....

(घोर व्यवधान)

इसे मैं वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जैसा कि मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने माननीय सहकारिता राज्य मन्त्री के बारे कहा है या किसी और के बारे में कहा है यदि इसको स्पष्ट करना है तो मान्यवर, प्रोसीडिंग को देखना होगा, यदि आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लें और उसे पढ़कर हाउस के संज्ञान में सारी बात ला दें तो सही स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी। श्रीमन् कुछ चीजें इस प्रकार की मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के 20वें एडीशन के पृष्ठ 148 पर स्पष्ट दी हुयी हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"कान्सपरेसी टू डीसीव आइवर हाउस आर एनी कमीटीज आफ आइवर हाउस विल आलसो बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच आफ प्रीविलेज।"

अगर सदन को धोखा देने का षडयन्त्र है, तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा। अगर हाउस में डेलीबरेटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया गया है, तो वह भी कन्टेम्प्ट होगा। उसमें है कि—

"दि हाउस में ट्रीट दि मेकिंग आफ ए डेलीबरेटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट एज ए कन्टेम्प्ट पेज 151 पर है कि नेगलेक्ट आर ब्रीचेज आफ ड्यूटी बाई मेम्बर्स आर आफिसर्स आफ आइदर हाउस अदर दैन करेक्शन इन दि इक्जीक्यूशन आफ देयर आफिस एण्ड कागनेट आफेंन्सेस में आलसो बी ट्रीटेड एज कन्टेम्प्ट।"

हर सदस्य की ड्यूटी है कि वह सदन में सही बात कहे। हमारा इम्प्रेशन है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सहकारिता राज्य मन्त्री के बारे में माफीनामे की बात की है, तो आप कार्यवाही को मंगवा कर देख लें। तो उससे आप सही निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि माननीय मन्त्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह सही है अथवा असत्य तो आप इस पर फैसला देंगे और वह फैसला हमको शिरोधार्य होगा। अगर सदन को गुमराह करने की कान्सपिरेसी की गयी है, तो यह फिर कन्टेम्प्ट होगा। मैं उसको आपके विवेक पर छोड़ता हूं, जो हम सबके लिये क्षोभ का विषय बना हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, जो विचारणीय हैं। बलजीत सिंह का आपने सन्दर्भ रखा और इससे माननीय सहकारिता मन्त्री का सम्बन्ध था, तो यह प्रकरण चल रहा है। इसी बीच में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया। मैंने उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना था और आपके संज्ञान में भी था। पत्र का हवाला माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है। भाषा विज्ञान के हिसाब से उसके अर्थ को देखना होगा। उसका अर्थ वही होगा, जो दूसरा भी वही अर्थ समझे। आप किसी भी भाषा विज्ञान के ज्ञाता के पास माननीय मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य भिजवा दें और उसका अर्थ निकलवा लें। मान्यवर, अर्थ रेफरेन्स टु दि कान्टेक्स्ट होता है। माननीय समर पाल सिंह जी अच्छे आदमी हैं, मेरे साथी हैं, वह ऐसा कभी कह नहीं सकते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि माफी मांग लिया है। जिस सन्दर्भ में कहा गया है, उसी सन्दर्भ में उसका अर्थ लिया जायेगा। हर व्यक्ति साथी है। यह संसदीय परिपाटी है कि जो सदन में सदस्य कहता है, वह सही मान लिया जाता है। अब आगे आप देखें, मैंने सही कहा है साथी या सहयोगी, जिसका सम्बन्ध समरपाल सिंह जी से है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कह गये, परन्तु बाद में उनका विवेक जागृत हुआ और उनको अपनी पहली बात को कहने का साहस नहीं है। जो उनका वक्तव्य है, वह रेफरेन्स टु दि कान्टेक्स्ट पढ़ा जायेगा और वह समरपाल सिंह के लिये था। माफीनामा हुआ और उन्होंने एक पत्र दिखाया, जो श्री आदित्य का है। उन्होंने माफीनामा की बात नहीं की, काण्ड की तफ्तीश पर खेद प्रकट किया है।

(व्यवधान)

बलजीत सिंह जी आ गये हैं वह बतावें कि वह पत्र उनको मिला है या नहीं मिला है। माननीय सदस्य को फिर अपनी बात को कहने का मौका देना चाहिये और उस का निस्तारण आप करें, तो हमारी इन दोनों बातों पर निर्णय दें और अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और उससे बात साफ हो गयी है, तो इस पर चर्चा की क्या जरूरत है? अब यह समाप्त हो गया। अब कहां गुन्जाइश रह गयी।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है और माननीय मुख्य मन्त्री और एक मन्त्री....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप व्यवधान कर लीजिये यह हमारे लिये बहुत सरल है । उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम लोगों की बात न सुन ली जाय....

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और उसके बाद हम लोग भी कुछ कहना चाहते हैं । इससे पहले यदि माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं तो फिर दुबारा हम लोगों को बोलना पड़ेगा । इसलिये बेहतर यह है कि हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा सुन लें उसके बाद माननीय मन्त्री जी बोल लें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य प्रशासन का बजट है, क्या चर्चा इसी पर होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अगर सत्ता के मद में आकर और बहुमत के बल पर इस तरह की कार्यवाही करेंगे, तो सदन नहीं चल सकता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की कार्यवाही दोनों पक्षों से चलती है । एक पक्ष से नहीं चलती है । यहां पर बहुमत और अल्पमत का सवाल नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सत्ता का मद और उसका घमन्ड बोल रहा है । एक विधायक के साथ स्टेट मिनिस्टर द्वारा हो रहा है....

(व्यवधान)

आप बोलने नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

समरपाल सिंह जी खड़े हैं....

(व्यवधान)

वे खड़े हो गये हैं । कृपया आप बैठें ।

श्री फजलुल बारी--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, हमको पहले सुन लीजिये ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, केवल दो लाइन बोलना चाहता हूं। डाक्टर लोहिया ने कहा है कि लोकतंत्र में लोक सभा, लोक सभा में चर्चा और चर्चा मे सच्चाई और सच्चाई में ही लोकतंत्र है। लोक सभा का उनका आशय किसी सदन से है और यह सदन ही सच्चाई का है। आप उस पीठ पर बैठे हैं तो जो कार्यवाही आज यहां पर हुई है उसको पढ़कर सुना दीजिए। आप अपने चेम्बर में उसे पढ़ लें तो उससे क्या होगा ? उसे यहां पढ़कर सुना दें तब उस पर चर्चा हो।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरा आप से आग्रह है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें यह संशोधन कर लें कि कार्यवाही निकलवा लें और उसको पढ़कर सदन में सुना दें। स्पष्ट हो जायेगा। भ्रम भी नहीं होगा। क्या कार्यवाही में लिखा हुआ है क्या मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, क्या बात है, उसको निकलवाकर पढ़ दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है ?

(व्यवधान)

(श्री समरपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर व्यावधान)

एक सदस्य—

पहले कार्यवाही पढ़ी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वह ऐसा था जो चेम्बर में सब लीडर थे, सब के सामने शार्टहैण्ड राइटर ने पढ़ कर सुना दिया

(व्यवधान)

शार्टहैण्ड से जब टाइप होगा उसमें देर लगेगी।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुलायम सिंह जी आप नहीं थे बाकी सब थे, तिवारी जी गुप्ता जी, कौशिक जी थे।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर—

आपने प्रोसीडिंग जरूर सुनवाई, वह सब बात सही है यह हम मानते हैं किन्तु उस कार्यवाही के अनुसार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा उसका मतलब जो निकला है उसका वही मतलब है जो हम लोगों ने निकाला।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

उनका इंटेशन खराब नहीं रहा है, डेलीबरेटली नहीं कहा आप यह मानते हैं। जहां तक कार्यवाही का संबंध है उसका मतलब वही निकला जो हम लोगों ने निकाला है कि माननीय समरपाल सिंह जी ने माफी मांग ली है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद स्पष्टीकरण दे दिया है, कोई अर्थ निकाले उस बात का उसके लिए ही स्पष्टीकरण दिया है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

आपकी बात और मेरी बात में फर्क है उसका वही मतलब निकलता है जो हम लोग समझे हैं

(व्यवधान)

हम यह मानते हैं कि जानबूझ कर मुख्य मन्त्री जी ने नहीं कहा लेकिन कार्यवाही में वही है जो मतलब हम लोगों ने निकाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने इंटेनसनली नहीं कहा

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर सदन की कार्यवाही अव्यवस्थित होती है ठीक से कार्यवाही संचालन न होने के कारण। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है वह सत्य नहीं है माननीय सदस्यगण कहते हैं कि आप उस कार्यवाही को पढ़ कर सुनाइये, तो फिर आप सुनाइये। यदि मुख्य मंत्री जी ने कहा है

(व्यवधान)

वही कार्यवाही में है तो ठीक है या फिर से लिखवा दिया जाय ?

(व्यवधान)

हम लोग मान जायेंगे और बात साफ हो जायेगी

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी का सफाई देने का कोई मतलब नहीं था, कार्यवाही आप पढ़ कर सुनवाइये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आपने क्या अर्थ निकाला श्री समरपाल सिंह से या दूसरे से आप बता दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसी बात के लिए स्पष्टीकरण दिया है नहीं तो फिर स्पष्टीकरण की क्या बात थी ? जो कंफ्यूजन में दिखाई दिया उसी के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

श्री किरनपाल सिंह—

तो क्या उसके लिए आपने 3 घंटे के लिए हैं ?

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

सारी अव्यवस्था की जड़ में आप गहीये ह । नहीं तो आप कार्यवाही को पढ़ कर सुनाइये स्थिति साफ हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यवाही शार्टहैण्ड में है जो शार्टहैण्ड राइटर के पास है मेरे पास नहीं । मैं शार्टहैण्ड नहीं जानता ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात यहां पर पहले कही थी उस सिलसिले में माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात उठाई है उसके हिसाब से आप कार्यवाही करवा दें । पहले मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही और जो इस समय कह रहे हैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि पहले भी उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की और दुबारा उस बात को पलट कर कह रहे हैं यह गुमराह करने की दूसरी साजिश है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही से दोनों अर्थ निकलते हैं उसी का स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी ने कर दिया

(व्यवधान)

इसीलिए उसका स्पष्टीकरण किया ।

श्री मैनेजर सिंह---

आप सदन को]

[× × ×]

कर रहे हैं आप कार्यवाही को क्यों नहीं पढ़ कर सुनवाते हैं, कार्यवाही सुनवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही मंगवा रहे हैं वह पढ़वा दी जायेगी, वह कोई गोपनीय नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मुझे मान्यवर, बोलने की इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है आप कहें । चर्चा की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं बल्कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हम चाहते हैं कि...

(व्यवधान)

नोट [× × ×] यह अंश माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

आपने श्री मुलायम सिंह यादव को कैसे समय दे दिया ?..

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय एवं श्रीमती पुष्पा सिंघल के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बजट है सामान्य प्रशासन पर बजट है, लेकिन विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव खड़े होकर व्यवधान डाल रहे हैं

(व्यवधान)

और नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह को सामान्य प्रशासन पर बोलने नहीं दे रहे हैं इसका क्या कारण है इस पर आप व्यवस्था दें ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने तीन बातें रखना चाहता हूं । एक तो...

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

श्री मुलायम सिंह यादव जी को आपने समय कैसे दे दिया ? आप उनको नियमों के अन्तर्गत ही पीठ से कोई निर्देश दें...

(व्यवधान)

इस पर व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । मुलायम सिंह जी को बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है और उस संबंध में हम चाहते कि कोई रास्ता निकले और सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से चले । उसके लिए आपके सामने तीन विकल्प हैं । यह हमारी और, हमारे विपक्षीय नेताओं की भावना है, यह हम जानते हैं । मगर ए:, जो कार्यवाही हो वह आप पढ़ कर सुना दें और न ही आप सुनाते हैं तो हम लोगों की यह बात सच मानकर कि मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा अपने राज्य मंत्री के लिए । उसमें हम जानते हैं सदन में नहीं हिन्दुस्तान में कुछ संसदीय लोग हैं जो कुछ मर्यादाओं और आदेशों के लिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है नेता सदन से...

(व्यवधान)

अभी तो हमने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, जिसपर कांग्रेस पक्ष के लोग इस प्रकार उत्तेजित हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं पहले तो आप कार्यवाही सुना दें, यदि नहीं सुनाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं ? उसमें कहां रोक है, वह हम कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं जानता हूं नेता सदन—मुख्य मंत्री जी संसदीय परम्पराओं के उच्च आदेशों और परम्पराओं पर चलने वालों में हिन्दुस्तान में एक हैं और बड़ी-बड़ी परम्पराओं को उन्होंने निभाया है। लेकिन अब हम चाहते हैं उनसे गलत बयानी सदन में जिस प्रकार से हो रही है। तो जो हमारी संसदीय परम्परायें हैं उच्च आदर्श हैं, उनको वह निभायें वह हम चाहते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए खेद प्रकट करना, बड़े दिल वाले और विशाल हृदय वाले का ही काम है, वही यह कर सकता है और छोटे दिल वाला कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। तो उच्च आदर्शों को स्वीकार करते हुए मुख्य मन्त्री जी सदन में खेद प्रकट करें। दूसरा सवाल, समरपाल जी को मैं जानता हूं वह अच्छे आदमी हैं और मुख्य मन्त्री जी भी अच्छे हैं। लेकिन आज सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है, आज सवाल संसदीय परम्पराओं का है कि जनता के प्रतिनिधि का जनता के सामने अपमान हुआ है और एक विधायक के साथ अपमान हुआ है....

(घोर व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मन्त्री अच्छे लोगों में से हैं, भले हैं, मुख्य मन्त्री जी कहते हैं। हम भी मानते हैं कि यह अच्छे और भले हैं लेकिन यह अच्छाई और बुराई उनके जीवन में और जुड़ेगी आम जनता के सामने। एक विधायक का, हरिजन विधायक का सवाल नहीं था। हम जानते हैं कि एक हरिजन विधायक हो जा तो उसका उतना सम्मान नहीं है जितना अपर-कास्ट या ऊंची जाति के विधायकों का है। इसलिए हम चाहते हैं....

(व्यवधान)

विधायक की रक्षा के लिए सदन में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अभी-अभी सम्मानित नेतागण और सदस्यों ने अपनी-अपनी बात इस सम्बन्ध में कही जो यहां पर मुख्य मन्त्री जी के भाषण से सम्बन्धित थी। उनका स्पष्टीकरण मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया और माननीय सदस्य ने कहा मेरे ख्याल से माननीय कौशिक जी या माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके वो मतलब होते हैं, तो जो बात कह रहा हो उससे पूछा जाता है। मैं कहूं, रोको मत आने दो, या रोको, मत आने दो, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी बात शुरू ही ऐसे की, कि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे खेद है अगर गलतफहमी हुई है किसी को, माननीय नेता सदन ने इस बात को कहा, माननीय नेता सदन के द्वारा खेद प्रकट किया गया संसदीय परम्पराओं की बात, लोकतन्त्र की बात, माननीय यादव जी ने कही। हम सब लोकतन्त्र की बात करते हैं। हाउस आफ कामन्स से लेकर दिल्ली की लोकसभा या अमरीका की सीनेट की बात हो, जब कोई खेद से बात शुरू करता है तो कोई चर्चा नहीं होती

हैं । बड़ी अजीब बात है समरपाल सिंह जी मौजूद हैं, बलजीत सिंह जी मौजूद हैं समरपाल सिंह जी मन्त्रिपरिषद् के सदस्य हैं, उनकी तबियत ठीक नहीं है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बाहर के लोगों को कहेंगे कि वह इस सदन में अपनी बात कहें, लेकिन जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। समरपाल सिंह जी की बात आप सुनें बलजीत सिंह जी की बात आप सुनें अगर संतुष्ट न हों तो सदन की बात आती है । इस मामले को उलझाने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोई बात नहीं है । माननीय नेता सदन ने कहा कि संसदीय परम्पराओं को रखने के लिए हम ऐसी सूरत न बनाएं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में एक दूसरे की शक्ल बिगड़ जाए। इस मामले को मान्यवर, समाप्त करें । समरपाल जी को आप सुनें, बलजीत सिंह जी को आप सुनें । कल भी निर्णय आपके सुपुर्द किया गया था आज भी निर्णय आपके सुपुर्द है । रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने भी निर्णय आपके सुपुर्द किया था, तो जो बात है उसको कहे जाने का मौका दिया जाना चाहिये । समरपाल जी को सुनना चाहिए। "मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त" वाली बात नहीं होनी चाहिए। समरपाल जी को सुना जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्न अंचल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले कार्यवाही सुनवायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले समरपाल जी को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे सम्बन्ध में कोई प्रकरण यहां उठा मुझे खेद है उस वक्त मैं यहां उपस्थित नहीं था ।

(घोर व्यवधान)

मैं तीन-चार दिन से बीमार था और खाट पर पड़ा था इसलिए उपस्थित नहीं हो सका, जो प्रकरण मेरे सम्बन्ध में उठा था उस समय मैं उपस्थित नहीं था उसको कहना चाहूंगा। संक्षेप में उसको बताना चाहूंगा । मान्यवर, मैं मथुरा कोआपरेटिव बैंक के प्रोग्राम में गया था एक मीटिंग करने । बड़ी भारी मीटिंग थी । उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था जहां एक बीज गोदाम उद्घाटन करना था । वहां चलने के लिए मैं और जिला कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट तथा विधायक श्री बलजीत सिंह जी गाड़ी में बैठ गये । जिस तरफ मैं बैठा था वहां बहुत से लोग आ गये और कुछ कागज देने लगे, कुछ बात करने लगे । इसी बीच में यह अजीत आदित्य चौधरी जो जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं वह आये और उन्होंने विधायक जी से कुछ कहा मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने नहीं सुना कि क्या कहा । मैं तो उन लोगों से बात करते-करते चल पड़ा । मैंने आगे देखा कि विधायक जी नहीं हैं तो मैंने उनसे (श्री आदित्य) पूछा कि विधायक जी कहां हैं तो उन्होंने कहा कि उनका इंतजाम दूसरी गाड़ी में कर दिया गया है । जब आगे मुझे इस घटना का पता चला, तो मैंने उनके पिता जी से भी शिकायत की तो उन्होंने अपना लिखित माफीनामा माननीय बलजीत सिंह को दिया और माफीनामे की कापी मुझे दिया जिसको अगले दिन मुख्य मंत्री जी को मैंने दिखाया और उनसे कहा कि वह प्रकरण समाप्त हो गया, उसने माफी मांग ली है । जहां तक मान्यवर, मेरी बात है मैं सदन को आश्वस्त

करता हूं कि मैं हर माननीय सदस्य को बड़ी इज्जत करता हूं । कभी ऐसा अवसर नहीं दे सकता कि किसी को अवमानना करूं । अगर किसी वजह से माननीय बलजीत सिंह की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया ।

(माननीय बलजीत सिंह के खड़े होने पर ।)

बलजीत सिंह जी बात हो गई, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है ।

(शोर)

मैं नियम 56 को ले रहा हूं ।

(शोर)

नियम 300 की जो सूचनायें थीं उनको मैंने अग्राह्य किया है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 से अन्तर्गत आज 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 10 सूचनायें चयनित की गयीं हैं ।

(शोर)

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सब गड़बड़ कर रहे हैं । माननीय समरपाल सिंह ने जो खेद व्यक्त किया उसका हम स्वागत करते हैं । उन्होंने गरिमापूर्ण आचरण किया है । लेकिन एक बात मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने मंत्रियों को निर्देश दें कि जब वह दौरे पर जाते हैं तो क्षेत्रीय विधायक को अपमानित न करें, उपेक्षा न करें, उनको उचित सम्मान दें और साथ ले जायें । इस घटना से हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी पर बहुत बड़ी आज छीटाकशी हो गई । मुख्य मन्त्री जी गलती में कह गये, भ्रम में कह गये, उनको भी खेद प्रकट करना चाहिये, इससे उनकी महानता बढ़ जाती । यह संसदीय मर्यादाओं के सबसे बड़े हिमायती हैं यह हम सब जानते हैं । लेकिन उनसे भी लीपापोती करवा दिया उनके मंत्रियों ने । पहले ही कह दिया होता कि गलती हो गई तो मामला खत्म हो गया होता ।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं सम्मानित सदस्य बलिया का बड़ा आदर करता हूं । वह तो जो बात वैसे भी कह दें, वैसे ही स्वीकार कर लेता हूं । मुझे तो सबसे बड़ा खेद इस बात का है कि जो मैंने नाम नहीं लिया आदित्य चौधरी का । इस बजट से सदन का इतना समय चला गया । आखिर में मैंने कहा है कि समरपाल जी को बुलाऊंगा । लेकिन मुझे खेद है कि बलिया के पुराने साथी को मैं स्पष्ट नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा खेद है । मुझे नाम लेने की आदत नहीं है, मैं मैनेजर सिंह नहीं कह सकता ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं को पुनः उठाने की मांग

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, आप बैठिये ।

ऐसा है, मैं नियम 300 की सूचनाओं को अग्राह्य कर चुका हूं । अब मैं नियम 56 ले रहा हूं ।

(श्री राम शरण दास के पुकारे जाने पर)

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री किरनपाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री भोपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री नरेन्द्र सिंह आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ कर बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभपतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सुनलें आपका बड़प्पन होगा एक मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

300 को नहीं लूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपको आज औचित्य का प्रश्न दिया था इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा । व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सुबह आपने ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उस पर सुनने को तैयार नहीं हूं ।

मैं नियम 56 की सूचनाओं को ले रहा हूं आप इसे दूसरे नियम में दे दीजिए, मैं सुन लूंगा । इसमें नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, सदन के संज्ञान में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

संज्ञान में हो कुछ भी हो, नियम 300 में नहीं आता है, मैंने अस्वीकार कर दिया है मैं नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं सुनने वाला, नियम से आवें तो नियम से सुनूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

आप प्राह्यता पर सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं सुनूंगा आप नियम से ले आयें । मैंने नियम 56 ले लिया है । आप 56 में दे दीजिए मैं सुन लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आज सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज नहीं सुनूंगा, यह कोई जबरदस्ती है ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं चलेगी तो न चले लेकिन विधान सभा बेनियम नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है कल ही इस सदन में माननीय सदस्य बुन्देलखन्ड के सभी लोगों ने उस बात को कहा मान्यवर, मेजा और करछना तहसील इलाहाबाद आज सूखे की चपेट में है ।

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री हर्ष वर्धन, श्री कुशल पाल सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी सदस्य सदन के फ्लोर पर आ कर बैठ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन व्यवस्थित नहीं है, आप न बोलें।

(व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 56 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 12,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती पेश करें, कौन पेश करेगा कटौती, कोई कटौती पेश नहीं कर रहा है।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—86 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 की सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

अब हम उठते हैं मंगलवार को 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

बाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

8 मार्च, 1989

विधान सभा सचिवालय, पटना

नत्थी 'क'

(देखिये अता 0 प्र0 सं0 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

संख्या–233/36–चार–1988–134/85

प्रेषक,

श्री डी0 के0 मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अमायुक्त, उ0 प्र0,
कानपुर ।

श्रम अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 1988

विषय––उत्तर प्रदेश की श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1060/अ0 श्र0(गृह)कैम्प–87, दिनांक 27 मार्च 1987 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की श्रमिक बस्तियों की अनधिकृत कब्जेदारी आदि समस्याओं के निदान हेतु शासन ने विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

(1) सेवायोजन में परिवर्तन के मामलों में यदि वर्तमान सेवायोजन में रहने पर भी अध्यासी पात्रता की श्रेणी में आता है तो अध्यासी के साथ नया एग्रीमेन्ट करके अध्यासन नियमित कर दिया जाये । नियमन हेतु पात्रता की परिधि में औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के वे सभी व्यक्ति आयेंगे जिनके हित में नियमन करने के आदेश वर्ष 1974 में शासनादेश सं0 1409/36–4–33(अ)/69, दिनांक 30 मई, 1984 जारी किये गये थे ।

(2) राजस्व बकाया के मामलों में यदि अध्यासी पात्र व्यक्ति की श्रेणी में आता हो तो, सम्पूर्ण बकाया जमा कर देने पर अध्यासन नियमानुसार नियमित कर दिया जाय तथा मुकदमें की कार्यवाही समाप्त की जाय ।

(3) मृतक/सेवा निवृत्त अध्यासियों के मामलों में यदि भारत सरकार के पत्र सं0–14018/3/77–एच0 आई0, दिनांक 23 फरवरी, 1977 के अनुरूप अध्यासी के माता पिता/पत्नी/पुत्र अथवा पुत्री पात्रता की श्रेणी में आते हों तो आवंटन उनके पक्ष में कर दिया जाये ।

यदि उक्त कोटि के व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं आते तब भवन का आवंटन उनके पक्ष में स्टैन्डर्ड रेण्ट पर किया जाये ।

(4) अवैध निर्माण के मामलों में (अ) यदि आवंटी ने (माइनर) श्रेणी अथवा अस्थायी प्रकार के निर्माण (जैसे चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना अथवा टेम्परेरी टिन शेड इत्यादि भवन स्थल की निर्धारित सीमा में बनाए हैं और ऐसे निर्माण कार्यों से किसी अन्य आवंटी को असुविधा नहीं महसूस होती है, तो ऐसे मामलों में उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाये तथा ऐसे निर्माण की औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी जाये।

(ब) यदि आवंटी द्वारा भवन स्थल की निर्धारित सीमा में स्थायी प्रकृति के निर्माण कराये गये हैं परन्तु उनसे किसी अन्य आवंटी को असुविधा नहीं होती है, ऐसे मामलों में पेनाल्टी/लेवी फीस लेकर मामले को कम्पाउन्ड करने की कार्यवाही की जाय, पेनाल्टी तथा लेवी निर्धारण की कार्यवाही कृपया अपने स्तर पर सम्पादित करें।

(स) यदि अवैध निर्माण भवन स्थल की निर्धारित सीमा के बाहर अथवा सार्वजनिक भूमि अथवा विभिन्न भवनों के उपयोग हेतु कामन लैन्ड (जैसे सीढ़ियों, आने जाने का रास्ता, छत आदि) पर है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(5) अवैध अध्यासन/शिकमी कब्जों के मामलों में यदि ऐसे व्यक्ति नियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1769/36-चार-33(अ)-69, दिनांक 15 अप्रैल, 1978 (जो 31 मार्च, 1979 तक के लिए प्रभावी था) में वर्णित पात्रता श्रेणी में (जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी सम्मिलित न होगी) आते हैं तो उन्हें नियमानुसार स्टैन्डर्ड रेन्ट पर भवन आवंटित करने की कार्यवाही की जाये, अन्य मामलों में वर्तमान मार्केट रेट पर भूमि एवं भवन की लागत के आधार पर बिक्री एवं बेदखली की कार्यवाही की जाये।

(6) ऐसे स्टैन्डर्ड रेन्ट परिभाषित किये जाने की कार्यवाही अपने स्तर पर अविलम्ब सम्पादित करें तथा किसी बिन्दु विशेष पर शासन के आदेशों की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव अविलम्ब भेजा जाये।

विनियमन की कार्यवाही किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 30 जून, 1988 तक होगी। कृपया तत्संबंधी समस्त कार्यवाही इस अवधि में पूर्ण करने की व्यवस्था करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(ह0) डी0 के0 मिसल,

सचिव।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 95 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक "क"

खरीदे गये वाहनों का प्रकार	सन् 1985-86		सन् 1986-87		सन् 1987-88		सन् 1988-89		अन्य
	संख्या	खरीद दरें	संख्या	खरीद दरें	संख्या	खरीद दरें	संख्या	खरीद दरें	विवरण
(क) जीपें	4	92,626.25	6	99,165.86	4	1,15,767.00	1	1,13,162.00	डी0 जी0 ए
	3	97,651.00	9	1,05,942.46	7	1,05,942.46	1	1,16,708.00	डी0 रेट कान्ट्रैक्ट की
	2	91,469.95	1	1,17,895.00	7	1,12,202.24	6	1,16,788.00	दरों पर।
(ख) जिप्सी	2	1,01,86.30	7	1,01,868.30	9	1,03,487.00	3	1,05,726.20	डी0 जी0 एस0 एन्ड
			2	1,01,727.36	8	1,04,600.00	9	1,09,627.20	डी0 कान्ट्रैक्ट की दरों पर।
(ग) कारें	2	92,338.00	2	96,838.38	1	96,838.38	3	1,07,845.20	हिन्द मोटर द्वारा निगमों में लागू दरों पर (क्योंकि रेट कन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध नहीं है)
					4	1,00,807.12			

पी0 एस0 यू0 पी0 -11 वि0 सभा-26-7-89-813 (पी0 डी0)।

अ० प्र० वि० सभा